



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2012-13



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

२०१२-१३

छत्तीसगढ़ शासन

विषय—सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना	7	
विनियोग लेखे का सार	8—21	
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	22—23	
विनियोग लेखे		
अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	
भारित विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
भारित विनियोग	लोक ऋण	
01	सामान्य प्रशासन	29—32
02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	33—34
03	पुलिस	35—38
04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	39—40
05	जेल	41
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	42—45
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	46—48
08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	49—52
09	राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	53—54
10	वन	55—58
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	59—60
12	ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	61—63
13	कृषि	64—69
14	पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	70—72
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	73—74
16	मछली पालन	75—76
17	सहकारिता	77—79
18	श्रम	80—82
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	83—89

पृष्ठ संख्या

20	लोक रक्षण यांत्रिकी	90—96
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	97—99
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	100
23	जल संसाधन विभाग	101—108
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	109—113
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	114—115
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	116
27	स्कूल शिक्षा	117—121
28	राज्य विधान मंडल	122
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	123—125
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	126—129
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	130—131
32	जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	132—134
33	आदिम जाति कल्याण	135—137
34	समाज कल्याण	138—139
35	पुनर्वास	140
36	परिवहन	141—142
37	पर्यटन	143
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	144—147
40	आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय	148—149
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	150—176
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	177—178
43	खेल और युवा कल्याण	179—180
44	उच्च शिक्षा	181—183
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	184—187
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	188
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	189—194

पृष्ठ संख्या

48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	195–202
49	अनुसूचित जाति कल्याण	203
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	204
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	205–206
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	207–208
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	209
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	210–214
56	ग्रामोद्योग	215–217
57	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	218–219
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	220–225
59	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधितविदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	226
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	227
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	228–244
65	विमानन विभाग	245
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	246–247
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	248–255
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	256–259
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	260–261
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	262–263
75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	264–265
76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	266
79	विकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	267–270
80	त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	271–275
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	276–280
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	281–284
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	285–286

परिशिष्ट

पृष्ठ सख्त्या

परिशिष्ट—I	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियाँ	288—289
परिशिष्ट—II	मुख्य शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में अंतरण की गई राशियों का अनुदान वार एवं योजना वार विवरण	290

प्रस्तावना

वर्ष 2012–13 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ सलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में—

मूल मूल अनुदान या विनियोग का घोतक है।

पूरक पूरक अनुदान या विनियोग का घोतक है।

पुनर्विं. सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का घोतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
		(₹ हजार में)		
.	ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा			
	राजस्व—			
	प्रभारित	15,42,54,49	13,53,48,78	1,89,05,71 ..
..	लोक ऋण			
	पूंजीगत—			
	प्रभारित	12,46,91,43	10,39,28,89	2,07,62,54 ..
01.	सामान्य प्रशासन			
	राजस्व—			
	दत्तमत	1,11,72,58	87,60,53	24,12,05 ..
	प्रभारित	13,70,11	10,60,44	3,09,67 ..
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	15,00	..	15,00 ..
02.	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय			
	राजस्व—			
	दत्तमत	14,80,04	10,70,58	4,09,46 ..
03.	पुलिस			
	राजस्व—			
	दत्तमत	17,81,20,42	16,72,86,47	1,08,33,95 ..
	प्रभारित	31,00	30,84	16 ..
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	31,65,00	30,40,00	1,25,00 ..
04.	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय			
	राजस्व—			
	दत्तमत	17,28,93	8,30,64	8,98,29 ..
05.	जेल			
	राजस्व—			
	दत्तमत	83,30,08	72,14,01	11,16,07 ..
	प्रभारित	10	..	10 ..
06.	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय			
	राजस्व—			
	दत्तमत	26,48,95,94	24,52,18,30	1,96,77,64 ..
	प्रभारित	17,39	26,49	.. 9,10
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	12,11	(-)80,32	92,43 ..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
07. वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	1,79,18,28	1,41,67,10	37,51,18	..
प्रभारित	60,03,55	60,00,00	3,55	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	1,46,44	1,46,44
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
राजस्व—				
दत्तमत	4,16,88,88	2,58,28,08	1,58,60,80	..
प्रभारित	5,26	5,00	26	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	20,00	..	20,00	..
09. राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	9,36,74	4,53,29	4,83,45	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	4,00	..	4,00	..
10. वन				
राजस्व—				
दत्तमत	6,71,56,18	5,98,15,66	73,40,52	..
प्रभारित	20,60,25	19,72,94	87,31	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	19,30,00	6,66,15	12,63,85	..
11. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	88,41,04	74,42,83	13,98,21	..
प्रभारित	35	..	35	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	37,80,01	26,17,30	11,62,71	..
प्रभारित	15,00	..	15,00	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
12. उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	9,17,58,47	8,24,39,76	93,18,71	..
प्रभारित	1,01,00,00	84,33,79	16,66,21	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	11,04,00,00	7,04,00,00	4,00,00,00	..
13. कृषि				
राजस्व—				
दत्तमत	6,72,39,85	6,14,97,57	57,42,28	..
प्रभारित	6,85	..	6,85	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	1,50,50,00	1,50,46,88	3,12	..
14. पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	2,35,83,39	2,06,47,28	29,36,11	..
प्रभारित	15	..	15	..
15. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	1,35,54,84	1,03,25,15	32,29,69	..
16. मछली पालन				
राजस्व—				
दत्तमत	30,96,97	30,81,46	15,51	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	25,10	24,96	14	..
17. सहकारिता				
राजस्व—				
दत्तमत	1,90,65,32	1,41,25,74	49,39,58	..
प्रभारित	15	..	15	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	60,58,03	57,54,58	3,03,45	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
18. श्रम				
राजस्व—				
दत्तमत	70,38,64	44,51,63	25,87,01	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	3,40,00	1,03,96	2,36,04	..
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	6,72,54,80	5,82,71,72	89,83,08	..
प्रभारित	16,50	..	16,50	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	13,09,00	6,20,00	6,89,00	..
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
राजस्व—				
दत्तमत	2,99,87,94	2,69,10,26	30,77,68	..
प्रभारित	10,00	..	10,00	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	47,30,20	29,71,19	17,59,01	..
21. आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	85,29,79	26,66,24	58,63,55	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	3,64,55,00	1,85,95,79	1,78,59,21	..
22. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय				
राजस्व—				
दत्तमत	3,57,95	2,86,38	71,57	..
प्रभारित	10	..	10	..
23. जल संसाधन विभाग				
राजस्व—				
दत्तमत	3,05,67,54	2,99,93,39	5,74,15	..
प्रभारित	1,10	..	1,10	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	4,14,16,25	2,77,90,53	1,36,25,72	..
प्रभारित	25,00	19,31	5,69	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
24. लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल				
राजस्व—				
दत्तमत	6,63,93,90	6,42,70,61	21,23,29	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	8,45,80,00	7,72,17,41	73,62,59	..
प्रभारित	5,52,30	5,34,22	18,08	..
25. खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	1,66,45,35	1,57,31,85	9,13,50	..
प्रभारित	50	..	50	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	82,00,00	..	82,00,00	..
26. संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	16,88,63	14,83,75	2,04,88	..
27. स्कूल शिक्षा				
राजस्व—				
दत्तमत	26,51,82,35	20,58,88,36	5,92,93,99	..
प्रभारित	3,20	1,55	1,65	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	41,73,31	21,19,51	20,53,80	..
28. राज्य विधान मण्डल				
राजस्व—				
दत्तमत	31,10,75	18,23,77	12,86,98	..
प्रभारित	63,20	23,07	40,13	..
29. न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन				
राजस्व—				
दत्तमत	1,66,94,00	1,26,34,10	40,59,90	..
प्रभारित	33,45,80	20,96,98	12,48,82	..
30. पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	4,94,28,33	4,29,07,07	65,21,26	..
प्रभारित	1,00	..	1,00	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	5,03,05,02	1,01,59,14	4,01,45,88	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
31. योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	33,61,62	25,23,26	8,38,36	..
प्रभारित	40	..	40	..
32. जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	74,38,30	72,26,80	2,11,50	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	2,00	2,00
33. आदिम जाति कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	11,05,79,00	8,40,49,85	2,65,29,15	..
प्रभारित	1,00	..	1,00	..
34. समाज कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	52,47,80	43,99,23	8,48,57	..
प्रभारित	40	..	40	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	10,00	10,00
35. पुनर्वास				
राजस्व—				
दत्तमत	1,62,19	1,19,56	42,63	..
36. परिवहन				
राजस्व—				
दत्तमत	39,14,83	23,97,06	15,17,77	..
प्रभारित	20,10	11,64	8,46	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	10,00,00	7,00,00	3,00,00	..
37. पर्यटन				
राजस्व—				
दत्तमत	41,58,50	41,58,50
पूंजीगत—				
दत्तमत	28,00,00	8,00,00	20,00,00	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	10,24,42,84	10,13,66,07	10,76,77	..
प्रभारित	50	..	50	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	6,40,17,31	5,63,67,49	76,49,82	..
40. आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	5,09,48	5,15,89	..	6,41
प्रभारित	20	..	20	(₹ 6,40,784)
पूंजीगत—				
दत्तमत	56,70,00	56,20,86	49,14	..
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
राजस्व—				
दत्तमत	36,93,36,78	30,64,30,17	6,29,06,61	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	19,37,09,07	12,02,74,72	7,34,34,35	..
प्रभारित	15,00	8,97	6,03	..
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल				
पूंजीगत—				
दत्तमत	4,59,90,00	2,25,09,52	2,34,80,48	..
प्रभारित	2,50,00	..	2,50,00	..
43. खेल और युवा कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	1,01,90,05	68,94,19	32,95,86	..
प्रभारित	15	..	15	..
44. उच्च शिक्षा				
राजस्व—				
दत्तमत	4,34,51,70	2,87,98,03	1,46,53,67	..
प्रभारित	70	..	70	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
राजस्व—				
दत्तमत	45,83,45	46,55,78	..	72,33 (₹ 72,33,183)
पूंजीगत—				
दत्तमत	6,02,50,01	4,99,90,58	1,02,59,43	..
46. विज्ञान और टेक्नालॉजी				
राजस्व—				
दत्तमत	12,59,00	8,18,62	4,40,38	..
47. तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग				
राजस्व—				
दत्तमत	1,65,82,00	1,01,36,02	64,45,98	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	24,98,00	3,26,02	21,71,98	..
48. तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान				
राजस्व—				
दत्तमत	4,24,86,08	2,63,53,86	1,61,32,22	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	3,68,57,53	2,77,70,23	90,87,30	..
49. अनुसूचित जाति कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	47,75,80	45,43,86	2,31,94	..
50. बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	1,86,75	1,62,11	24,64	..
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
राजस्व—				
दत्तमत	6,79,30	5,95,39	83,91	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
53. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	60,77,79	59,05,00	1,72,79	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	35,00,00	30,00,00	5,00,00	..
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	81,50,00	71,00,00	10,50,00	..
55. महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	7,39,29,62	5,82,85,25	1,56,44,37	..
प्रभारित	10	7,79	..	7,69
			(₹ 7,68,671)	
पूंजीगत—				
दत्तमत	5,99,00	5,85,31	13,69	..
56. ग्रामोद्योग				
राजस्व—				
दत्तमत	63,08,40	57,03,33	6,05,07	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	2,23,39	2,13,27	10,12	..
57. जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
पूंजीगत—				
दत्तमत	32,17,00	17,59,20	14,57,80	..
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	3,97,23,52	2,59,62,23	1,37,61,29	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	20,00	..	20,00	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
59. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
राजस्व—				
दत्तमत	2,75,23	1,19,88	1,55,35	..
60. जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	76,00	25,76	50,24	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	52,00,00	51,94,66	5,34	..
64. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
राजस्व—				
दत्तमत	12,11,06,83	9,26,63,47	2,84,43,36	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	10,84,46,22	7,69,70,41	3,14,75,81	..
65. विमानन विभाग				
राजस्व—				
दत्तमत	54,82,74	51,60,13	3,22,61	..
प्रभारित	10	..	10	..
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	1,11,39,40	92,00,90	19,38,50	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	1,37,50	1,22,80	14,70	..
67. लोक निर्माण कार्य—भवन				
राजस्व—				
दत्तमत	3,22,76,33	2,96,85,01	25,91,32	..
प्रभारित	40,00	13,11	26,89	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	3,47,78,11	1,98,64,17	1,49,13,94	..
68. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन				
पूंजीगत—				
दत्तमत	1,82,37,60	1,08,13,85	74,23,75	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
69. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	3,17,05,67	88,13,01	2,28,92,66	..
71. सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी				
राजस्व—				
दत्तमत	66,52,92	47,08,00	19,44,92	..
75. जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
पूंजीगत—				
दत्तमत	1,45,20,00	1,06,08,86	39,11,14	..
76. लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
पूंजीगत—				
दत्तमत	2,00,00,02	14,30,33	1,85,69,69	..
79. चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	2,58,73,76	2,02,62,73	56,11,03	..
प्रभारित	4,20	..	4,20	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	33,25,00	11,33,64	21,91,36	..
80. त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	26,96,56,26	23,58,82,60	3,37,73,66	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	27,00	15,82	11,18	..
81. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	14,26,63,74	13,19,75,68	1,06,88,06	..
प्रभारित	48,00,00	48,00,00
पूंजीगत—				
दत्तमत	2,01,00,00	1,74,16,60	26,83,40	

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में बचत	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय आधिक्य (₹ हजार में)
82. अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	13,46,65,32	11,95,33,11	1,51,32,21	..
83. अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	1,64,33,45	1,62,83,68	1,49,77	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	95,00,00	95,00,00
योग:				
राजस्व—				
दत्तमत	3,04,69,90,37	2,57,09,37,60	47,61,31,51	78,74 (₹ 78,73,967)
प्रभारित	18,21,60,00	15,98,32,34	2,23,44,37	16,79 (₹ 16,78,484)
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,02,67,49,23	68,01,93,86	34,65,55,37	..
प्रभारित	12,55,48,73	10,44,91,39	2,10,57,34	..
महायोग:				
राजस्व	3,22,91,50,37	2,73,07,70,02	49,84,75,88	95,53 (₹ 95,52,451)
पूँजीगत	1,15,22,97,96	78,46,85,25	36,76,12,71	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में अनुदान एवं विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक हैः—
अनुदान संख्या और नाम—

अनुभाग

दत्तमत— अनुदान

40—आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व ..
45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व ..
प्रभारित—विनियोग	
06—वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व ..
55—महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व ..

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है। उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियाँ शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2012–13 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
(₹ हजार में)				

विनियोग लेखे के अनुसार

कुल व्यय	2,57,09,37,60	15,98,32,42	68,01,93,86	10,44,91,39
----------	---------------	--------------------	-------------	--------------------

घटाइये—वसूलियों का जोड़	3,35,86,14	..	24,51	..
-------------------------	------------	----	-------	----

वित्त लेखे के 10—दत्तमत एवं भारित व्यय के विवरण में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	2,53,73,51,46	15,98,32,42	68,01,69,35	10,44,91,39
---	----------------------	--------------------	-------------	--------------------

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट—I में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान से दस प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान के अन्तर्गत हुआ :—

(क) दत्तमत अनुदानः—

पूंजीगत :— अनुदान संख्या.

प्रावधान से दस प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुई :—

(क) दत्तमत अनुदानः—

(i) राजस्व :— अनुदान संख्या— 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 64, 66, 69, 71, 79, 80 एवं 82

(ii) पूंजीगत :— अनुदान संख्या— 01, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 53, 57, 58, 64, 66, 67, 68, 75, 76, 79, 80 एवं 81

(ख) प्रभारित विनियोग :—

(i) राजस्व :— अनुदान संख्या— व्याज अदायगी एवं ऋण सेवाएं, 01, 05, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 56, 64, 65, 67 एवं 79

(ii) पूंजीगत :— अनुदान संख्या— लोक ऋण, 11, 23, 41 एवं 42

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित की गई है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन है जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक् रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूं कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियां के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

हस्ता—

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

दिनांक : 30 अक्टूबर 2013

स्थान : नई दिल्ली

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष –

2048—ऋण घटाने या उसका परिहार
करने के लिए विनियोजन

2049—ब्याज अदायगियाँ

राजस्व	15,42,54,49	13,53,48,78	(—)1,89,05,71 1,84,36,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

(i) ₹ 1,89,05.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 1,84,36.65 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)

(1) 2049—01—101—2199—नया बाजार ऋण—

मूल	50,00.00	..
पुनर्वि.	(—)45,30.93	4,69.07

₹ 45,30.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005—06 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2049—01—101—5426—7.80 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ राज्य विकास

ऋण 2012—

मूल	2,20.00	..
पुनर्वि.	(—)2,20.00	..

₹ 2,20.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(3) 2049—01—101—5669—6.75 प्रतिशत—

छत्तीसगढ़ राज्य विकास

ऋण 2013—

मूल	7,78.00	..
पुनर्वि.	(—)3,89.18	3,88.82

(4) 2049—01—123—4854—केन्द्रीय सरकार की

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

पर ब्याज—

मूल	5,40,00.00	..
पुनर्वि.	(—)62,37.89	4,77,62.11

4,77,62.11

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 3,89.18 लाख एवं ₹ 62,37.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा— जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(5) 2049-01-200-3087—भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज—			
मूल 21,00.00 पुनर्वि. (-) 21,00.00			
₹ 21,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत बजट अनुमान प्रत्याशा (₹ 4,69.06 लाख) से अधिक होने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 16,30.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005-06 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2049-01-200-3089—भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज—			
मूल 10,80.00 पुनर्वि. (-) 10,80.00			
₹ 10,80.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005-06 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2049-01-200-3732—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गए ऋणों पर ब्याज—			
मूल 45,00.00 पुनर्वि. (-) 1,20.05	43,79.95	43,79.95	
(8) 2049-01-200-4486—सामान्य बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज—			
मूल 4,80.00 पुनर्वि. (-) 4,26.55	53.45	53.45	
(9) 2049-03-104-4487—सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज—			
मूल 2,50,00.00 पुनर्वि. (-) 21,96.09	2,28,03.91	2,28,03.91	
(10) 2049-04-101-3707—राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज—			
मूल 1,05,00.00 पुनर्वि. (-) 12,28.90	92,71.10	92,71.10	
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,20.05 लाख, ₹ 4,26.55 लाख, ₹ 21,96.09 लाख, एवं ₹ 12,28.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7), (9) तथा (10) एवं 2005-06 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2049-60-101-6802—परिभाषित अंशदायी पेशन योजना पर ब्याज—			
मूल 1,00.00 पुनर्वि. (-) 1,00.00			
₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत—
(12) 2049-60-701-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर व्याज)—			..
मूल 38,61.00 पुनर्वि. (-) 57.59	38,03.41	38,03.41	..
(13) 2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर व्याज—			..
मूल 6,28.70 पुनर्वि. (-) 61.03	5,67.67	5,67.67	..
(14) 2049-60-701-990-क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड्स पर व्याज—			..
मूल 18,50.00 पुनर्वि. (-) 1,04.37	17,45.63	17,45.63	..

उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत ₹ 57.59 लाख की प्रत्याशित बचत बजट अनुमान प्रत्याशा से अधिक होने के कारण सूचित की गई हैं। कम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 61.03 लाख एवं ₹ 1,04.37 लाख के प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (12) एवं 2008–09 से 2011–12 के दौरान भी कम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकरण+ बचत—
(1) 2049-01-101-5436-7.80 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2012-			
मूल 6,04.00 पुनर्विं. 2,20.15	8,24.15	8,24.15	..
(2) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज—			
मूल 3,00.00 पुनर्विं. 1,42.10	4,42.10	4,42.10	..
(3) 2049-03-104-95-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज—			
मूल 1,00.00 पुनर्विं. 83.30	1,83.30	1,83.30	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,20.15 लाख, ₹ 1,42.10 लाख एवं ₹ 83.30 लाख, के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन बजट अनुमान प्रत्याशा से कम होने के कारण सूचित की गई हैं। 2011–12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत तथा 2009–10 से 2011–12 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष –

6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

6004–केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

पूँजीगत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	12,46,91,43	10,39,28,89
		(—)2,07,62,54 2,07,62,54

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत:

(i) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय
		आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)

(1) 6003–103–8140–भारतीय जीवन बीमा निगम
से उधार—

मूल	15,00.00	..
पुनर्वि.	(—)15,00.00	..

₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।
2007–08 से 2011–12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

(2) 6003–105–3731–राष्ट्रीय कृषि और
ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय
कृषि ऋण निधि से कर्ज—

मूल	1,50,00.00	..
पुनर्वि.	(—)33,87.54	1,16,12.46
		1,16,12.46

₹ 33,87.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(3) 6003–110–637–उपाय तथा साधन अग्रिम—

मूल	90,00.00	..
पुनर्वि.	(—)90,00.00	..

₹ 90,00.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान के अनुसार व्यय नहीं किए जाने (₹ 24,14,32 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 65,85.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007–08 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 6003–110–779–कमियों की पूर्ति
के लिए अग्रिम—

मूल	90,00.00	..
पुनर्वि.	(—)90,00.00	..

₹ 90,00.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।
2007–08 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

लोक ऋण—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(5) 6003—111—5670—केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां—			
मूल 2,38,17.70 पुनर्वि. (—)95.20	2,37,22.50	2,37,22.50	..

(6) 6004—02—101—3052—ब्लाक कर्जे—

मूल 51,00.00 पुनर्वि. (—)1,39.48	49,60.52	49,60.52	..
---	----------	----------	----

उपरोक्त कम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 95.20 लाख एवं ₹ 1,39.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (5) एवं 2010—11 तथा 2011—12 के दौरान भी कम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
6004—04—800—4838—मैको मेनेजमेंट वर्किंग प्लान—			

मूल 1,78.72 पुनर्वि. 23,64.61	25,43.33	25,43.33	..
--	----------	----------	----

₹ 23,64.61 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन बजट अनुमान प्रत्याशा से कम होने के कारण सूचित किया गया है।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

2013—मंत्री परिषद

2015—निर्वाचन

2051—लोक सेवा आयोग

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2055—पुलिस

2059—लोक निर्माण कार्य

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं

3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं

7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,01,47,58			
पूरक	10,25,00	1,11,72,58	87,60,53	(—)24,12,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				8,84,77
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित—

मूल	12,62,11			
पूरक	1,08,00	13,70,11	10,60,44	(—)3,09,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,03,93
(31 मार्च 2013)				

पूँजीगत :

दत्तमत	15,00	..	(—)15,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 10,25.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 24,12.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 8,84,77 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं उपलब्ध विनियोग से व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

अनुदान संख्या 01—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2015—101—6262—राज्य निर्वाचन आयोग—

मूल	7,15.00		
पुनर्वि.	(-)3,91.16	3,23.84	3,24.87

₹ 3,91.16 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,59.19 लाख) एवं नक्सल प्रभावित जिलों में अधिकांश पदों पर निर्विरोध चुनाव (₹ 1,43.52 लाख) होने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 88.45 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2004—05 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2052—090—4327—सचिवालय—

मूल	33,46.90		
पूरक	25.00		
पुनर्वि.	(-)20.00	33,51.90	26,09.20

₹ 20.00 लाख की प्रत्याशित बचत मंहगाई भत्ते के व्यय में कमी होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005—06 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2052—090—5053—राज्य स्थापना दिवस

समारोह हेतु—

मूल	2,00.00		
पूरक	10,00.00	12,00.00	7,13.98

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2052—091—458—आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन

नई दिल्ली का कार्यालय—

मूल	8,12.20		
पुनर्वि.	(-)1,15.24	6,96.96	6,92.32

₹ 1,15.24 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 16.00 लाख), यात्रा कार्यक्रमों में कमी (₹ 1.33 लाख), अनुरक्षण कार्य के व्यय में कमी (₹ 36.15 लाख), विद्युति करण का कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए जाने (₹ 14.89 लाख) एवं अतिथियों की संख्या में कमी (₹ 10.76 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 36.11 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005—06 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2055—101—4544—सी.आई.डी.—

(इकॉनामिक अफेन्सेस)—

मूल	3,20.60		
पुनर्वि.	(-)1,24.57	1,96.03	1,96.02

₹ 1,24.57 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,15.40 लाख) एवं आर्थिक उपायों को अपनाने (₹ 2.32 लाख) के कारण सूचित की गई है। ₹ 6.85 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(6) 2055—101—5461—एन्टी करण ब्यूरो—			
मूल	3,53.40		
पुनर्वि.	(—)80.63	2,72.77	2,72.63
			(—)0.14
₹ 80.63 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 70.56 लाख), यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने (₹ 1.12 लाख) एवं आर्थिक उपायों के अपनाने (₹ 8.95 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2070—104—5405—लोक आयोग	1,83.00	1,22.39	(—)60.61
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2070—104—5460—विशेष अन्वेषण स्थापना (एस.आई.ई.)—			
मूल	1,10.35		
पुनर्वि.	(—)73.90	36.45	34.71
			(—)1.74
₹ 73.90 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ लोक आयोग के विशेष सर्तकता स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 3451—090—4327—सचिवालय	8,50.50	6,87.35	(—)1,63.15
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

प्रभारित—

(iv) कुल व्यय मूल विनियोग से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 1,00.00 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 8.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,08.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) ₹ 3,09.67 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध में 31 मार्च 2013 केवल ₹ 3,03.93 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2012—03—090—4330—सचिवालय—			
मूल	2,48.51		
पुनर्वि.	(—)33.87	2,14.64	2,25.69
			+11.05
₹ 33.87 लाख की प्रत्याशित बचत वाहन क्रय नहीं किए जाने (₹ 6.68 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 27.19 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2012—03—103—9059—घरेलू कर्मचारी—			
मूल	2,28.45		
पूरक	8.00		
पुनर्वि.	(—)10.11	2,26.34	2,15.58
			(—)10.76
₹ 10.11 लाख की प्रत्याशित बचत विनियोग में ₹ 5.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 15.11 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 01—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	----------------	---------------------------------	-------------------

(3) 2012—03—800—3609—अन्य व्यय—

मूल	16.55		
पुनर्वि.	(—)12.46	4.09	4.06

₹ 12.46 लाख की प्रत्याशित बचत लोक निर्माण विभाग से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2051—102—3689—राज्य लोक सेवा आयोग—

मूल	6,94.60		
पूरक	1,00.00		
पुनर्वि.	(—)2,32.85	5,61.75	5,65.74

₹ 2,32.85 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 15.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध में वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
7610—800—9439—मंत्रियों को चिकित्सा अग्रिम	15.00	..	(—)15.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिकर्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	--------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं
- 2053—जिला प्रशासन
- 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं
- 2075—विविध सामान्य सेवाएं
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2250—अन्य सामाजिक सेवाएं

राजस्व:

मूल	11,65,75			
पूरक	3,14,29	14,80,04	10,70,58	(—)4,09,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,32,95
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 (₹ 2,64.29 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,14.29 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 4,09.46 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 3,32.95 लाख का अभ्यर्पण व्यय के प्रवाह पर अप्र्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	--------------------

(1) 2052—092—6705—राज्य सूचना आयोग—

मूल	2,39.25		
पुनर्वि.	(—)75.86	1.63.39	1,64.34
			+0.95

₹ 75.86 लाख की प्रत्याशित बचत नियमित कर्मचारियों की संख्या में कमी (₹ 47.03 लाख), दौरे में कमी (₹ 6.87 लाख) एवं अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 2.65 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 19.31 लाख, की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिकर्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2070—800—5079—विशेष जॉन्च आयोग—

मूल	15.00		
पूरक	33.00		
पुनर्वि.	(—)41.00	7.00	7.00

₹ 41.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(3) 2235—60—107—4674—स्वतन्त्रता संग्राम

सेनानियों को भत्ते तथा उपादान—

मूल	1,11.00		
पुनर्वि.	(—)93.05	17.95	1.11

(—)16.84

अनुदान संख्या 02 समाप्त

₹ 93.05 लाख की प्रत्याशित बचत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन राशि केन्द्र सरकार द्वारा राशि बैंक को सीधे प्रेषित किए जाने के साथ ही केन्द्रांश एवं राज्यांश दोनों का भुगतान बैंक द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006–07 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
	(₹ लाख में)		

(4) 2235–60–800–7297—लोक नायक जय
प्रकाश नारायण सम्मान निधि—

मूल	3,50.00		
पूरक	1,03.74		
पुनर्वि.	(–)1,06.67	3,47.07	2,40.13

₹ 1,06.67 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ मीसा बंदियों को पेंशन वितरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009–10 एवं 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
	(₹ लाख में)		
2235–60–800–1982—दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता—			

मूल	1,50.00		
पूरक	1,00.00	2,50.00	3,34.43
			+84.43

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 03—पुलिस

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2055—पुलिस

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	17,29,10,98			
पूरक	52,09,44	17,81,20,42	16,72,86,47	(-)1,08,33,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित		31,00	30,84	(-)16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	21,25,00			
पूरक	10,40,00	31,65,00	30,40,00	(-)1,25,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियां				

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (₹ 26,70.64 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 25,38.80 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 52,09.44 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,08,33.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध कोई भी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया जाना त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन के साथ ही व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2055—001—3680—राज्य मुख्यालय—

मूल	33,48.60			
पूरक	1,50.00			
पुनर्वि.	(-)1,99.00	32,99.60	32,84.41	(-)15.19

₹ 1,99.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2055—003—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—सामान्य—

195—अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं—

मूल	3,00.00			
पूरक	55.64	3,55.64	1,18.94	(-)2,36.70

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2055—101—279—अभियोजन संचालनालय	10,57.05	9,57.88	(—)99.17
उपरोक्त कम संख्या (2) एवं (3)के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी उपरोक्त कम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2055—104—4492—सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)–			
मूल	4,85,93.50		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(—)9,22.00	4,76,71.50	4,76,45.18
₹ 9,22.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 9,60.00 लाख की कमी एवं ₹ 38.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधियों में वृद्धि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घायल एवं गम्भीर रूप से बीमार कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों के भुगतान के कारण सूचित की गई है। ₹ 9,60.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2055—104—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7307—विशेष अधोसंरचना विकास योजना	20,00.00	15,32.98	(—)4,67.02
(6) 2055—108—5067—विधि चिकित्सा विज्ञान—			
मूल	5,07.00		
पूरक	सांकेतिक	5,07.00	2,08.50
पुनर्वि.			(—)2,98.50
उपरोक्त कम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 तक उपरोक्त कम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान कम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2055—109—121—केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती—			
मूल	5,50.00		
पुनर्वि.	(—)33.00	5,17.00	3,16.39
₹ 33.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			(—)2,00.61
(8) 2055—109—4491—सामान्य व्यय (जिला स्थापना)–			
मूल	8,89,48.27		
पूरक	12,21.20		
पुनर्वि.	(—)23,61.00	8,78,08.47	8,48,07.30
₹ 23,61.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 6,39.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 30,00.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधियों में वृद्धि सूबेदारों, उप निरीक्षकों, लाटून कमांडरों एवं सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया (₹ 40.00 लाख), बिजली की दरों में वृद्धि एवं थानों/चौकियों के उन्नयन (₹ 1,00.00 लाख) एवं पैट्रोल, नक्सली कार्यवाही तथा नये मंत्रालय में पुलिस मुख्यालय की स्थापना (₹ 4,99.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। ₹ 30,00.00 लाख कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			(—)30,01.17
(9) 2055—109—6717—प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा सम्बंधी व्यय—			
मूल	54,55.00		
पूरक	2,00.00		
पुनर्वि.	3,59.00	60,14.00	55,63.57
			(—)4,50.43

अनुदान संख्या 03—जारी

₹ 3,59.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन व्यय के विरुद्ध कम बजट प्रावधान किए जाने (₹ 1,60.00 लाख), नक्सली क्षेत्र में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल के शिविर हेतु सौर्य ऊर्जा उपकरण क्य किए जाने (₹ 99.00 लाख) शेष ₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008–09 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	बचत(—)	(₹ लाख में)

(10) 2055–113–7244—बीमा विकल्प अनुदान—

मूल	10,00.00	3,61.00	3,53.00
पुनर्वि.	(-)6,39.00		(-)8.00

₹ 6,39.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(11) 2055–114–4155—बेतार केन्द्र रायपुर 25,15.55 20,36.88 (−)4,78.67

(12) 2055–115–2643—पुलिस बल का आधुनिकीकरण 60,00.00 17,38.98 (−)42,61.02

उपरोक्त कम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008–09 से 2011–12 तक उपरोक्त कम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2007–08 से 2011–12 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2070–107–2710—प्रधान सेनानी का कार्यालय

तथा अधीनस्थ कार्यालय—

मूल	13,53.50	12,50.83	10,11.46
पूरक	45.00		
पुनर्वि.	(-)1,47.67		(-)2,39.37

₹ 1,47.67 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009–10 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2070–107–492—आव्हान पर होने वाला व्यय—

मूल	57,70.00	79,17.67	76,37.13
पूरक	20,00.00		
पुनर्वि.	1,47.67		(-)2,80.54

₹ 1,47.67 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन बजट प्रावधान कम किए जाने, मानदेय में वृद्धि एवं अनाज पर व्यय होने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008–09 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2070–107–5544—होमगार्ड बल

का आधुनिकीकरण	1,90.00	..	(−)1,90.00
---------------	---------	----	------------

संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2004–05 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03— समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2055–003–195—अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं—			

मूल	22,69.30		
पूरक	1,92.60		
पुनर्वि.	38,00.00	62,61.90	56,79.17

₹ 38,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अधिकारियों एवं कर्मचारियों लिए बैरक बनाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(2) 2055–111–2531—पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द
(रेल पुलिस—पूर्व अनुभाग)—

मूल	17,22.90		
पुनर्वि.	10.00	17,32.90	17,90.62

₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन घायल तथा गम्भीर रूप से बीमार कर्मचारियों के चिकित्सा दावों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2055–109–4491—सामान्य व्यय— (जिला स्थापना)			

मूल	25.00	30.84	+5.84
-----	-------	-------	-------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 1,25.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4055–208–4491—सामान्य व्यय (जिला स्थापना)—			

मूल	75.00		
पूरक	5,00.00	5,75.00	5,00.00

(2) 4055–208–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2629—पुलिस	20,50.00	20,00.00	(−)50.00
---	----------	----------	----------

उपरोक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007–08 से 2011–12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिकय+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2013—मंत्री परिषद्

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216—आवास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांखिकी

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	17,18,93			
पूरक	10,00	17,28,93	8,30,64	(—) 8,98,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 8,98.29 लाख की उपलब्ध बचत का समर्पण नहीं किया जाना विनियोग के विरुद्ध व्यय के प्रवाह पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2013—800—9261—अन्य व्यय—

मूल	90.00		
पूरक	10.00	1,00.00	82.51

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(2) 2070—106—0801—7465—रिवेमिंग ऑफ

सिविल डिफेंस	86.00	..	(—) 86.00
--------------	-------	----	-----------

संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2216—80—001—5347—संपदा संचालनालय

25.20	11.50	(—) 13.70
-------	-------	-----------

(4) 2235—60—200—2653—पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए

अनुदान, सहायक अनुदान	5,00.00	3,39.09	(—) 1,60.91
----------------------	---------	---------	-------------

(5) 2235—60—200—6704—जनजागरण अभियान

5,00.00	1,00.00	(—) 4,00.00
---------	---------	-------------

उपरोक्त कम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 तक उपरोक्त कम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत एवं 2009—10 से 2011—12 तक कम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2235-60-200-7495—अपराध पीड़ितों के के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति	1,00.00	..	(-)1,00.00
संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2235-60-200-9262—जिला सैनिक बोर्ड	3,51.20	2,50.33	(-)1,00.87
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 तक इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 05—जेल

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2056—जेल

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	78,03,38			
पूरक	5,26,70	83,30,08	72,14,01	(—)11,16,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2013)				11,40.62

प्रभारित	10	..	—10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2013)			10

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (₹ 85.86 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 4,40.84 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 5,26.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ है।

(ii) ₹ 11,16.07 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को किया ₹ 11,40.62 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(₹ लाख में)

(1) 2056—101—938—केन्द्रीय एवं जिला जेलें—

मूल	73,49.28			
पूरक	4,76.70			
पुनर्वि.	(—)11,31.96	66,94.02	67,37.36	+43.34

₹ 11,31.96 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2056—102—1524—जेल उत्पादन—

मूल	3,00.00			
पूरक	50.00	3,50.00	3,30.00	—20.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं
- 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
- 2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन
- 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं
- 2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2435—अन्य कषि कार्यक्रम
- 2885—उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय
- 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय
- 7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि
- 7810—अन्तर्राजीय निपटारा

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	26,46,29,34				
पूरक	2,66,60	26,48,95,94	24,52,18,30	(−)1,96,77,64	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					..
प्रभारित		17,39	26,49	+9,10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					..
पूँजीगत		12,11	(−)80.32	(−)92.43	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					..
टीका एवं टिप्पणियां					

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 1,16.60 लाख), दिसम्बर 2012 (₹ 1,00.00 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,66.60 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिरद्ध हुआ यह त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,96,77.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध अभ्यर्पण नहीं किया जाना विनियोग के विरुद्ध व्यय के प्रवाह पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
(₹ लाख में)			
(1) 2052—091—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी			
कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	66.00		
पूरक	16.60	82.60	23.09
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			(−)59.51

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(2) 2054–095–2274—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	8,61.25		
पुनर्वि.	(–)17.00	8,44.25	4,86.37
			(–)3,57.88
₹ 17.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2054–095–4307—संभागीय स्थापना	4,47.86	3,26.78	(–)1,21.08
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008–09 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2054–097–1026—कोषालय स्थापना—			
मूल	20,30.90		
पुनर्वि.	17.00	20,47.90	15,63.65
			(–)4,84.25
₹ 17.00 लाख का पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन बी.एस.एन.एल. को नेटवर्किंग के लिए भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2054–098–4361—स्थानीय निधि लेखा	15,28.00	9,02.85	(–)6,25.15
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2054–098–1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी			
कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	70.50	..	(–)70.50
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007–08 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2070–800–224—अन्य व्यय—			
मूल	4,00,00.00		
पुनर्वि.	(–)32,00.00	3,68,00.00	..
			(–)3,68,00.00
₹ 32,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2071–01–104–4590—सेवा एवं मत्यु सह			
सेवा निवृति उपादान	3,32,17.41	2,55,11.09	(–)77,06.32
(9) 2071–01–115–5438—अवकाश नगदीकरण	1,64,84.29	97,57.70	(–)67,26.59
(10) 2435–60–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त			
करण हेतु ब्याज अनुदान	7,00.00	4,42.67	(–)2,57.33
(11) 2435–60–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8671—लघु एवं सीमान्त कृषक			
ऋण माफी योजना	1,00.00	0.15	(–)99.85
(12) 2885–60–190–4843—अधोसंरचना			
विकास निगम	5,30.00	30.00	(–)5,00.00
उपरोक्त कम संख्या (8) से (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (10) एवं 2011–12 के दौरान कम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 06—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2071—01—101—2413—सेवानिवृत वेतन भोगियों को देय	11,76,71.73	14,86,91.50	+3,10,19.77
(2) 2071—01—105—2514—परिवार पेशन	3,87,78.19	4,21,41.98	+33,63.79
(3) 2071—01—111—4010—विधायकों को पेशन	2,95.55	5,10.49	+2,14.94

उपरोक्त कम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (1) एवं 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2071—01—117—6801—राज्य शासन का अंशदान—

मूल	92,00.00		
पुनर्वि	32,00.00	1,24,00.00	(—)6,22.42

₹ 32,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अंशदायी पेशन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण सरकार के अंशदान में वृद्धि के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(5) 2235—60—200—7000—पेशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	20.00	2,20.80	+2,00.80
--	-------	---------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(v) विनियोग से हुए ₹ 9,03,813 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) विनियोग में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2071—01—106—600—निवृत न्यायालयों के न्यायधीशों के देयक	15.10	26.49	+11.39
---	-------	-------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 80.32 लाख का ऋणात्मक व्यय मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य ब्याज राशि को समायोजित करने के कारण सूचित की गई है।

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 7610—201—9085—अन्य शासकीय सेवकों को भवन निर्माण अग्रिम	5.50	..	(—)5.50
---	------	----	---------

अनुदान संख्या 06—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 7610—204—5274—अन्य शासकीय सेवकों को कम्प्यूटर क्य करने हेतु अग्रिम	5.50	..	(—)5.50
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 7810—122—5675—मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य अन्तर्राज्यीय समायोजन	1.10	(—)80.32	(—)81.42
अंतिम बचत ऋणात्मक व्यय मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य ब्याज राशि को समायोजित करने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण
2039—राज्य उत्पाद शुल्क
2040—बिन्ही, व्यापार आदि पर कर
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
4216—आवास पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,65,01,89			
पूरक	14,16,39	1,79,18,28	1,41,67,10	(—)37,51,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				25,77,65
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	60,03,55	60,00,00	(—)3.55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3,05
(31 मार्च 2013)			

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

दत्तमत	1,46,44	1,46,44	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2012 (₹ 13,87.49 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 28.90 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 14,16.39 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 37,51.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 25,77.65 लाख का अभ्यर्पण कमज़ोर बजट प्रबंधन बजट एवं विनियोग के विस्त्र व्यय के प्रवाह पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2039—001—122—अधीक्षण—

मूल	15,51.30		
पूरक	28.90		
पुनर्वि.	(—)1,97.39	13,82.81	13,97.83

+15.02

₹ 1,97.39 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2039—001—1470—जिला कार्यपालिक स्थापना—

मूल	28,45.84		
पुनर्वि.	(—)3,13.05	25,32.79	26,18.44

+85.65

₹ 3,13.05 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(3) 2039—103—1111—अबकारी सामग्री की खरीद—			
मूल	3,22.00		
पुनर्वि.	(-)3,20.44	1.56	1.56
₹ 3,20.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2039—102—8629—नये सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर को प्रोत्साहन—			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-)10,00.00		
₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(5) 2039—104—4173—स्पिरिट की खरीद—			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि.	(-)5,01.70	9,98.30	9,37.72
₹ 5,01.70 लाख की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)60.58
(6) 2040—001—3569—मुख्यालय स्थापना व्यय—			
मूल	6,61.20		
पूरक	3,00.00		
पुनर्वि.	(-)68.75	8,92.45	6,67.23
₹ 68.75 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			(-)2,25.22
(7) 2040—001—7419—मिशन मोड परियोजना—			
मूल	0.01		
पूरक	5,37.00		
पुनर्वि.	54.75	5,91.76	3,25.20
₹ 54.75 लाख का पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन मिशन मोड प्रोजेक्ट को राज्यांश का भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)2,66.56
(8) 2040—101—1509—जिला स्थापना—			
मूल	43,40.06		
पुनर्वि.	14.00	43,54.06	27,08.48
₹ 14.00 लाख का पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि एवं राजस्व संग्रहण कार्य हेतु ईंधन भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			(-)16,45.58

अनुदान संख्या 07—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2030—01—102—4612—स्टाम्पों की लागत—

मूल	90.00		
पुनर्वि.	(-)30.41	59.59	1,55.17

₹ 30.41 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(2) 2030—02—101—2456—न्यायिकेतर स्टाम्पों की लागत—

मूल	5,20.00		
पूरक	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)37.98	9,82.02	13,68.22

₹ 37.98 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2030—03—001—1480—जिला प्रभार—

मूल	8,47.50		
पूरक	50.49		
पुनर्वि.	(-)2,93.71	6,04.28	10,56.68

₹ 2,93.71 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(4) 2039—800—4034—विभागीय मंदिरा दुकानों को संचालन—

मूल	22.82		
पुनर्वि.	1,88.67	2,11.49	2,68.76

₹ 1,88.67 लाख का पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 5,01.70 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,13.03 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि एवं कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(v) ₹ 3.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 3.05 लाख की राशि अन्वर्पित की गई।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिकय+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

- 2029—भू—राजस्व
- 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
- 2053—जिला प्रशासन
- 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं
- 2075—विविध सामान्य सेवाएं
- 2216—आवास
- 3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
- 6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	4,05,85,63			
पूरक	11,03,25	4,16,88,88	2,58,28,08	(-)1,58,60,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,41,11,10
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	5,26	5,00	(-)26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			26
(31 मार्च 2013)			

पूँजीगत:

दत्तमत	20,00	..	(-)20,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			20,00
(31 मार्च 2013)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2012 (₹ 1,00.00 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 10,03.25 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,03.25 लाख का अनुपूरक अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,58,60.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 1,41,11.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2029—001—456—आयुक्त, भू अभिलेख

तथा बन्दोबस्त का कार्यालय—

मूल	3,15.11		
पुनर्वि.	(-)63.58	2,51.53	2,48.42

(-)3.11

₹ 63.58 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने, मितव्यी उपायों के अपनाने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण न दिए जाने एवं उपकरणों की मरम्मत एवं रख रखाव में कम व्यय होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2029-102-2193—नजूल स्थापना—			
मूल	5,81.26		
पुनर्वि.	(-)2,46.04	3,35.22	2,97.18
			(-)38.04
₹ 2,46.04 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने, नौ नये जिलों में नवीन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2004-05 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2029-102-2503—परिमापन, व्यवस्थापना			
तथा लेख्य संग्रह संबंधी कार्य—			
मूल	5,20.66		
पुनर्वि.	(-)1,40.92	3,79.74	3,31.15
			(-)48.59
₹ 1,40.92 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने, नौ नये जिलों में नवीन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2029-103-1472—जिला खर्च—			
मूल	1,26,39.83		
पूरक	8,00.00		
पुनर्वि.	(-)19,63.65	1,14,76.18	1,11,89.87
			(-)2,86.31
₹ 19,63.65 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण एवं निविदा कार्यों में विलम्ब होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(5) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
5917—भू अमिलेख कम्प्यूटरीकरण			
योजना का विस्तार—			
मूल	1,54.25		
पुनर्वि.	(-)1,54.25
₹ 1,54.25 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
908—कृषि संगणना—			
मूल	66.93		
पूरक	13.88		
पुनर्वि.	(-)52.69	28.12	30.65
			+2.53
₹ 52.69 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(7) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
9981—लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना			
मनदेय तथा अन्य आकर्षिक व्यय—			
मूल	62.16		
पुनर्वि.	(-)44.81	17.35	15.32
			(-)2.03
₹ 44.81 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(8) 2029—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6337—भू अमिलेख का अद्यतिकरण—			
मूल	14,66.46		
पुनर्वि.	(-)14,66.46		
₹ 14,66.46 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2029—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4729—हवाई सर्वेक्षण की योजना—			
मूल	2,84.86		
पुनर्वि.	(-)2,84.86		
₹ 2,84.86 लाख की प्रत्याशित बचत करार नामा निष्पादित नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2029—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5917—भू अमिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार—			
मूल	5,00.50		
पुनर्वि.	(-)0.50	5,00.00	(-)5,00.00
₹ 0.50 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2029—797—6753—पर्यावरण निधि का अन्तरण—			
मूल	36,00.00		
पुनर्वि.	(-)36,00.00		
(12) 2029—797—6754—अधोसंरचना विकास निधि में अन्तरण—			
मूल	36,00.00		
पुनर्वि.	(-)36,00.00		
उपरोक्त कम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत प्रत्येक ₹ 36,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2052—099—3657—राजस्व बोर्ड—			
मूल	2,27.45		
पुनर्वि.	(-)83.10	1,44.35	1,49.96
₹ 83.10 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त न होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+5.61

अनुदान संख्या 08—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(14) 2053—093—1510—जिला स्थापना—			
मूल	1,56,77.51		
पूरक	4.51		
पुनर्वि.	(-)22,71.37	1,34,10.65	1,26,10.85
			(-)7,99.80

₹ 22,71.37 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2216—03—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7298—नक्सल प्रभावित परिवारों
के लिये आवास योजना—

मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगतः

दत्तमत—

(iv) ₹ 20.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
6401—800—862—कृषक ऋण विधान—			

मूल	20.00
पुनर्वि.	(-)20.00

₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण

4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	8,35,64			
पुनर्वि.	1,01,10	9,36,74	4,53,29	(—)4,83,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित		10	..	(—)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत:

दत्तमत	4,00			(—)4,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियां				..

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,01.10 लाख का अनुपूरक अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को इंगित करता है।

(ii) ₹ 4,87.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2058—001—2286—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय	60.41	31.65	(—)28.76
(2) 2058—102—2820—फार्म का मुद्रण, भण्डारण और वितरण—			
मूल	4,66.99		
पूरक	1,00.00	5,66.99	2,52.95
(3) 2058—102—5659—शासकीय प्रेस रायपुर—	2,06.36	84.89	(—)1,21.47
(4) 2058—104—301—अशासकीय मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य—	20.00	1.66	(—)18.34

उपरोक्त कम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005—06 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त उपरोक्त कम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत तथा 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान कम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 4.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 10—वन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी

4406—वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	6,52,69,18			
पूरक	18,87,00	6,71,56,18	5,98,15,66	(-)73,40,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				55,31,47
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित—

मूल	20,35,25			
पूरक	25,00	20,60,25	19,72,94	(-)87,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				17,86
(31 मार्च 2013)				

पूंजीगत :

दत्तमत—		19,30,00	6,66,15	(-)12,63,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,26,00
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2012 (₹ 2,04.00 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 16,83.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 18,87.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 73,40.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 55,31.47 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं उपलब्ध विनियोग के व्यय पर निगरानी नहीं रखे जाने को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2406—01—001—3555—मुख्यालय—

मूल	11,68.45			
पुनर्वि	(-)1,68.79	9,99.66	9,86.28	(-)13.28

(2) 2406—01—101—2786—प्रादेशिक संभाग—

(क्षेत्रीय वृत)

मूल	9,35.70			
पुनर्वि	(-)2,23.52	7,12.18	7,03.04	(-)9.14

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 1,68.79 लाख एवं ₹ 2,23.52 लाख की प्रत्याशित के पर्याप्त कारणों के साथ अतिम बचत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) शीर्षान्तर्गत एवं 2009—10 एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(3) 2406—01—101—3836—उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार, राष्ट्रीय कृत ईमारती लकड़ी खेर एवं बांस—			
मूल 24,16.55 पुनर्वि. (-)6,61.18	17,55.37	17,98.84	+43.47
₹ 6,61.18 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2406—01—101—3877—क्षेत्रीय वन मण्डल—			
मूल 2,58,75.70 पुनर्वि. (-)38,05.35	2,20,70.35	2,17,95.59	(-)2,74.76
(5) 2406—01—101—812—कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना—			
मूल 7,75.75 पुनर्वि. (-)2,74.67	5,01.08	4,60.89	(-)40.19
(6) 2406—01—101—813—कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन पर खर्च—			
मूल 3,34.95 पुनर्वि. (-)57.34	2,77.61	2,53.77	(-)23.84
(7) 2406—01—102—4475—सामाजिक वानिकी—			
मूल 9,25.00 पुनर्वि. (-)12.55	9,12.45	6,99.32	(-)2,13.13
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 38,05.35 लाख, ₹ 2,74.67 लाख, ₹ 57.34 लाख एवं ₹ 12.55 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2406—01—102—0430—वन विकास निधि— 6699—वन विकास उपकर निधि से व्यय	20,00.00	18,74.69	(-)1,25.31
(9) 2406—01—204—2901—बांस	13,85.00	11,47.88	(-)2,37.12
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2406—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान— पूरक 2,04.00 पुनर्वि. (-)2,04.00
₹ 2,04.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(11) 2406—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य) 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	3,20.00	..	(-)3,20.00

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(12) 2406—02—070—4349—सङ्कों का निर्माण तथा सङ्क पुलों की दुरुस्ती	90.00	..	(—)90.00
(13) 2406—02—070—6218—भवनों की मरम्मत	1,10.00	..	(—)1,10.00

उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (13) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2406—02—110—2899—राष्ट्रीय उद्यान	9,30.70	5,49.34	(—)3,81.36
(15) 2406—01—110—2900—अभ्यारण क्षेत्र	14,55.40	12,33.34	(—)2,22.06
(16) 2406—02—110—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5502—प्रोजेक्ट एलीफेंट	2,50.00	1,15.95	(—)1,34.05
(17) 2406—02—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारणों का विकास	11,75.00	5,37.02	(—)6,37.98

उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (17) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत तथा 2007—08 से 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2406—01—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1859—राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना—			
मूल	1,79.55		
पुनर्वि.	(—)49.61	1,29.94	3,54.27
			+2,24.33
₹ 49.51 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(2) 2406—01—070—4349—सङ्कों का निर्माण तथा सङ्क पुलों की दुरुस्ती	8,00.00	8,83.38	+83.38
(3) 2406—01—070—6218—भवनों की मरम्मत	7,50.00	8,69.77	+1,19.77
(4) 2406—01—203—535—ईमारती लकड़ी	69,75.00	76,78.65	+7,03.65
(5) 2406—02—110—8644—वन्य प्राणी वन वृत्तों की स्थापना	1,00.00	1,36.33	+36.33

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) कुल व्यय मूल विनियोग से कम था दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 25.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 87.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 17.86 लाख का अभ्यर्पण कमजौर बजट प्रबंधन एवं उपलब्ध विनियोग के व्यय पर निगरानी नहीं रखे जाने को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 10—समाप्त

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
2406—01—797—3885—वन विकास निधि अन्तरण (भारित)	20,00.00	19,25.38	(-)74.62

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

पूँजीगतः

दत्तमत—

(viii) ₹ 12,63.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 10,26.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(1) 4406—01—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—
5538—एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना—

मूल	15,00.00			
पुनर्वि.	(-)9,96.00	5,04.00	4,56.13	(-)47.87

₹ 9,96.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4406—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
1859—राज्य वन अनुसंधान संस्थान
की स्थापना—

मूल	2,50.00			
पुनर्वि.	(-)30.00	2,20.00	5.79	(-)2,14.21

₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(x) उपरोक्त टिप्पणी (ix) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4406—01—070—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
4342—सड़कें तथा मकान

निर्माण कार्य	1,80.00	2,04.23	+24.23
---------------	---------	---------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिकर्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2230—श्रम एवं रोजगार

2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग

2852—उद्योग

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	77,57,14			
पूरक	10,83,90	88,41,04	74,42,83	(—)13,98,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				13,93,44
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2013)

पूंजीगत :

दत्तमत

मूल	37,80,00			
पूरक	01	37,80,01	26,17,30	(—)11,62,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,62,70
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2013)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (₹ 10,35.00 लाख), दिसम्बर 2012 (₹ 4.00 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 44.90 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,83.90 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 13,98.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 13,93.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2851—200—1464—जिला औद्योगिक केन्द्र—

मूल	14,46.20			
पूरक	9.00			
पुनर्वि.	(—)5,07.41	9,47.79	9,54.28	+6.49

अनुदान संख्या 11—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(2) 2852—80—001—3370—संचालनालय उद्योग—

मूल	4,24.10		
पूरक	37.40		
पुनर्वि. (—)	1,17.16	3,44.34	3,45.85

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 5,07.41 लाख एवं ₹ 1,17.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5385—नए औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना—

मूल	15,00.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि. (—)	7,00.00	8,00.00	8,00.00

₹ 7,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.35 लाख सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा, एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9219—भू—अर्जन तथा भूमि विकास
क्षतिपूर्ति का भुगतान—

मूल	10,00.00		
पुनर्वि. (—)	9,07.70	92.30	92.30

₹ 9,07.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—2012 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9233—औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में जल प्रदाय—

मूल	2,00.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि. (—)	2,00.00

₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(vi) ₹ 15.00 लाख सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा
 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	3,07,26,68			
पूरक	6,10,31,79	9,17,58,47	8,24,39,76	(—)93,18,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,10,56
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	1,01,00.00	84,33,79	(—)16,66,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	4,00,00,00			
पूरक	7,04,00,00	11,04,00,00	7,04,00,00	(—)4,00,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 93,18.71 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध केवल ₹ 11,10.56 लाख का अभ्यर्पण त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन को इंगित करता है।

(ii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2045—103—3218—उपकार अधिनियम 1982 के अंतर्गत उर्जा विकास निधि को अन्तरण—			
पूरक	84,33.79	84,33.79	..
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			(—)84,33.79
(2) 2045—103—4281—संग्रह प्रभार बिजली शुल्क—			
मूल	6,22.20		
पुनर्वि.	(—)1,35.56	4,86.64	4,97.30
			+10.66

₹ 1,35.56 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 1,26.43 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 9.13 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2801—06—101—0410—उर्जा विकास निधि— 6758—कृषि पम्पों का विद्युतिकरण—			
मूल 1,02,50.00 पुनर्वि. (—)9,75.00	92,75.00	92,75.00	..
₹ 9,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)			

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2501—04—101—0410—उर्जा विकास निधि— 3220—छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान	9,54.15	11,74.15	+2,20.00
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

प्रभारित—

(iv) ₹ 16,66.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्थित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2045—797—3218—उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत उर्जा विकास उपकर का उर्जा विकास निधि को अंतरण 1,00,00.00		84,33.79	(—)15,66.21
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

(2) 2045—797—5597—विद्युत नियामक आयोग के उपयोग एवं बिक्री पर 0.25 प्रतिशत कर का हस्तानांतरण 1,00.00	..	(—)1,00.00
---	----	------------

संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005—06 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 7,04,00.00 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया (₹ 5,00,00.00 लाख) अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था, जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया (₹ 2,04,00.00 लाख) अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 4,00,00.00 की उपलब्ध बचत को वर्ष के दौरान अभ्यर्थित नहीं किया जाना अपर्याप्त बजट प्रबंधन एवं विनियोग के विरुद्ध व्यय के प्रवाह पर नियंत्रण नहीं रखा जाना दर्शाता है।

अनुदान संख्या 12—समाप्त

(viii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
4801—05—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7498—पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण / उत्पादन / वितरण कम्पनी—			
मूल	1,50,00.00		
पूरक	5,00,00.00	6,50,00.00	2,50,00.00
			(—)4,00,00.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(ix) विद्युत / ऊर्जा विकास निधि :-

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर ‘राजस्व शीर्ष’ 0043—विद्युत पर कर एवं शुल्क—800—अन्य प्राप्तियों’ में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष “2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क—103—संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क—3218—उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण” को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2012 को प्रारम्भिक शेष ₹ 16,13.93 लाख नामें था। वर्ष के दौरान ₹ 84,33.79 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2045—103—3218 उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 30,55.00 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2013 को ₹ 69,92.72 लाख की शेष राशि निधि में नामें थी।

इस निधि के लेन—देन “8229—विकास एवं कल्याण निधि—110—ऊर्जा विकास निधि” में सम्मिलित है जिसका लेखा वित्त लेखे 2012—13 के 18—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13—कृषि

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2401—फसल कृषि—कर्म

2402—मृदा तथा जल संरक्षण

4401—फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	6,71,15,70			
पूरक	1,24,15	6,72,39,85	6,14,97,57	(—)57,42,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				60,53,33
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित—

मूल	1,85			
पूरक	5,00	6,85	..	(—)6,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,50
(31 मार्च 2013)				

पूंजीगत :

दत्तमत		1,50,50,00	1,50,46,88	(—)3,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,25
(31 मार्च 2013)				

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,24.15 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 57,42.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 60,53.33 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+ बचत(—)
अनुदान		व्यय	
		(₹ लाख में)	

(1) 2401—001—119—अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृद्ध—

(जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)—

मूल	1,51,77.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(—)34,30.34	1,17,46.66	1,18,50.16	+1,03.50

(2) 2401—001—124—अधीक्षण (जिला स्तर का अमला)—

मूल	4,83.45			
पुनर्वि.	(—)1,76.71	3,06.74	2,98.42	(—)8.32

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(3) 2401-001-4288—निर्देशन (मुख्यालय स्तर का अमला)—			
मूल	5,89.50		
पुनर्वि.	(-)1,67.08	4,22.42	4,14.38
			(-)8.04
(4) 2401-103-898—कृषि प्रदर्शन तथा बीज फार्म—			
मूल	5,51.20		
पुनर्वि.	(-)1,26.65	4,24.55	4,58.12
			+33.57
उपरोक्त कम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 34,30.34 लाख, ₹ 1,76.71 लाख, ₹ 1,67.08 लाख एवं ₹ 1,26.65 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006-07 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (1) एवं 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2401-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
6702—उच्च गुणवता बीज उत्पादन—			
मूल	4,08.25		
पुनर्वि.	(-)31.50	3,76.75	2,27.53
			(-)1,49.22
₹ 31.50 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि विलंब से प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2401-105-7283—छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता—			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	(-)99.85	11,00.15	11,00.15
			..
₹ 99.85 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
5278—राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना—			
मूल	1,33.00		
पूरक	58.15		
पुनर्वि.	(-)1,15.61	75.54	66.41
			(-)9.13
₹ 1,51.61 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(8) 2401-109-867—कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना—			
मूल	1,79.58		
पुनर्वि.	(-)86.98	92.60	93.67
			+1.07
₹ 86.98 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2401-109-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—			
8540—श्री विधि से धान का उत्पादकतावर्धन की योजना—			
मूल	3,50.00		
पुनर्वि.	(-)1,46.96	2,03.04	2,14.92
			+11.88
₹ 1,46.96 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(10) 2401-109-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8541—धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन—	मूल 9,30.00 पुनर्वि. (-)3,77.82	5,52.18	5,41.95 (-)10.23
₹ 3,77.82 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(11) 2401-109-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8542—धान में समन्वित पोषक तत्व उपयोग को बढ़ावा देने फसलों का प्रदर्शन—	मूल 2,12.50 पुनर्वि. (-)45.47	1,67.03	1,45.43 (-)21.60
₹ 45.47 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(12) 2401-110-0101—राज्य आयोजना—(सामान्य)— 7293—मौसम आधारित फसल बीमा योजना— (कार्पस फंड)—	मूल 5,00.00 पुनर्वि. (-)5,00.00
₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत बीमा दावों का भुगतान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(13) 2401-110-0101—राज्य आयोजना—(सामान्य)— 8702—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना— (कार्पस ऑफ फंड) प्रोत्साहन योजना—	मूल 19,00.00 पुनर्वि. (-)16,72.43	2,27.57	2,27.57 ..
₹ 16,72.43 लाख की प्रत्याशित बचत बीमा कम्पनी द्वारा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कारण सूचित की गई है (₹ 6,32.43 लाख)। शेष ₹ 10,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2401-113-6929—सहायक यंत्री कार्यालय—	मूल 3,82.80 पुनर्वि. (-)1,54.67	2,28.13	2,30.24 +2.11
(15) 2401-113-7017—कृषि यंत्री कार्यालय—	मूल 5,48.05 पुनर्वि. (-)1,08.78	4,39.27	4,42.14 +2.87

उपरोक्त कम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत कमश: ₹ 1,54.67 लाख एवं ₹ 1,08.78 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2401-113-0801— केन्द्र क्षेत्रीय योजना—(सामान्य)— 7333—पोस्ट हार्डस्ट टेक्नालॉजी कृषि यंत्रों का प्रचार प्रसार—	मूल 1,40.00 पुनर्वि. (-)93.41	46.59	44.94 (-)1.65
₹ 93.41 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(17) 2401-119-2013—नए उद्यानों तथा पौध शालाओं की स्थापना—	मूल 9,71.04 पुनर्वि. (-)1,43.19	8,27.85	9,06.69 +78.84
₹ 1,43.19 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(18) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2794—स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान—	मूल 12,00.00 पुनर्वि. (-)1,62.76	10,37.24	10,37.24 ..
₹ 1,62.76 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई।			
(19) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6831—राष्ट्रीय वागवानी मिशन योजना हेतु राज्यांश—	मूल 16,50.00 पुनर्वि. (-)7,80.73	8,69.27	8,69.27 ..
₹ 7,80.73 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय केन्द्रांश तक सीमित किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2006-07 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2401-800-0101—राज्य आयोजना—(सामान्य)— 8638—राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना—	मूल 25,00.00 पुनर्वि. (-)1.60	24,98.40	22,37.43 (-)2,60.97
₹ 1.60 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(21) 2402-101-8351—विस्तृत मृदा सर्वेक्षण—	मूल 3,89.00 पुनर्वि. (-)1,91.69	1,97.31	2,00.39 +3.08
₹ 1,91.69 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(22) 2402-102-3143—भूमि संरक्षण कटाव रोधक बंधान की योजनाएँ—			
मूल पुनर्वि.	25,27.95 (-)5,76.47	19,51.48	19,35.67 (-)15.81
₹ 5,76.47 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिकय द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(1) 2401-108-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल पुनर्वि.	1,80,00.00 11,00.67	1,91,00.67	1,95,14.62 +4,13.95
₹ 11,00.67 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 4,93.01 लाख की कमी एवं ₹ 15,93.68 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(2) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 4838—मेको मैनेजमेंट वर्किंग प्लान —			
मूल पुनर्वि.	7,50.00 (-)3,47.57	10,97.57	12,59.05 +1,61.48
₹ 3,47.57 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 4,39.97 की वृद्धि एवं ₹ 92.40 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि भारत सरकार द्वारा कार्य योजना स्वीकृति किए जाने एवं कमी वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(3) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5629—राज्य में कृषि सुधार हेतु विस्तारण कार्यक्रम—			
मूल पुनर्वि.	1,00.00 1,92.45	2,92.45	2,92.45 ..
₹ 1,92.45 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(4) 2401-119-9188—उद्यान विकास योजना—			
मूल पुनर्वि.	23,32.54 99.32	24,31.86	24,79.84 +47.98
₹ 99.32 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन श्रमिकों को भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 13—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2401-119-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल 55,00.00 पुनर्वि. 8,46.31	63,46.31	62,61.42	(-)84.89

₹ 8,46.31 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 9,43.49 लाख की वृद्धि एवं ₹ 97.18 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए देयकों के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(6) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—
8639—टपक सिंचाई योजना—

मूल 25.00 पुनर्वि. (-)2.05	22.96	1,54.07	+1,31.11
---	-------	---------	----------

₹ 2.05 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(7) 2401-800-5549—गन्ना कृषकों को बोनस—

मूल 11,00.00 पुनर्वि. 10,00.00	21,00.00	19,00.00	(-)2,00.00
---	----------	----------	------------

₹ 10,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन गन्ना उत्पादक किसानों को बोनस देने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(v) अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 5.00 लाख का अनुपूरक विनयोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 6.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 1.50 लाख का अभ्यर्पण त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 3.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 3.25 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिकय+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2403—पशुपालन

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	2,24,63,20			
पूरक	11,20,19	2,35,83,39	2,06,47,28	(—)29,36,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				27,46,97
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	15	..	(—)15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 1,03.40 लाख), दिसम्बर 2012 (₹ 10,09.79 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 7.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,20.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 29,36.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 27,46.97 लाख का समर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं उपलब्ध विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक		
	अनुदान	व्यय	आधिकय+	
			बचत(—)	
			(₹ लाख में)	

(1) 2403—001—1468—जिला एवं संभागीय स्तर—

मूल	15,18.15			
पुनर्वि.	(—)2,19.05	12,99.10	12,94.69	(—)4.41

₹ 2,19.05 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का आहरण अन्य योजना को स्थानांतरित किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2403—101—2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय—

मूल	86,43.10			
पुनर्वि.	(—)6,77.68	79,65.42	79,84.95	+19.53

₹ 6,77.68 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का आहरण अन्य योजना को स्थानांतरित किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2403—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

5620—पशुरोग नियंत्रण—				
पूरक	1,60.00	1,60.00	41.65	(—)1,18.35

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2403—101—0101—राज्य आयोजना—(सामान्य) 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय—			
मूल 6,10.41 पुनर्वि. (-)80.68	5,29.73	5,15.38	(-)14.35
₹ 80.68 लाख की प्रत्याशित बचत प्रान नम्बर का आबंटन न होने के कारण वेतन आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2403—101—0101—राज्य आयोजना—(सामान्य) 7471—नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुकुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान—			
मूल 5,80.00 पुनर्वि. (-)1,72.89	4,07.11	4,07.86	+0.75
₹ 1,72.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(6) 2403—102—1108—गहन पशु विकास परियोजना—			
मूल 28,20.40 पुनर्वि. (-)4,61.03	23,59.37	23,65.16	+5.79
₹ 4,61.03 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा निवृत एवं मृत्यु होने के कारण वेतन एवं भत्तों में बचत होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013) 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2403—104—0101—राज्य आयोजना—(सामान्य) 5027—बकरी पालन प्रक्षेत्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण—			
मूल 2,05.42 पूरक 1,00.12 पुनर्वि. (-)97.90	2,07.64	1,55.17	(-)52.47
₹ 97.90 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(8) 2403—113—3784—रोग अनुसंधान—			
मूल 4,22.85 पुनर्वि. (-)57.69	3,65.16	3,06.37	(-)58.79
₹ 57.69 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं अमले का स्थानांतरण किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2403—113—0801—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता(सामान्य)— 5505—पशु संगणना कार्यक्रम—			
मूल 20.00 पूरक 2,52.32 पुनर्वि. (-)1,70.72	1,01.60	1,01.04	(-)0.56
₹ 1,70.72 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 14—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(10) 2403-113-0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5620—नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण—			
मूल	9,24.92		
पूरक	5.00		
पुनर्वि.	(-)4,50.76	4,79.16	4,79.77
			+0.61

₹ 4,50.76 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (11) 2403-800-8703—दुग्ध उत्पादन
एवं अधोसंरचना—

मूल	5,67.45		
पुनर्वि.	(-)87.22	4,80.23	4,80.63
			+0.40

₹ 87.22 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2403-001-4297—संचालनालय रस्तर	1,20.95	1,45.63	+24.68

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त था।

**अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनार्त्तगत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ हजार में)
---------------	------------------	-----------------------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2215—जल आपूर्ति तथा सफाई
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2403—पशुपालन
- 2405—मछली पालन
- 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

राजस्व:

मूल	1,02,73,25			
पूरक	32,81,59	1,35,54,84	1,03,25,15	(—)32,29,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				30,43,31
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 1,03,25,15 लाख, के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया (₹ 18,50.00 लाख), अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था, जबकि दिसम्बर 2012 (₹ 10,95.59 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 3,36.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 32,81.59 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 32,29.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 30,43.31 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 2202—01—789—101—0803—केन्द्र प्रवर्तित योजना, (एस.सी.एस.पी.)—

327—अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम, छात्रवृत्तियां—

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	(—)1,00.00			

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2235—60—789—198—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.सी.एस.पी.)—

5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—

मूल	80.00			
पुनर्वि.	(—)36.00	44.00	28.50	(—)15.50

₹ 36.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

अनुदान संख्या 15—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2235—60—789—198—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.सी.एस.पी.)—5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन—			
मूल	16,85.00		
पूरक	3,15.00		
पुनर्वि.	(-)2,17.08	17,82.92	17,82.93
			+0.01

₹ 2,17.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2215—789—196—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.सी.पी.)—7019—पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि—
मूल
पूरक
पुनर्वि.

मूल	30,00.00		
पूरक	9,12.00		
पुनर्वि.	(-)24,10.00	15,02.00	15,02.00

₹ 24,10.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2515—789—196—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना—8668—राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान—
पूरक
पुनर्वि.

पूरक	1,08.10		
पुनर्वि.	(-)1,08.10

₹ 1,08.10 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जूलाई 2013)।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2405—मछली पालन
 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	29,71,97			
पूरक	1,25,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		30,96,97		
(31 मार्च 2013)			30,81,46	(—)15,51 3,21.48

प्रभारित	20			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..	(—)20

पूंजीगत :

दत्तमत	25,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		24,96		
(31 मार्च 2013)			(—)14 14	

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 15.51 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को ₹ 3,21.48 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2405—01—2280—निर्देशन और प्रशासन—

मूल	1,89.27			
पुनर्वि.	(—)28.26	1,61.01	1,61.64	+0.63

(2) 2405—101—162—अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग
 के लिए जिला स्तर का अमला—

मूल	14,90.00			
पुनर्वि.	(—)2,55.55	12,34.45	12,43.60	+9.15

उपरोक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 28.26 लाख एवं ₹ 2,55.55 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2008—09 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(3) 2405—109—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
9485—मत्स्य प्रशिक्षण एवं विस्तार—			
मूल	17.60		
पुनर्वि.	(-)17.60		

₹ 17.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
2405—101—1001— अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—			
7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल	7,75.00		
पूरक	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)4.03	8,70.97	11,66.04
			+2,95.07

₹ 4.03 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार

2425—सहकारिता

4408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय

4425—सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

6408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

6425—सहकारिता के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	97,77,32			
पूरक	92,88,00	1,90,65,32	1,41,25,74	(-)49,39,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				37,52,06
(19 फरवरी एवं 30 मार्च 2013)				

प्रभारित

15

..

(-)15

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	53,08,03			
पूरक	7,50,00	60,58,03	57,54,58	(-)3,03,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,02,22
(19 फरवरी एवं 30 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,41,25.74 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 (₹ 75,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था, जबकि दिसम्बर 2012 (₹ 17,88,00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 49,39.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 37,52.06 लाख का अभ्यर्पण कमज़ोर बजट प्रबंधन एवं उपलब्ध विनियोग पर व्यय का नियंत्रण नहीं किया जाना दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2425—101—359—आडिट बोर्ड—

मूल	14,44.30		
पुनर्वि.	(-)13,58.36	85.94	86.19
			+0.25

₹ 13,58.36 लाख की प्रत्याशित बचत जिला कार्यालयों में ऑडिट बोर्ड का विलय होने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 2425—107—0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त हेतु ब्याज अनुदान— मूल 60,00.00 पुनर्वि. (—)35,81.46 24,18.54 24,18.54 ..			

₹ 35,81.46 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2425—107—0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 8671— लघु एवं सीमान्त कृषकों के ऋण माफी योजना—
--

पूरक 13,93.00 पुनर्वि. (—)1,64.59 12,28.41 12,28.41 ..

₹ 1,64.59 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2013)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2425—001—123—अधीक्षण— मूल 18,38.40 पुनर्वि. 13,58.36 31,96.76 20,42.68 (—)11,54.08 ..			

₹ 13,58.36 लाख का पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नये संभाग एवं जिला कार्यालयों के गठन किये जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(v) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 3,03.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 3,02.22 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4425—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2759—जिला सहकारी कृषि और विकास बैंकों की अंशपूँजी में निवेश— मूल 1,00.00 पुनर्वि. (—)1,00.00			

₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत बैंक की आर्थिक स्थिति खराब होने एवं अंश पूँजी में निवेश के प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 17—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 6408—02—190—0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 8545—नाबार्ड सहायता से गोदामों का निर्माण—			
मूल 18,75.00 पुनर्वि. (-)1,31.48	17,43.52	17,43.53	+0.01

₹ 1,31.48 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

- (3) 6425—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
5657—कृषि साख स्थिरीकरण निधियों
को सुदृढ़ करने के लिए राज्य
सहकारी बैंक को ऋण—

मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00
--------------------------------	----	----	----

₹ 50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत राज्य सहकारी बैंकों को ऋण की आवश्यकता न होने के कारण सूचित की गई है। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—श्रम

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2230—श्रम तथा रोजगार

4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय—

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	49,76,80			
पूरक	20,61,84	70,38,64	44,51,63	(—)25,87,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				23,85,35
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	20	..	(—)20
(31 मार्च 2013)			20

पूँजीगत:

दत्तमत	3,40,00	1,03,96	(—)2,36,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,31,53

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (₹ 7,56.84 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 13,05.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 20,61.84 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 25,87.01 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 23,85.35 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंणन एवं विनियोग पर प्रावधान से हुए व्यय पर नियंत्रण नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(—)

(1) 2210—01—102—791—कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय—

मूल	7,42.25		
पुनर्वि.	(—)2,09.49	5,32.76	5,44.72
			+11.96

₹ 2,09.49 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 2,05.09 लाख) एवं दवाओं की आपूर्ति नहीं किए जाने (₹ 4.40 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2210—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3676—राज्य बीमा अस्पताल—

मूल	12,20.95		
पूरक	7,32.60		
पुनर्वि.	(—)12,57.78	6,95.77	6,91.57

(—)4.20

अनुदान संख्या 18— जारी

₹ 12,57.78 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 9,51.78 लाख) एवं नवीन केन्द्रों का सृजन नहीं किए जाने (₹ 3,06.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007–08 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(3) 2210–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
791—कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय—

मूल	1,48.60			
पूरक	20.20			
पुनर्वि.	(–)1,16.34	52.46	54.61	+2.15

₹ 1,16.34 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,02.60 लाख) एवं चिकित्सालय का औषधालय भवन में संचालित किए जाने (₹ 3.60 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 10.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008–09 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2230–01–001–4268—श्रम आयुक्त—

मूल	4,36.35			
पुनर्वि.	(–)2,34.32	2,02.03	2,05.73	+3.70

₹ 2,34.32 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,28.87 लाख) एवं भवन निर्माण के लिए भूमि अधिगृहित नहीं किए जाने (₹ 1,00.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 5.45 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(5) 2230–01–101–4272—श्रम न्यायालय—

मूल	3,11.90			
पुनर्वि.	(–)1,07.28	2,04.62	1,99.86	(–)4.76

₹ 1,07.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005–06 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2230–01–102–5810—औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा—

मूल	2,19.75			
पुनर्वि.	(–)1,17.21	1,02.54	1,03.89	+1.35

₹ 1,17.21 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 1,06.94 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 10.27 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006–07 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2230–01–103–4270—श्रम कल्याण निधि की स्थापना—

मूल	1,45.00			
पुनर्वि.	(–)72.93	72.07	72.07	..

₹ 72.93 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2013)।

(8) 2230–01–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7435—असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल—

मूल	7,00.00			
पूरक	10,00.00			
पुनर्वि.	(–)68.05	16,31.95	14,20.58	(–)2,11.37

₹ 68.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(9) 2230—01—112—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2837—बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना—			
मूल	1,10.00		
पूरक	2,80.00		
पुनर्वि.	(-)1,11.74	2,78.26	2,83.45
			+5.19

₹ 1,11.74 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 2,36.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 2,31.53 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
4250—201—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8352—प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए ¹ आवास गृहों का निर्माण			
मूल.	3,40.00		
पुनर्वि.	(-)2,31.53	1,08.47	1,03.96
			(-)4.51

₹ 2,31.53 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

- 2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	6,27,10,80			
पूरक	45,44,00	6,72,54,80	5,82,71,72	(—)89,83,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित	16,50		..	(—)16,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत :

दत्तमत	13,09,00	6,20,00	(—)6,89,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 30,20.00 लाख), दिसम्बर 2012 (₹ 11,24.00 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 4,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 45,44.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान त्रुटि पूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 89,83.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन एवं व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत—
			(₹ लाख में)

(1) 2210—01—001—2283—निर्देशन और प्रशासन—

राजीव गांधी मिशन (मूलभूत सेवाएं)—

मूल	9,95.80		
पूरक	2,00.00		
पुनर्वि.	19.40	12,15.20	9,55.47

(—)2,59.73

(2) 2210—01—110—2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—

(मूलभूत सेवाएं)—

मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	0.10	3,00.10	56.16

(—)2,43.94

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 19.40 लाख एवं ₹ 0.10 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कर्मचारियों की भर्ती के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005—06 से 2011—12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	अनुदान संख्या 19—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
	कुल अनुदान			
(3) 2210—01—110—748—औषधालय—	5,36.10		3,23.81	(—)2,12.29
(4) 2210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7327—मानसिक चिकित्सालय	1,80.00		25.36	(—)1,54.64
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत एवं 2008—09 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(5) 2210—01—196—1473—जिला चिकित्सालय— मूल 49,82.40 पुनर्वि. 14.30	49,96.70		41,01.79	(—)8,94.91
14.30 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कर्मचारियों की नवीन भर्ती के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(6) 2210—01—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 39,13.50 पूरक 10.00 पुनर्वि. (—)5,50.70	33,72.80		26,21.85	(—)7,50.95
₹ 5,50.70 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005—06 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(7) 2210—01—200—77—अंधरोग उपचार की रोकथाम की ईकाइयां स्थापित करना 11,50.00			9,15.62	(—)2,34.38
(8) 2210—01—200—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7463—कैन्सर, मधुमेह, हृदयरोग एवं आधात रोगों के रोकथाम— मूल 2,50.00 पूरक 2,74.00	5,24.00		7.65	(—)5,16.35
(9) 2210—01—200—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7464—वयोवृद्ध स्वास्थ्य संरक्षण— मूल 70.00 पूरक 1,40.00	2,10.00		67.77	(—)1,42.23
(10) 2210—03—197—748—औषधालय— 2,80.00			1,80.03	(—)99.97
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(11) 2210—03—197—0101—राज्य आयोजना सामान्य— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 28,56.10 पुनर्वि. 3,37.40	31,93.50		25,24.89	(—)6,68.61
₹ 3,37.40 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नवीन अमले की नियुक्ति किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(12) 2210-03-198-2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)—	मूल 1,30,00.00 पुनर्वि. (-)8,48.80	1,21,51.20	1,19,25.00 (-)2,26.20
₹ 8,48.80 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,87.40 लाख की वृद्धि एवं ₹ 10,36.20 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। प्रावधान में वृद्धि अमले की नियुक्ति एवं कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)—	मूल 21,91.00 पुनर्वि. 10.40	22,01.40	17,01.11 (-)5,00.29
₹ 10.40 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नवीन अमले की नियुक्ति किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2210-05-105-2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण		2,70.00	1,91.62 (-)78.38
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3463—महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण—	मूल 2,56.10 पुनर्वि. 2.50	2,58.60	1,33.70 (-)1,24.90
₹ 2.50 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नवीन अमले की नियुक्ति किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6811—राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्था—	मूल 1,05.70 पुनर्वि. 2.00	1,07.70	37.52 (-)70.18
₹ 2.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नवीन अमले की नियुक्ति किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2210-06-101-4244—मलेरिया		14,00.00	9,83.78 (-)4,16.22
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत-
(₹ लाख में)			
(18) 2210-06-101-858—कुछ नियंत्रण कार्यक्रम—			
मूल	16,00.00		
पुनर्वि.	21.80	16,21.80	12,06.97
			(-)4,14.83
₹ 21.80 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नवीन अमले की नियुक्ति किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2210-06-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
5026—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता	8,00.00	3,00.00	(-)5,00.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5572—सिक्कल सेल विकृति की रोकथाम एवं नियंत्रण	4,51.00	..	(-)4,51.00
संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5688—मुख्यमंत्री दवा पेटी	3,90.00	1,15.05	(-)2,74.95
(22) 2210-06-102-1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित) —			
मूल	1,99.50		
पूरक	15.00	2,14.50	62.36
			(-)1,52.14
(23) 2210-06-104-750—औषध नियंत्रण			
मूल	2,37.00		
पुनर्वि.	5.00	2,42.00	1,33.78
			(-)1,08.22
उपरोक्त क्रम संख्या (21) से (23) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (22) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2210-06-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
6960—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना—			
मूल	44,00.00		
पूरक	(-)15,50.00	28,50.00	22,00.00
			(-)6,50.00
₹ 15,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत, किश्त की राशि कम होने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2013)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(25) 2210-06-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8660—निःशुल्क नमक प्रदाय योजना—			
पूरक	7,00.00	7,00.00	2,00.00
			(-)5,00.00
(26) 2210-80-800-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान—	4,82.00	3,07.50	(-)1,74.50

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—(—)
(27) 2211-001-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 3704—राज्य स्तरीय परिवार कल्याण संगठन	3,92.10	2,48.58	(-)1,43.52
(28) 2211-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2880—बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना	1,43.60	76.42	(-)67.18

उपरोक्त क्रम संख्या (25) से (28) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत एवं 2008-09 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 2211-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2498—परम्परागत गर्भ निरोधक का प्रदाय	1,00.00	..	(-)1,00.00
(30) 2211-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6106—युनिवर्सल इम्युनाईजेशन	1,30.00	..	(-)1,30.00

उपरोक्त क्रम संख्या (29) एवं (30) के शीर्षान्तर्गत, संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गतों में भी बचत हुई थीं।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2071-01-800-5499—सेवा निवृत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	1,80.00	3,63.75	+1,83.75
---	---------	---------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2210-03-101-620—उप स्वास्थ्य केन्द्र—

मूल	11,18.00		
पुनर्वि	4,37.00	15,55.00	12,17.76
			(-)3,37.24

₹ 4,37.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नवीन अमले की नियुक्ति किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(3) 2210-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

620—उप स्वास्थ्य केन्द्र—

मूल	21,82.10		
पुनर्वि	1,98.10	23,80.20	24,29.13
			+ 48.93

₹ 1,98.10 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नवीन अमले की नियुक्ति किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(4) 2210-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
7330—मितानिन कल्याण निधि—

मूल	1,00.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि	7,50.00	8,50.00	8,50.00

₹ 7,50.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन मितानिन योजना को स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के कारण सूचित किया गया है।

(5) 2210-06-101-8150—बहुदेशीय कार्यकर्ता योजना—

मूल	3,20.00		
पुनर्वि	3,18.90	6,38.90	(-)2,52.99

₹ 3,18.90 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नवीन अमले की नियुक्ति किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(6) 2210-06-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8645—मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना—			
--	--	--	--

मूल	16,00.00		
पुनर्वि	8,00.00	24,00.00	24,00.00

₹ 8,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्डों की संख्या में वृद्धि के कारण सूचित किया गया है।

(7) 2211-101-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—

621—उप स्वास्थ्य केन्द्र—			
---------------------------	--	--	--

मूल	58,81.60		
पुनर्वि	(-)81.50	58,00.10	70,91.09

₹ 81.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 40.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,22.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि नवीन अमले की नियुक्ति किए जाने एवं कमी रिक्त पदों में नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(v) ₹ 16.50 लाख के उपलब्ध बचत के सम्पूर्ण विनियोग के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

2210-01-001-2283—निर्देशन और प्रशासन
(राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें) 9.00 .. (-)9.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 6,89.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अन्वर्पित नहीं किया जाना विनियोग में त्रुटि पूर्ण व्यय के प्रवाह को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(1) 4210-01-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2502—नसीं का प्रशिक्षण	1,00.00	..	(-)1,00.00
(2) 4210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय	1,40.00	..	(-)1,40.00
(3) 4210-02-103-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	6,99.00	4,80.00	(-)2,19.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(4) 4210-02-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,00.00	..	(-)2,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
- 4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 6215—जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	2,98,37,94			
पूरक	1,50,00	2,99,87,94	2,69,10,26	(-)30,77,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				50,72,94
(31 मार्च 2013)				
प्रभारित		10,00	..	(-)10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,00
(31 मार्च 2013)				

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	47,30,20	29,71,19	(-)17,59,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			15,46,25
(31 मार्च 2013)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 50.00 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 1,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,50.00 लाख के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 30,77.68 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 50,72.94 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2210—06—107—3862—लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं—

मूल	50.71		
पुनर्वि	(-)50.71

₹ 50.71 लाख के सर्वोपरी प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2215-01-001-2294—निर्देशन—			
मूल	10,17.80		
पुनर्वि	(-)3,11.85	7,05.95	7,17.96
			+12.01
₹ 3,11.85 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2215-01-001-2715—प्रशासन—			
मूल	55,88.10		
पुनर्वि	(-)7,47.38	48,40.72	49,22.63
			+81.91
₹ 7,47.38 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(4) 2215-01-102-1202—ग्रामीण नल जल प्रदाय— योजनाओं का अनुरक्षण—			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि	(-)1,81.21	3,18.79	3,12.16
			(-)6.63
₹ 1,81.21 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2215-01-102-1854—डिलिंग रिंग्स का आपरेशन—			
मूल	10,02.40		
पुनर्वि	(-)2,06.64	7,95.76	8,86.71
			+90.95
(6) 2215-01-102-2219—नलकूपों का अनुरक्षण—			
मूल	40,60.00		
पुनर्वि	(-)7,97.85	32,62.15	32,88.02
			+25.87
उपरोक्त क्रम संख्या (5) तथा (6) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 2,06.64 लाख एवं ₹ 7,97.85 लाख के प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2215-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम			
मूल	55,00.00		
पुनर्वि	(-)2,03.92	52,96.08	52,51.04
			(-)45.04
(8) 2215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4378—समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल प्रदाय—			
मूल	12,50.00		
पुनर्वि	(-)1,27.11	11,22.89	10,21.18
			(-)1,01.71

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
(9) 2215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6998—ग्रामीण क्षेत्रों में स्पॉट सोर्स द्वारा जल प्रदाय—			
मूल 4,00.00 पुनर्वि (−)86.88	3,13.12	2,94.03	(−)19.09
(10) 2215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9937—पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना—			
मूल 5,50.00 पुनर्वि (−)34.15	5,15.85	5,02.47	(−)13.38
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (10) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 2,03.92 लाख, ₹ 1,27.11 लाख, ₹ 86.88 लाख, एवं ₹ 34.15 लाख के प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(11) 2215-01-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5698—कोरबा जल प्रदाय योजना—			
मूल 87.50 पुनर्वि (−)74.80	12.70	12.70	..
₹ 74.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(12) 2215-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5099—चरोदा (भिलाई) जल प्रदाय योजना—			
मूल 2,00.00 पुनर्वि (−)2,00.00
₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(13) 2215-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6848—बिल्हा जल प्रदाय योजना—			
मूल 1,50.00 पुनर्वि (−)1,02.85	47.15	37.15	(−)10.00
₹ 1,02.85 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(14) 2215-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6897—दल्लीराजहरा जल प्रदाय योजना—			
मूल 1,00.00 पुनर्वि (−)1,00.00
₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(15) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7371—बिलाईगढ़ जल प्रदाय योजना—			
मूल 50.00 पूरक 50.00 पुनर्वि (−)1,00.00
₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(16) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7373—आमदी जल प्रदाय योजना—	मूल 50.00 पुनर्वि (—)50.00
(17) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7387—पाण्डातराई जल प्रदाय योजना—	मूल 50.00 पूरक 25.00 पुनर्वि (—)75.00
(18) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7391—सरिया जल प्रदाय योजना—	मूल 50.00 पुनर्वि (—)50.00
(19) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8565—भखारा भठेली जल प्रदाय योजना—	मूल 50.00 पुनर्वि (—)50.00
(20) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8566—मगरोल भैसमुड़ी जल प्रदाय योजना—	मूल 50.00 पुनर्वि (—)50.00
(21) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8612—पाटन आवर्धन जल प्रदाय योजना—	मूल 1,00.00 पुनर्वि (—)1,00.00
(22) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8613—उतरई जल प्रदाय योजना—	मूल 50.00 पुनर्वि (—)50.00
(23) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8616—कुसुमकसा नल जल प्रदाय योजना—	मूल 50.00 पुनर्वि (—)50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (23) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 50.00 लाख, ₹ 75.00 लाख, ₹ 50.00 लाख, ₹ 50.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 50.00 लाख, एवं ₹ 50.00 लाख के प्रत्याशित बचत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहा एवं 2010—2011 तथा 2011—12 के दौरान भी क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(24) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8617-टुण्डा जल प्रदाय योजना	50.00	..	(—)50.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(25) 2215-02-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6841-जल निकासी योजना	1,00.00	61.66	(—)38.34
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थान जल प्रदाय— योजनाओं का अनुरक्षण—			
मूल	8,10.50		
पुनर्वि	(—)1,58.98	6,51.52	8,64.07
₹ 1,58.98 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			+2,12.55
(2) 2215-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6759-डोंगरगढ़ जल प्रदाय योजना—			
मूल	0.10		
पुनर्वि	47.99	48.09	47.99
₹ 47.99 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।			(—)0.10
(3) 2215-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8538-महासमुद्र जल आवर्धन योजना—			
मूल	0.10		
पुनर्वि	99.90	1,00.00	1,00.00
₹ 99.90 लाख की पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.10 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2013)।			..
(4) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8618-भटगाँव जल प्रदाय योजना	50.00	1,50.00	+1,00.00
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(5) 2215-01-799-4058-विविध लोक निर्माण अग्रिम—			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि	(—)8,98.87	6,01.13	21,38.59
₹ 8,98.87 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			+15,37.46

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(6) 2215—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5700—शालाओं में पेय जल व्यवस्था			
मूल पुनर्वि	6,00.00 (-)24.61	5,75.39	6,43.06
			+67.67

₹ 24.61 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 44.61 लाख की कमी तथा ₹ 20.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी निधियों के मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(v) ₹ 10.00 का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण किया गया। 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा।

(vi) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के व्यय में “2215—जल प्रदाय और सफाई—01—जल प्रदाय—799—“उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 21,38.59 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष “उचंत” में अस्थायी प्रकृति के लेन—देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बंधित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं, और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गए हैं, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रेनीत किया जाता है। “उचंत” शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :—

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन—देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई :—

(1) क्रय— राज्य में 1983—84 से प्रवर्तित नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप परिप्रेक्ष्य में उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रेनीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन—देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बंधित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत—किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

अनुदान संख्या 20—समाप्त

2012–13 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत उचंत लेन–देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया हैः—

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2012 को नाम+ जमा(–)	वर्ष के दौरान नामे जमा(–)	वर्ष के दौरान नामे जमा(–)	अंत शेष 31 मार्च 2013 को नाम+ जमा(–)
(₹ लाख में)				

2215—जलपूर्ति तथा सफाई

(i) क्रय	(–)16,00.70	(–)16,00.70
(ii) भण्डार	+15,50.23	+15,50.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+92,01.42	21,38.59	14,19.86	+99,20.15
योग	+91,50.95	21,38.59	14,19.86	+98,69.68

पूंजीगतः

दत्तमत—

(vii) ₹ 17,59.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 15,46.25 लाख की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			

(1) 4215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
5403—पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना—

मूल	13,60.00			
पुनर्वि	(–)11,34.54	2,25.46	1,42.10	(–)83.36

₹ 11,34.54 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4215—02—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
5699—शालाओं की शौचालय व्यवस्था—

मूल	2,50.00			
पुनर्वि	(–)50.00	2,00.00	2,00.00	..

₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

(3) 6215—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
2182—नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं—

मूल	25,00.00			
पुनर्वि	(–)3,33.15	21,66.85	20,66.85	(–)1,00.00

₹ 3,33.15 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष—

- 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
- 2216—आवास
- 2217—शहरी विकास
- 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
- 4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

मूल	85,29,79			
पुरक	सांकेतिक	85,29,79	26,66,24	(—)58,63,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				58,75,69
(31 मार्च 2013)				

पूंजीगत :	3,64,55,00	1,85,95,79	(—)1,78,59,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
(31 मार्च 2013)			1,78,59,21

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 58,63.55 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 58,75.69 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+ बचत(—)
	अनुदान		

(1) 2216—02—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7298—नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए
आवास योजना—

मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(—)94.00	6.00	6.00

₹ 94.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2216—02—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7444—विकास नगर योजना—

मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	(—)41,13.60	8,86.40	8,86.40

₹ 41,13.60 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(3) 2217—01—001—8635—नया मंत्रालय का रख रखाव—

मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(—)1,50.00	3,50.00	3,50.00

₹ 1,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 21—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(4) 2217-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5371—राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण—			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि.	(-)8,00.00	7,00.00	7,00.00
₹ 8,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वित्त विभाग के द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2005-06 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			..
(5) 2217-01-051-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7334—जी.इ.एफ.सहायित एस.यू.टी.पी. योजना—			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)4,00.00	1,00.00	1,00.00
₹ 4,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			..
(6) 2217-05-001-2020—नगर और ग्राम निवेश—			
मूल	6,12.79		
पुनर्वि.	(-)1,93.31	4,19.48	4,29.02
₹ 1,93.31 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+9.54
(7) 2217-05-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2621—विकास योजना बनाना, पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण करना—			
पूरक	1,86.00		
पुनर्वि.	(-)1,18.79	67.21	69.82
₹ 1,18.79 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत सरकार द्वारा प्रस्ताव विलंब से स्वीकृत किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			+2.61
पूँजीगत:			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 4217-01-051-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7334—जी.इ.एफ.सहायित एस.यू.टी.पी. योजना—			
मूल	40,00.00		
पुनर्वि.	(-)40,00.00
₹ 40,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			..

अनुदान संख्या 21—समाप्त

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(2) 4217-01-051-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7417—राज्य सूचना आयोग भवन—			
मूल	4,50.00
पुनर्वि.	(—)4,50.00
₹ 4,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(3) 4217-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5371—नया रायपुर विकास प्राधिकरण—			
मूल	3,20,00.00
पुनर्वि.	(—)1,34,04.21	1,85,95.79	1,85,95.79
₹ 1,34,04.21 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

राजस्व :

दत्तमत— वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	3,57,95	2,86,38	(—)71,57 75,35
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	10	..	(—)10 10

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 71.57 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 75.35 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
अनुदान	व्यय	(लाख में)	

(1) 2217—05—800—2122—नगर पालिका कर्मचारियों की पेंशन योजना का कियान्वयन—

मूल	56.15			
पुनर्वि.	(—)25.19	30.96	30.60	(—)0.36

₹ 25.19 लाख की प्रत्याशित बचत सीधी भर्ती के द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2217—05—800—6148—नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय—

मूल	1,66.80			
पुरक	(—)32.88	1,33.92	1,35.23	+1.31

₹ 32.88 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2217—05—800—7442—संभागीय कार्यालय की स्थापना—

मूल	1,35.00			
पुनर्वि.	(—)17.28	1,17.72	1,20.54	+2.82

₹ 17.28 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

- 2700—मुख्य सिंचाई
- 2701—मध्यम सिंचाई
- 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	3,02,07,54			
पूरक	3,60,00	3,05,67,54	2,99,93,39	(—)5,74,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				22,32,51
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	1,10	..	(—)1,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,10

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	4,14,16,25			
पूरक	सांकेतिक	4,14,16,25	2,77,90,53	(—)1,36,25,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,42,70,61
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	25,00	19,31	(—)5,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			5,68

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कूल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 3,60.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 5,74.15 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 22,32.51 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2700—02—101—2894—बांध तथा नहरें—

मूल	12,38.00			
पुनर्वि.	(—)1,62.56	10,75.44	11,11.66	+36.22

₹ 1,62.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2701-80-001-275—आवियाना स्थापना—			
मूल	16,97.70		
पुनर्वि.	(-)3,97.81	12,99.89	11,72.65
			(-)1,27.24
(3) 2701-80-001-3264—मंडल स्थापना—			
मूल	3,86.50		
पुनर्वि.	(-)1,13.54	2,72.96	2,44.82
			(-)28.14
उपरोक्त क्रम संख्या (2) तथा (3) के शीर्षान्तर्गत ₹ 3,97.81 लाख एवं ₹ 1,13.54 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2701-80-001-3556—मुख्यालय स्थापना			
यूनिट —			
मूल	8,15.20		
पूरक	3,60.00		
पुनर्वि.	(-)4,70.53	7,04.67	7,11.15
			+6.48
₹ 4,70.53 लाख की प्रत्याशित बचत, जल उपभेक्ता समितियों के चुनाव स्थगित किये जाने के कारण (₹ 3,00.00 लाख) सूचित की गई है। ₹ 1,70.53 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2701-80-001-815—कार्यपालिक स्थापना—			
मूल	96,54.40		
पुनर्वि.	(-)3,69.73	92,84.67	94,98.79
			+2,14.12
₹ 3,69.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(6) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट —			
मूल	12,35.10		
पुनर्वि.	(-)3,80.80	8,54.30	8,52.89
			(-)1.41
₹ 3,80.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
814—कार्यपालिक स्थापना (विद्युत / यांत्रिकी)—			
मूल	5,67.30		
पुनर्वि.	(-)92.14	4,75.16	4,85.43
			+10.27
₹ 92.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006-07 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 23—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2700—04—101—2894—बांध तथा नहरें—

मूल पुनर्वि.	1,65.25 (—)2.06	1,63.19	2,38.96	+75.77
-----------------	--------------------	---------	---------	--------

₹ 2.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(2) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

815— कार्यपालिक स्थापना—	94,00.70	99,07.69	+5,06.99
--------------------------	----------	----------	----------

(3) 2701—80—799—9191—स्टॉक

29.00	7,19.20	+6,90.20
-------	---------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त था।

(vi) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में उचंत शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ 7,19.20 लाख सम्मिलित है। उचंत के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2012—13 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देन का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :—

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2012 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2013 को नामे+ जमा(-) (₹ लाख में)
-------	---	--------------------------	-------------------------	---

2701—मध्यम सिंचाई—

(i) क्रय	(—)8,38.35	(—)8,38.35
(ii) भण्डार	(—)3,09.19	7,19.20	..	+4,10.01
(iii) विविध लोक निर्माण				
कार्य अग्रिम	+27,55.42	..	40.23	+27,15.19
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 1,47.09	+ 1,47.09
योग	+17,54.97	7,19.20	40.23	+24,33.94

पूंजीगतः

दत्तमत—

(vii) ₹ 1,36,25.72 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 1,42,70.61 का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 23—जारी

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 4700—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428—कार्यपालिक स्थापना (यूनिट । एवं ॥)—			
मूल 25,63.40			
पुनर्वि. (—)1,26.79	24,36.61	25,32.77	+96.16
₹ 1,26.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(2) 4700—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना (यूनिट ।)—			
मूल 5,36.10			
पुनर्वि. (—)77.90	4,58.20	4,51.84	(—)6.36
₹ 77.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4700—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल 31,00.00			
पुनर्वि. (—)26,79.23	4,20.77	4,78.98	+58.21
₹ 26,79.23 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की धीमी प्रगती के कारण सूचित की गई (₹ 26,00.00 लाख)। ₹ 79.23 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4700—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3264—मंडल स्थापना—			
मूल 1,85.85			
पुनर्वि. (—)74.44	1,11.41	1,11.45	+0.04
₹ 74.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4700—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट 1—			
मूल 6,88.50			
पुनर्वि. (—)2,13.97	4,74.53	4,63.41	(—)11.12
₹ 2,13.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4700—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल 30,30.00			
पुनर्वि. (—)8,31.07	21,98.93	22,13.55	+14.62
₹ 8,31.07 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सूचित की गई (₹ 8,00.00 लाख)। ₹ 31.07 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4700-04-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य—	मूल 51.00 पुनर्वि. (-)50.00	1.00	0.74 (-)0.26
₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4700-06-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य—	मूल 7,00.00 पुनर्वि. (-)5,40.66	1,59.34	1,59.36 +0.02
₹ 5,40.66 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4700-06-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण—	मूल 4,50.00 पुनर्वि. (-)4,37.94	12.06	12.06 ..
₹ 4,37.94 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4700-08-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य—	मूल 15,50.00 पुनर्वि. (-)14,01.04	1,48.96	1,70.16 +21.20
₹ 14,01.04 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की धीमी प्रगति (₹ 1,00.00 लाख) तथा किसानों को भू-अर्जन मूआवजे का भुगतान न होने (₹ 8,85.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। ₹ 4,16.04 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006-07 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4700-09-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य—	मूल 1,00,10.00 पुनर्वि. (-)24,18.13	75,91.87	75,58.35 (-)33.52
₹ 24,18.13 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति (₹ 10,99.00 लाख), वन भूमि के लिए क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त न होने (₹ 10.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 8,00.00 लाख प्रत्याशित बचत के प्रयोग्य कारणों एवं ₹ 5,09.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006-07 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4700-10-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य—	मूल 8,00.00 पुनर्वि. (-)2,52.44	5,47.56	5,58.02 +10.46

अनुदान संख्या 23—जारी

₹ 2,52.44 लाख की प्रत्याशित बचत नवीन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई (₹ 2,50.00 लाख)। ₹ 2.44 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005–06 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			
(13) 4700–11–800–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य—			
मूल	60,00.00		
पुनर्वि.	(-)35,97.95	24,02.05	24,02.04
			(-)0.01
₹ 35,97.95 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति तथा अभिकरण का गठन न होने के कारण (₹ 26,00.00 लाख) सूचित की गई है। शेष ₹ 9,97.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4700–12–800–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य—			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)4,56.20	43.80	33.35
			(-)10.45
₹ 4,56.20 लाख की प्रत्याशित बचत वन भूमि के निराकरण हेतु अभिकरण का गठन न होने के कारण (₹ 4,50.00 लाख) सूचित की गई है। शेष ₹ 6.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4700–80–005–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 4416—सर्वेक्षण—			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,09.36	90.64	52.48
			(-)38.16
₹ 1,09.36 लाख की प्रत्याशित बचत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण (₹ 55.00 लाख) सूचित की गई है। शेष ₹ 54.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4700–36–800–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 2898—बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-)5,32.05	4,67.95	4,69.19
			+1.24
₹ 5,32.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4701–38–800–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)– 2898—बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	(-)3,65.62	8,34.38	4,53.68
			(-)3,80.70
₹ 3,65.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(18) 4701—47—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
2898—बांध तथा संलग्न कार्य—

मूल	1,00.00
पुनर्वि.	(-)1,00.00

₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई।

(19) 4701—80—002—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
4793—जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा
संचालनालय स्थापना—

मूल	12,17.60		
पूरक.	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)2,47.31	9,70.29	9,70.06

₹ 2,47.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 4711—01—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—
6757—बांध नियंत्रण परियोजनाएं—

मूल	11,00.00		
पूरक.	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)6,12.24	4,87.76	4,87.76

₹ 6,12.24 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी प्रगति (₹ 5,20.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 92.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4700—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
2428—कार्यपालिक स्थापना—

(यूनिट I एवं II)	48,03.30	53,10.82	+5,07.52
------------------	----------	----------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 4700—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण

मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	96.00	1,96.00	1,91.91

₹ 96.00 लाख की पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 4.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि बांध सुरक्षा कार्यों के निर्माण के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 23—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(3) 4701—32—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल 10,00.00 पुनर्वि. 7,99.97	17,99.97	21,79.97	+3,80.00

₹ 7,99.97 लाख की पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 8,00.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.03 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निर्माण कार्यों का भुगतान के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(x) उच्चंत लेन देन :—

इस अनुदान के पूँजीगत (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में उचंत शीर्ष के अधीन लेखाकित ₹ 43.00 लाख सम्मिलित है। उचंत के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2012—13 के दौरान इस अनुभाग हेतु उचंत लेन देन का विश्लेषण उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंतशेषों सहित नीचे दिया जा रहा है:—

विवरण	प्रारम्भिक शेष 01 अप्रैल 2012 को नामे + जमा(—)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31मार्च 2013 को नामे + जमा(—)
			(₹ लाख में)	

4700—मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय—

(i) क्रय	(—)8,30.51	(—)8,30.51
(ii) भण्डार	+3,46.16	+3,46.16
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+15,84.21	43.00	7.04	+16,20.17
(iv) कार्यशाला उचंत	(—) 76.61	(—)76.61
योग	+ 10,23.25	43.00	7.04	+10,59.21

प्रभारित—

(xi) ₹ 5.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 5.68 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(xii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4700—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4948—डिक्री धन का भुगतान—

मूल 5.00
पुनर्वि. (—)5.00

₹ 5.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़के और पुल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

3053—नागर विमानन्

3054—सड़क तथा सेतु

5053—नागर विमानन् पर पूँजीगत परिव्यय

5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	6,61,74,13			
पूरक	2,19,77	6,63,93,90	6,42,70,61	(—)21,23,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	8,45,00,00			
पूरक	80,00	8,45,80,00	7,72,17,41	(—)73,62,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

प्रभारित—

मूल	1,01,30			
पूरक	4,51,00	5,52,30	5,34,22	(—)18,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 2,19.77 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) ₹ 21,23.29 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए कोई भी राशि समर्पित नहीं किया जाना कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 3054—03—337—134—अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	48,50.00	36,06.54	(—)12,43.46
(2) 3054—03—337—4090—विशेष मरम्मत	75,00.00	69,25.41	(—)5,74.59

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 3054-04-337-1826—डामरीकरण	10,00.00	9,51.22	(-)48.78
(4) 3054-04-337-4090—विशेष मरम्मत	10,00.00	8,03.06	(-)1,96.94
(5) 3054-04-337-4557—सुदृढ़ीकरण	28,00.00	26,97.61	(-)1,02.39
(6) 3054-04-337-7510—ग्रामीण मार्गों का संधारण	1,00,00.00	99,60.63	(-)39.37

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 3054-05-337-0701—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 165—अन्तर्राजीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण	2,19.77	..	(-)2,19.77
--	---------	----	------------

सम्पूर्ण प्रावधान के बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(8) 3054-80-001-2301—निर्देशन एवं प्रशासन— मांग सं. 67-2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग	83,53.56	82,02.04	(-)1,51.52
(9) 3054-80-052-692—ओजार एवं संयंत्र प्रभार— मांग सं. 67-2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग	9,28.17	5,65.82	(-)3,62.35

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं 2006-07 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3054-01-337-4090—विशेष मरम्मत—	1,00.00	2,25.96	+1,25.96
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(2) 3054-03-337-134—अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	60,00.00	64,61.82	+4,61.82
(3) 3054-04-337-134—अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	70,00.00	71,05.48	+1,05.48
(4) 3054-04-337-2227—नवीनीकरण	1,65,00.00	1,65,53.13	+53.13
(5) 3054-05-337-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 165—अन्तर्राजीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण	1,39.00	2,11.90	+72.90

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 24—जारी

(v) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्प्रिट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है, और उसके समतुल्य राशि “3054—सड़कें तथा पुल—800—अन्य व्यय”, जिसके लिए अनुदान संख्या 24—“लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल” में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा “8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता” को अंतरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है, और बाद में जमालेखा “8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता” को अंतरित कर दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

31 मार्च 2013 को जमा लेखे में ₹ 91.02 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे के क्रमांक 18—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 80.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को दर्शाता है।

(vii) ₹ 73,62.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शार्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
अनुदान	व्यय	बचत(—)	
	(₹ लाख में)		

(1) 5053—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4727—हवाई पटिटयों का निर्माण एवं विस्तार	12,50.00	2,79.45	(—)9,70.55
--	----------	---------	------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 5054—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3775—रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण—	20,00.00	8,00.00	28,00.00	19,65.01	(—)8,34.99
-----------------------------------	----------	---------	----------	----------	------------

₹ 8,00.00 लाख की पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्यों की प्रगति एवं दायित्वों का भुगतान के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 5054—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4151—वृहद पुलों का निर्माण—	1,32,00.00	(—)37,50.00	94,50.00	97,24.63	. +2,74.63
-----------------------------	------------	-------------	----------	----------	------------

₹ 37,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिकर्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(4) 5054-03-337-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8716—केन्द्रीय सङ्क निधि	1,00,00.00	88,18.78	(−)11,81.22
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(5) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 4336—राज्यों में सङ्कों का निर्माण राज्य मार्ग—	मूल पूरक	1,50,00.00 (−)41,00.00	1,09,00.00	1,10,36.50	+1,36.50
---	-------------	---------------------------	------------	------------	----------

₹ 41,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 75,00.00 लाख की कमी तथा ₹ 34,00.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि कार्यों की प्रगति एवं दायित्वों का भुगतान (₹ 29,00.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि के कारण एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 5054-04-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण—	मूल पुनर्वि	1,50,00.00 (−)1,25,00.00	25,00.00	12,96.55	(−)12,03.45
--	----------------	-----------------------------	----------	----------	-------------

₹ 1,25,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 5054-04-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम—	मूल पूरक	30,00.00 सांकेतिक	30,00.00	17,85.20	(−)12,14.80
--	-------------	----------------------	----------	----------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)		
(1) 5054-04-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1222—मूलभूत न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण सङ्कों का निर्माण—	मूल पूरक पुनर्वि.	10,00.00 20.00 35,00.00	45,20.00	29,54.16	(−)15,65.84
₹ 35,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 40,00.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 5,00.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। प्रावधान में कमी/वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।					

अनुदान संख्या 24—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 5054—04—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1513—जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण—			
मूल	2,40,00.00		
पूरक	60.00		
पुनर्वि.	1,60,00.00	4,00,60.00	3,93,07.03
			(-)7,52.97

₹ 1,60,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित —

(x) ₹ 18.08 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(xi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
5054—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3115—भू अर्जन हेतु मुआवजा—			
मूल	1,00.00		
पूरक	1,65.00	2,65.00	2,48.93
			(-)16.07

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों
पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,65,95,35			
पूरक	50,00	1,66,45,35	1,57,31,85	(-)9,13,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,04,67
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	50			(-)50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				50
(31 मार्च 2013)				

पूंजीगत :

दत्तमत	82,00,00			-82,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियां				..

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 9,13.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 9,04.67 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2853—02—001—4639—मुख्यालय स्थापना—

मूल	8,21,75			
पूरक	50.00			
पुनर्वि.	(-)2,46.47	6,25.28	6,18.69	(-)6.59

₹ 2,46.47 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2853—02—001—4640—जिला स्थापना—

मूल	11,39.10			
पुनर्वि.	(-)2,60.93	8,78.17	9,01.69	+23.52

₹ 2,60.93 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 5.00 लाख) एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने (₹ 2,55.93 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 25—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(3) 2853—02—001—4643—क्षेत्रीय स्थापना—

मूल	11,34.50		
पुनर्वि.	(-)3,97.26	7,37.24	7,11.47

₹ 3,97.26 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4,02.26 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण एवं कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

4853—01—004—0420—6701—खनिज निधि से व्यय—

मूल	82,00.00		
पुनर्वि.	(-)82,00.00

₹ 82,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

राजस्व :	16,88,63	14,83,75	(—)2,04,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित			..
टीका एवं टिप्पणियाँ			

राजस्व :

(i) ₹ 2,04.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2202—05—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7013—छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग	85.89	63.17	(—)22.72
(2) 2205—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 598—खनन एवं पर्यावरण	1,00.00	43.45	(—)56.55
(3) 2205—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4513—लोक पुस्तकालय/ग्रंथालय	30.00	18.83	(—)11.17
(4) 2205—107—4283—संग्रहालय	2,41.51	1,88.27	(—)53.24

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षन्तर्गत बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2011—12 के दौरान भी क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिकय+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
 2205—कला एवं संस्कृति
 4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं
 संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	25,21,99,30			
पूरक	1,29,83,05	26,51,82,35	20,58,88,36	(-)5,92,93,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित		3,20	1,55	(-)1,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	41,56,60			
पूरक	16,71	41,73,31	21,19,51	(-)20,53,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियाँ				

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 35,25.00 लाख) तथा दिसम्बर 2012 (₹ 94,58.05 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,29,83.05 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 5,92,93.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध कोई भी अभ्यर्पण नहीं किया जाना त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(—)
(1) 2202—01—001—1500—जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			

मूल	29,15.50		
पुनर्वि.	(-)0.60	29,14.90	21,14.93
			(-)7,99.97

₹ 0.60 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 2202-01-001-3930—विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	25,19.90	21,45.20	(-)3,74.70
(3) 2202-01-101-3491—माध्यमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	2,08,47.60	1,73,82.34	(-)34,65.26
(4) 2202-01-101-4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	3,06,99.60	2,23,09.77	(-)83,89.83
(5) 2202-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3491—माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	4,27,86.80	3,40,20.59	(-)87,66.21
(6) 2202-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	2,58,63.00	2,05,11.10	(-)53,51.90
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (4) एवं 2009-10 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(7) 2202-01-102-110—अशासकीय विद्यालय को अनुदान— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)			
मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)74.88	49,25.12	46,12.10
₹ 74.88 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2202-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 110—अशासकीय विद्यालयों को अनुदान— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	6,00.00	4,49.14	(-)1,50.86
(9) 2202-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8659—अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	35,00.00	27,83.63	(-)7,16.37
(10) 2202-01-107-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	3,38.30	1,82.77	(-)1,55.53
(11) 2202-01-107-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)			
मूल पूरक	15,00.90 3,20.00	18,20.90	13,04.64

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2202-01-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8646-राज्य प्रशिक्षण योजना—			
मूल	1,00.00		
पूरक	सांकेतिक	1,00.00	..
			(-)1,00.00
(13) 2202-01-111-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5396-सर्व शिक्षा अभियान	2,10,00.00	1,31,56.20	(-)78,43.80
(14) 2202-01-112-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5169-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—			
मूल	29,72.00		
पूरक	21,94.70	51,66.70	34,74.77
			(-)16,91.93
(15) 2202-01-112-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—			
मूल	21,66.00		
पूरक	13,46.30	35,12.30	27,09.35
			(-)8,02.95
(16) 2202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3694-राज्य शिक्षा संस्थान एवं का पुनर्गठन (एस.सी.ई.आर.टी.)	2,20.40	1,00.03	(-)1,20.37
(17) 2202-02-109-578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1,52,68.10	1,23,74.70	(-)28,93.40
(18) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6794-सूचना एवं संचार तकनीकी	15,28.00	2,40.38	(-)12,87.62
(19) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	75,00.00	39,67.06	(-)35,32.94
(20) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	3,31,99.50		
पूरक	25.00	3,32,24.50	2,36,30.07
			(-)95,94.43
(21) 2202-02-110-110-अशासकीय विद्यालयों को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	57,00.00	55,08.17	(-)1,91.83
(22) 2202-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9005-इमारतों का अनुरक्षण, लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	7,00.00	5,96.00	(-)1,04.00
(23) 2202-80-001-3858-लोक शिक्षण संचालनालय—			
मूल	8,78.80		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	0.60	8,79.40	7,72.23
			(-)1,07.17

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(24) 2202-80-800-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	23,90.00	12,54.94	(-)11,35.06
(25) 2204-102-3755—राष्ट्रीय सैन्य दल— (सीनियर डिवीजन)	11,61.50	6,90.38	(-)4,71.12

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (25) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10), 2009-10 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (13), (19) एवं (20), 2008-09 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (14), (15) एवं (25) एवं 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (21) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(26) 2204-800-1084—खेल तथा गतिविधियों पर व्यय—

मूल	3,21.00			
पुनर्वि.	74.88	3,95.88	2,70.41	(-)1,25.47

₹ 74.88 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लम्बित बिलों के भुगतान हेतु सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—

मूल	14,04.00		
पूरक	10,96.00	25,00.00	27,82.04

(2) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5551—हाईस्कूल की छात्राओं को
निःशुल्क सायकाल प्रदाय

12,30.00	14,29.18	+1,99.18
----------	----------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2007-08 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 1.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अन्वर्पित नहीं की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(vi) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2012 को प्राप्त किया गया ₹ 16.71 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 27—समाप्त

(vii) ₹ 20,53.80 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए कोई भी राशि का अभ्यर्णन नहीं किया जाना कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-201-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	2,00.00	..	(-)2,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4202-01-201-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4395—शासकीय पुस्तकालय	1,77.50	44.17	(-)1,33.33
(3) 4202-01-202-0701—केन्द्र प्रवर्वित योजना सामान्य— 7367—मॉडल स्कूल योजना	3,02.00	90.00	(-)2,12.00
(4) 4202-01-202-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	25,00.00	11,16.67	(-)13,83.33

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2006-07 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2011— संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	31,05.30			
पूरक	5.45			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		31,10,75	18,23,77	(—)12,86,98
(31 मार्च 2013)				5,05

प्रभारित	63,20	23,07	(—)40,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम होते हुए मार्च 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 5.45 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक एवं त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) ₹ 12,86.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 5.05 लाख का अभ्यर्पण कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2011—02—101—4007—विधान सभा	18,27.50	10,52.49	(—)7,75.01
(2) 2011—02—103—4009—विधान सचिवालय	11,60.40	7,29.19	(—)4,31.21
(3) 2011—02—103—6582—भारतीय संसदीय संघ को सहायक अनुदान	85.00	9.06	(—)75.94

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2004—05 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत, 2006—07 से 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 40.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
2011—02—101—125—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का यात्रा भत्ता	63.20	23.07	(—)40.13

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2004—05 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2014—न्याय प्रशासन

2015—निर्वाचन

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,53,51,30			
पूरक	13,42,70	1,66,94,00	1,26,34,10	(—)40,59,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

प्रभारित—

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	33,45,80	20,96,98	(—) 12,48,82	..
------------------------------	----------	----------	--------------	----

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 3,10.90 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 10,31.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,42.70 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 40,59.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि समर्पित नहीं किया जाना कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
(1) 2014—103—5416—परिवार न्यायालय की स्थापना	10,53.10	5,30.60	(—)5,22.50

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2014—105—2410—निर्वाह पत्र तामिल स्थापना	8,43.20	5,78.62	(—)2,64.58
--	---------	---------	------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2014—105—4497—सामान्य स्थापना—			
------------------------------------	--	--	--

मूल	81,10,80		
पूरक	2,80.90	83,91.70	65,09.49

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005—06 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2014—105—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7256—न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	2,00.00	99.31	(—)1,00.69
--	---------	-------	------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(5) 2014–114–3572—मुफसिल स्थापना—			
मूल	4,97.80		
पूरक	74.00	5,71.80	3,69.72
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005–06 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)2,02.08
(6) 2015–102–2409—निर्वाचन अधिकारी—			
मूल	6,43.40		
पूरक	9.40	6,52.80	4,16.57
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009–10 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)2,36.23
(7) 2015–103–3307—मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण—			
मूल	11,10.00		
पूरक	4,22.40	15,32.40	14,37.89
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			(-)94.51
(8) 2015–105–4311—संसद के चुनाव कराने के प्रभार—			
मूल	1,65.30		
पुनर्वि.	10.00	1,75.30	98.20
₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			(-)77.10
(9) 2015–106–4006—राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के प्रभार—			
मूल	1,50.30		
पुनर्वि.	(-)10.00	1,40.30	39.67
₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009–10 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)1,00.63
(10) 2052–090–9057—विधि एवं विधायी कार्य—			
मूल	5,58.30		
पूरक	6.00	5,64.30	3,44.31
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008–09 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)2,19.99
(11) 2235–60–200–3255—विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	6,74.50	5,23.96	(-)1,50.54
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009–10 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 29— समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2235-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3255-विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	1,24.50	48.39	(-)76.11
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

प्रभारित—

(iv) ₹ 12,48.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि समर्पित नहीं किया जाना कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-573-उच्च न्यायालय	31,78.00	19,89.43	(-)11,88.57

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005-06 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2052-091-9056-माध्यस्थम अधिकरण	1,67.80	1,07.55	(-)60.25
------------------------------------	---------	---------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(–)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2216—आवास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2501—ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम

2505—ग्राम रोजगार

2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3054—सङ्कें तथा सेतु

4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	4,65,52,26			
पूरक	28,76,07	4,94,28,33	4,29,07,07	(-)65,21,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,51,09,95
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित—

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	1,00	..	(-)1,00
(31 मार्च 2013)			1,00

पूंजीगत :

दत्तमत

मूल	5,03,05,00			
पूरक	2	5,03,05,02	1,01,59,14	(-)4,01,45,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,06,54,51
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 24.71 लाख), दिसम्बर 2012 (₹ 28,50.36 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 1.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 28,76.07 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 65,21.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 1,51,09.95 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(–)
			(₹ लाख में)

(1) 2216—03—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

6549—इंदिरा आवास योजना—

मूल	24,03,08		
पूरक	20,50.17		
पुनर्वि.	(-)16,08.59	28,44.66	28,40.66

₹ 16,08.59 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(2) 2501—02—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम—			
मूल	19,68.81		
पुनर्वि.	(-)18,34.47	1,34.34	1,34.34
₹ 18,34.47 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			..
(3) 2501—06—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8775—प्रशासन योजना जिला स्तर—			
मूल	3,41.37		
पुनर्वि.	(-)80.08	2,61.29	2,59.25
₹ 80.08 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)2.04
(4) 2505—60—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—			
मूल	1,10,15.00		
पुनर्वि.	(-)75,77.41	34,37.59	1,08,46.48
₹ 75,77.41 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश का प्रस्ताव बिलम्ब से प्राप्त होने (₹ 88.50 लाख), जिला पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त न होने, (₹ 15.00 लाख) एवं केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किए के कारण सूचित की गई है (₹ 74,73.91 लाख)। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		+74,08.89	
(5) 2505—60—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आजिविका योजना—			
मूल	25,00.00		
पुनर्वि.	(-)13,08.99	11,91.01	11,81.48
₹ 13,08.99 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)9.53
(6) 2515—001—1033—विकास खंड कार्यालय—			
मूल	17,18.35		
पुनर्वि.	(-)28.26	16,90.09	12,75.75
₹ 28.26 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)4,14.34
(7) 2515—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5063—छत्तीसगढ़ विकास संस्थान	2,20.25	1,63.41	(-)56.84
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(8) 2515—101—2467—पंचायत संचालनालय—			

मूल	2,97.50		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	(—)2,03.27	94.24	94.63

+0.39

(9) 2515—101—2474—पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित प्रभार—			
---	--	--	--

मूल	66,44.42		
पुनर्वि.	(—)19,91.99	46,52.43	55,18.90

+8,66.47

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 2,03.27 लाख तथा ₹ 19,91.99 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2515—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
--	--	--	--

1208—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा—

मूल	29,71.00		
पुरक	74.70		
पुनर्वि.	(—)1,94.52	28,51.18	23,66.08

(-)4,85.10

₹ 1,94.52 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2505—60—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
--	--	--	--

6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना—

मूल	99.35		
पुरक	45.19	1,44.54	6,63.63

+5,19.09

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(2) 2515—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
---	--	--	--

1033—विकास खण्ड कार्यालय—

मूल	19,96.35		
पुनर्वि.	(—)35.65	19,60.70	23,00.18

+3,39.48

₹ 35.65 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2515—800—1208—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा—			
---	--	--	--

मूल	3,45.85		
पुनर्वि.	(—)23.19	3,22.66	5,34.83

+2,12.17

₹ 23.19 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2515—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4855—प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना—			
मूल	33,62.50		
पूरक	2,00.00		
पुनर्वि.	(—)1,51.79	34,10.71	36,18.00
			+2,07.29

₹ 1,51.79 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(v) ₹ 1.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा तथा वर्ष के दौरान राशि अभ्यर्पित की गई। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा।

पूँजीगतः

दत्तमत—

(vi) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 0.02 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 4,01,45.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 4,06,54.51 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 5054—04—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4871—प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण—			

मूल	3,00.00
पुनर्वि.	(—)3,00.00

₹ 3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के प्रर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा।

(2) 5054—04—337—0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)—

7475—मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना—

मूल	3,75,00.00		
पूरक	0.02		
पुनर्वि.	(—)3,06,10.00	68,90.02	77,16.91
			+8,26.89

₹ 3,06,10.00 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय होने (₹ 73,88.34 लाख) कम देयक प्राप्त होने (₹ 50,00.00 लाख) एवं निविदा कार्यों का पूर्ण न होने (₹ 1,82,21.66 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 5054—04—337—0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)—

8650—मुख्य मंत्री ग्राम गौरव पथ योजना—

मूल	1,25,00.00		
पुनर्वि.	(—)97,39.50	27,60.50	24,42.22

(—)3,18.28

₹ 97,39.50 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

3451—सविवालय—आर्थिक सेवाएं

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	22,72,95			
पूरक	10,88,67	33,61,62	25,23,26	(—)8,38,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	40			(—)40
		

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 25,23,26 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 (₹ 1,53,42 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था जबकि दिसम्बर 2012 (₹ 9,35,32 लाख) में प्राप्त किया गया का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 8,38,36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध कोई भी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया जाना कमज़ोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 3451—101—3686—राज्य योजना मण्डल 2,42.70 1,52.71 (—)89.99

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 3451—101—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोनाएं (सामान्य)—

6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान—

मूल	45.00			
पूरक	1,35.00	1,80.00	9.03	(—)1,70.97

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2004—05 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3454—02—111—1430—जन्म मत्यु संबन्धी आंकड़ों का संकलन—

मूल	1,52.90			
पूरक	16.00	1,68.90	96.14	(—)72.76

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005—06 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 3454—02—112—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7414—रथानीय स्तर विकास हेतु मूलभूत सांख्यिकी—			
मूल पूरक	2.10 1,37.42	1,39.52	0.37 (—)1,39.15
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(5) 3454—02—201—512—नमूना सर्वेक्षण	1,29.45	69.46	(—)59.99
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 3454—02—205—8048—आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	12,58.20	10,10.44	(—)2,47.76
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2005—06 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
प्रभारित—			
(iv) यद्यपि ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा, बचत राशि का अभ्यर्पण नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।			

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

मुख्य शीर्ष—

2015—निर्वाचन

2029—भू—राजस्व

2039—राज्य उत्पाद शुल्क

2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

2051—लोक सेवा आयोग

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2053—जिला प्रशासन

2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन

2055—पुलिस

2056—जेल

2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2075—विविध सामान्य सेवाएं

2202—सामान्य शिक्षा

2203—तकनीकी शिक्षा

2205—कला एवं संस्कृति

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2215—जल पूर्ति तथा सफाई

2217—शहरी विकास

2220—सूचना तथा प्रचार

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

2230—श्रम तथा रोजगार

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं

2401—फसल कृषि—कर्म

2403—पशुपालन

2405—मछली पालन

2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी

2425—सहकारिता

2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

2701—मध्यम सिंचाई

2702—लघु सिंचाई

2851—ग्राम तथा लघु उद्योग

2852—उद्योग

2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग

3054—सड़क तथा सेतु

3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

4220—सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 32—जारी

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
(₹ हजार में)		

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	58,96,60			
पूरक	15,41,70	74,38,30	72,26,80	(-)2,11,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,89.83
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	10	..	(-)10
(31 मार्च 2013)			10

पूँजीगत :

दत्तमत	2,00	2,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 2,11.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 1,89.83 लाख का अभ्यर्पण बजट प्रावधान पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान		व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2210—80—800—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—

मूल.	60.00			
पूरक.	70.00			
पुनर्वि.	(-)50.37	79.63	79.00	(-)0.63

₹ 50.37 लाख की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(2) 2220—01—001—8688—छत्तीसगढ़ सूचना केन्द्र नई दिल्ली—

मूल.	1,28.00			
पुनर्वि.	(-)59.40	68.60	67.63	(-)0.97

₹ 59.40 लाख की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(3) 2220—60—106—1479—जिला प्रचार और चल इकाई की स्थापना—

मूल.	6,55.00			
पुनर्वि.	(-)1,22.95	5,32.05	5,35.27	+3.22

₹ 1,22.95 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। वर्ष 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 32—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(4) 2515—001—3956—विज्ञापण, बिक्री और प्रचार व्यय—

मूल	50.00		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-)30.34	69.66	68.93

₹ 30.34 लाख की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

3054—80—001—3956—विज्ञापण, बिक्री और प्रचार व्यय—

मूल	4,50.00		
पुनर्वि.	1,43.27	5,93.27	5,90.07

₹ 1,43.27 लाख का पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,43.30 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.03 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान एवं कमी बजट प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय किए जाने कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(iv) वर्ष के दौरान सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्थित किया गया।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिकय+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	10,99,38,70			
पूरक	6,40,30	11,05,79,00	8,40,49,85	(-)2,65,29,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,53,54,64
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	1,00	..	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,00
(31 मार्च 2013)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 1,00.00 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 5,40.30 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,40.30 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक एवं त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 2,65,29.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 1,53,54.64 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
अनुदान	व्यय	बचत(—)	
(₹ लाख में)			

(1) 2225—02—001—1483—जिला प्रशासन—

मूल	23,34.80			
पूरक	1,00.00			
पुनर्वि.	(-)2,87.84	21,46.96	21,03.28	(-)43.68

₹ 2,87.84 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,91.99 लाख की कमी तथा ₹ 4.15 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 2,84.11 लाख) एवं वृद्धि निधियों की मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 7.88 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। वर्ष 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।

(2) 2225—02—277—1395—छात्रावास—

मूल	68,70.40			
पुनर्वि.	(-)9,48.88	59,21.52	49,97.55	(-)9,23.97

₹ 9,48.88 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति (₹ 4,99.26 लाख) नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 4,49.62 लाख का प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। वर्ष 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2225—02—277—2772—प्राथमिक शालाएं—			
मूल	3,92,70.50		
पुनर्वि.	(—)99,22.80	2,93,47.70	2,33,32.90
₹ 99,22.80 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 58,42.51 लाख) एवं पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए जाने (₹ 37,30.29 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 3,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। वर्ष 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2225—02—277—3492—माध्यमिक शालाएं—			
मूल	3,16,17.00		
पुनर्वि.	(—)29,60.22	2,86,56.78	2,74,60.86
₹ 29,60.22 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है (₹ 19,26.09 लाख)। शेष ₹ 10,34.13 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(5) 2225—02—277—363—आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	3,63.00		
पुनर्वि.	(—)4.09	3,58.91	2,89.96
₹ 4.09 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। वर्ष 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2225—02—277—495—आश्रम और शालाएं—			
मूल	58,12.30		
पुनर्वि.	(—)6,97.16	51,15.14	39,45.33
₹ 6,97.16 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है (₹ 6,70.46 लाख)। शेष ₹ 26.70 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। वर्ष 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2225—02—277—583—उच्चतर माध्यमिक शालाएं—			
मूल	1,27,99.80		
पुनर्वि.	(—)2,39.24	1,25,60.56	1,07,59.54
₹ 2,39.24 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है (₹ 2,29.89 लाख)। शेष ₹ 9.35 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। वर्ष 2010—11 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2225—02—277—761—कन्या शिक्षा परिसर—			
मूल	3,32.20		
पुनर्वि.	(—)50.16	2,82.04	2,67.47
₹ 50.16 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है (₹ 48.42 लाख)। शेष ₹ 1.74 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। वर्ष 2010—11 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(9) 2225—02—277—979—कीड़ा परिसर—

मूल	5,50.70		
पुनर्वि.	(-)77.28	4,73.42	4,40.36

₹ 77.28 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है (₹ 64.70 लाख)। शेष ₹ 12.58 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। वर्ष 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।

(10) 2225—02—277—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—

5325—व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा—

मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	(-)3,00.00

₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2013)। वर्ष 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रवधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2225—02—277—307—अशासकीय संस्थाओं को

सहायता अनुदान—

मूल	19,30.80		
पुनर्वि.	2,97.77	22,28.57	22,12.88

₹ 2,97.77 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 52.23 लाख की कमी तथा ₹ 3,50.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।

(2) 2225—02—277—3673—राज्य छात्रवृत्तियां—

मूल	39,60.00		
पुनर्वि.	(-)27.89	39,32.11	40,32.36

₹ 27.89 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(v) वर्ष के दौरान ₹ 1.00 लाख सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त था।

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	39,47,80			
पूरक	13,00,00	52,47,80	43,99,23	(-)8,48,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,32,83
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	40	..	-40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			40
(31 मार्च 2013)			

पूँजीगत:	10,00	10,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणी:

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 13,00.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ एवं त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) ₹ 8,48.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 9,32.83 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
अनुदान	(₹ लाख में)		

(1) 2235—02—001—2322—निर्देशन और प्रशासन—

मूल	12,51.85		
पुनर्वि.	(-)3,38.81	9,13.04	9,27.15

(2) 2235—02—101—79—अंधे, बहरे तथा गूंगों के लिए

शाला तथा संस्थाएं—

मूल	5,95.40		
पुनर्वि.	(-)1,01.86	4,93.54	4,95.31

(3) 2235—02—101—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—

7491—निःशक्त जनों को बाधा रहित

सुविधाओं का विकास—

पूरक	1,48.00		
पुनर्वि.	(-)64.00	84.00	94.00

उपरोक्त कम संख्या (1) से (3) के शीर्षांतर्गत कमशः ₹ 3,38.81 लाख, ₹ 1,01.86 लाख एवं ₹ 64.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (1) के शीर्षांतर्गत एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (3) के शीर्षांतर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 34—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5650—जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र—			
मूल	66.00		
पुनर्वि.	(-)49.00	17.00	20.08
			+3.08
₹ 49.00 लाख की प्रत्याशित बचत साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षात्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7462—राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना—			
मूल	47.60		
पुनर्वि.	(-)47.60
₹ 47.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षात्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2235—02—106—3339—छत्तीसगढ़ विशेष न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाएं—			
मूल	2,54.60		
पुनर्वि.	(-)55.47	1,99.13	2,01.24
			+2.11
(7) 2235—02—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5490—राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्तजन—			
मूल	1,78.85		
पुनर्वि.	(-)68.63	1,10.22	1,32.20
			+21.98
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (7) के शीर्षात्तर्गत क्रमशः ₹ 55.47 लाख एवं ₹ 68.63 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षात्तर्गत एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षात्तर्गत भी बचत हुई थी।			
प्रभारित—			
(v) वर्ष के दौरान ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त था।			

अनुदान संख्या 35—पुर्णवास

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिकय+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

राजस्व:

दत्तमत— वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	1,62,19	1,19,56	(—)42,63 43,41
--	---------	---------	-------------------

टीका एवं टिप्पणियाः

राजस्व :

(i) ₹ 42.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 43.41 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+ बचत(—)
अनुदान		व्यय	
		(₹ लाख में)	

(1) 2235—01—200—3135—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से
आये नव अप्रवासियों के पुनर्स्थापन—

मूल	30.00
पुनर्वि.	(—)30.00

₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं
(जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।

(2) 2235—01—200—4625—स्थायी दायित्व गृह
माना, जिला रायपुर का संचालन—

मूल	1,12.39	1,00.22	1,00.71	+0.49
पुनर्वि.	(—)12.17

₹ 12.17 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2003—04 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2013—मंत्री परिषद
2041—वाहन कर
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं
6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	38,97,01		
पूरक	17,82	39,14,83	23,97,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)15,17,77

प्रभारित—	20,10	11,64	(—)8,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूंजीगतः

दत्तमत	10,00,00	7,00,00	(—)3,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से रहा, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 17.82 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

(ii) ₹ 15,17.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत का अभ्यर्णण नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय के प्रवाह पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2013—108—3283—मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय	2,46.38	1,04.15	(—)1,42.23
(2) 2041—101—4280—संग्रह प्रभार—			
मूल	15,59.85		
पूरक	17.82	15,77.67	8,29.25
(3) 2041—102—679—इनफोर्मेंट—			
मूल	9,53.00		
पूरक	सांकेतिक	9,53.00	5,26.75
(4) 2052—090—4327—सचिवालय			
	1,92.00	1,13.68	(—)78.32

अनुदान संख्या 36—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(5) 2070—114—3598—मोटर गैरेज	6,34.63	5,79.64	(—)54.99

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत, 2008—09 से 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत तथा 2007—08 से 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 8.36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। बचत का अभ्यर्पण नहीं किया जाना कमज़ोर बजट प्रबंधन एवं व्यय के प्रवाह पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2070—114—3598—मोटर गैरेज	20.00	11.64	(—)8.36

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 3,00.00 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए भी, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। बचत का अभ्यर्पण नहीं किया जाना कमज़ोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
6075—800—5445—सी.आई.डी.सी. को राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु उधार	10,00.00	7,00.00	(—)3,00.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 37—पर्यटन

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ हजार में)
---------------	------------------	-----------------------------------

मुख्य शीर्ष—**3452—पर्यटन****5452—पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय**

राजस्व	41,58.50	41,58,50	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत	28,00,00	8,00,00	(—)20,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

(i) ₹ 20,00.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, यह बजट प्रक्रिया पर पर्याप्त नियंत्रण का न होना दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

5452—01—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

7009—प्रत्येक ज़िलों में पर्यटन

केन्द्रों का विकास	20,00.00	..	(—) 20,00.00
--------------------	----------	----	--------------

सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार
- 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें
- 4408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय
- 6408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	7,03,20,74			
पूरक	3,21,22,10	10,24,42,84	10,13,66,07	(—)10,76,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,72,00
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	50	..	(—)50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	5,82,67,31			
पूरक	57,50,00	6,40,17,31	5,63,67,49	(—)76,49,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 10,13,66,07 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया (₹ 3,03,67.00 लाख) अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया (₹ 15,95.66 लाख) अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक था, जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया (₹ 1,59.44 लाख) अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 10,76.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 1,72.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2235—60—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न
सहायता योजना—

मूल	3,01,50.00		
पूरक	11,00.00	3,12,50.00	3,09,64.26

(—)2,85.74

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 2408—01—001—1471—जिला कार्यालय	10,60.30	9,70.88	(—)89.42
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2408—01—102—3229—नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	2,00.00	..	(—)2,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2408—01—102—3248—राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति—			
मूल	3,50,00.00		
पूरक	3,00,00.00		
पुनर्वि.	(—)2,98,52.51	3,51,47.49	3,51,47.49
₹ 2,98,52.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(5) 2408—01—102—6964—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता—			
मूल	1,85.01		
पूरक	सांकेतिक	1,85.01	15.32
पुनर्वि.	(—)1,72.00		(—)1,69.69
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—7439—पी.डी.एस. हेतु स्मार्ट कार्ड प्रदाय योजना—			
मूल	1,72.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(—)1,72.00
₹ 1,72.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(7) 2408—01—190—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—5456—अंत्योदय अन्न योजना—			
पूरक	3,71.06	3,71.06	..
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(8) 2408—01—106—6112—मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय	3,41.70	2,90.65	(—)51.05
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 39—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2408—01—102—7302—समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसानों को बोनस—			
मूल पुनर्वि	0.01 2,98,52.51	2,98,52.52	2,98,52.51 (—)0.01
₹ 2,98,52.51 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(2) 2408—01—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—	5456—अंत्योदय अन्न योजना	7,40.00	11,11.06 +3,71.06
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

प्रभारित—

(v) ₹ 0.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण राशि अप्रयुक्त थी।

पूंजीगतः

दत्तमत—

(vi) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था जुलाई 2012 में प्राप्त किया ₹ 57,50.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 76,49.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4408—02—195—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7478—नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु	35,00.00	28,59.40	(—)6,40.60
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(2) 6408—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—	6914—पहुंच विहीन क्षेत्रों हेतु वर्षा ऋतु में खाद्यान्न भण्डारन हेतु सहायता	2,50.00	1,79.99 (—)70.01
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 6408—02—190—0311—नाबार्ड घोषित योजनायें (सामान्य)—	8445—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	45,17.31	21,42.10 (—)23,75.21
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 39—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 6408—02—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6777—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी			
विपणनसंघ को बारदाना क्रय			
हेतु ऋण—			
मूल	2,50,00.00		
पूरक	57,50.00		
पुनर्वि.	(-)45,63.61	2,61,86.39	2,61,86.00
			(-)0.39

₹ 45,63.61 लाख की प्रत्याशित बचत जूट बैग के साथ प्लास्टिक बैग का उपयोग किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2705—कमान क्षेत्र विकास

4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत	5,09,48	5,15,89	+ 6,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	20	..	(−) 20 ..

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल.	43,00,00		
पूरक	13,70,00	56,70,00	56,20,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(−) 49,14 ..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 6,40,784 के आधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	

2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

6305—सिंचाई सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान	1,75.00	2,95.38	+1,20.38
---	---------	---------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से बचत द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	

(1) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

3436—महानदी कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1,20.94	98.85	(−)22.09
---	---------	-------	----------

(2) 2705—210—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

6304—सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान	1,30.00	46.50	(−)83.50
--	---------	-------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.20 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित की नहीं की गई।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 49.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

4705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

2823—फिल्ड चेनल्स का निर्माण—

मूल	21,50.00		
पूरक	6,85.00	28,35.00	(-)49.14

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(vii) उचंत लेन देन:-

उचंत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के नीचे टिप्पणी (v) में दी गई है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत 2012-13 तक इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	31 मार्च 2013 को नामे+ जमा (-)	अंतशेष
(₹ लाख में)					

4701—मध्यम सिंचाई पर

पूंजीगत परिव्यय—

(1) क्रय	(-)4.74	(-)4.74
(2) भण्डार	(-)0.03	(-)0.03
(3) विविध निर्माण कार्य				
अग्रिम	+15.07	+15.07
योग	+10.30	+10.30

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
- 2216—आवास
- 2217—शहरी विकास
- 2220—सूचना तथा प्रचार
- 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230—श्रम तथा रोजगार
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2236—पोषण
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
- 2403—पशु—पालन
- 2405—मछली—पालन
- 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
- 2408—खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार
- 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
- 2425—सहकारिता
- 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- 2505—ग्राम रोजगार
- 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 2702—लघु सिंचाई
- 2801—बिजली
- 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2852—उद्योग
- 2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
- 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4215—जल पूर्ति और मल निकासी पर पूंजीगत परिव्यय
- 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
- 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य
पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
- 4408—खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय
- 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
- 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
- 5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
- 6215—जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 41—जारी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज
6425—सहकारिता के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	33,28,48,42			
पूरक	3,64,88,36	36,93,36,78	30,64,30,17	(-)6,29,06,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,59,66,55
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	10	..	(-)10
			10

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	18,63,55,54			
पूरक	73,53,53	19,37,09,07	12,02,74,72	(-)7,34,34,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,69,28,46
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	15,00	8,97	(-)6,03
(31 मार्च 2013)			13,30

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 96,77.15 लाख), दिसम्बर 2012 (₹ 2,22,59.02 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 45,52.19 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,64,88.36 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 6,29,06.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 3,59,66.55 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन अर्पणात्मक बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 2202—01—796—001—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

2721—प्रशासन की सुदृढ़ीकरण विकास खण्ड स्तर-

मूल	21,98.60		
पुनर्वि.	(-)80.65	21,17.95	19,50.65

₹ 80.65 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षात्मक बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
(2) 2202-01-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5634—कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए कार्यक्रम	4,00.00	2,03.76	(-)1,96.24
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2773—प्राथमिक शालाएं— मूल 65,59.45 पुनर्वि. (-)2,07.42	63,52.03	56,18.71	(-)7,33.32
₹ 2,07.42 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 494—आश्रम— मूल 76,18.70 पुनर्वि. (-)9,15.86	67,02.84	65,49.42	(-)1,53.42
₹ 9,15.86 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5092—मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना— मूल 14,00.00 पुनर्वि. (-)6,93.59	7,06.41	7,04.32	(-)2.09
₹ 6,93.59 लाख की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत छात्रों का चयन कम संख्या में होने के कारण सूचित की गई है (₹ 2,26.83 लाख)। शेष ₹ 4,66.76 लाख की प्रत्याशित बचत के प्रर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-01-796-111-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5396—सर्व शिक्षा अभियान	3,30,00.00	2,06,83.92	(-)1,23,16.08
(7) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 40,62.00 पूरक 31,94.00	72,56.00	57,38.26	(-)15,17.74

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(8) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—	मूल 23,18.00 पूरक 17,90.90	41,08.90	31,58.63 (—)9,50.27
(9) 2202-02-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6794—सूचना एवं संचार तकनीकी		14,00.00	1,82.69 (—)12,17.31
(10) 2202-02-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	65,80.00		33,61.89 (—)32,18.11
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (10) के शीर्षांतर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6),(8) एवं (10) के शीर्षांतर्गत, 2008-09 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षांतर्गत एवं 2007-08 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1398—छात्रावास—	मूल 49,53.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)27,28.77	22,24.23	39,54.65 +17,30.42
₹ 27,28.77 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 75.86 लाख की वृद्धि एवं ₹ 28,04.63 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2501—परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण—	मूल 1,00.00 पूरक 1,29.20 पुनर्वि. (—)2,08.98	20.22	19.58 (—)0.64
₹ 2,08.98 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मॉग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5032—आवासीय विद्यालय समिति को अनुदान— {धारा 275(i)}	मूल 15,00.00 पुनर्वि. (—)2,80.78	12,19.22	12,18.22 (—)1.00
₹ 2,80.78 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(14) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 581—उच्चतर माध्यमिक शाला—			
मूल	83,02.50		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)7,34.32	75,68.18	72,06.28
			(-)3,61.90

₹ 7,34.32 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 7,29.90 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 4.42 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(15) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6755—कम्प्यूटर शिक्षा योजना—			
मूल	2,75.00		
पुनर्वि.	(-)1,94.00	81.00	..
			(-)81.00

₹ 1,94.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।

(16) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 762—कन्या शिक्षा परिसर—			
मूल	2,36.40		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)64.53	1,71.87	1,59.61
			(-)12.26

₹ 64.53 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 62.33 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 2.20 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(17) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9817—शिक्षा का व्यवसायीकरण—			
मूल	2,36.50		
पुनर्वि.	(-)23.38	2,13.12	1,32.13
			(-)80.99

₹ 23.38 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 23.08 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.30 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।

(18) 2202-03-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7289—सरगुजा विश्वविद्यालय—			
मूल	4,20.00		
पूरक	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,00.00	4,20.00	4,20.00
			..

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालयों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।

(19) 2202-03-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7290—बस्तर विश्वविद्यालय—			
मूल	6,70.00		
पुनर्वि.	(-)2,50.00	4,20.00	4,20.00
			..

₹ 2,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(20) 2202-03-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7445—सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग महाविद्यालय—			
मूल 7,00.00 पुनर्वि. (-)3,85.00	3,15.00	3,15.00	..
₹ 3,85.00 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2202-03-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 798—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय—			
मूल 24,61.60 पूरक 50.00 पुनर्वि. (-)1,95.98	23,15.62	24,04.03	+ 88.41
₹ 1,95.98 लाख की प्रत्याशित बचत के प्रर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2202-80-796-800-1202—विदेशी सहयता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान 18,34.00 बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।		10,00.80	(-)8,33.20
(23) 2203-796-001-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय—			
पूरक 6,00.00 पुनर्वि. (-)6,00.00
₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(24) 2203-796-105-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं—			
मूल 6,83.50 पुनर्वि. (-)4,12.08	2,71.42	2,75.98	+4.56
₹ 4,12.08 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2203-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2667—पॉलीटेक्निक—			
मूल 2,02.10 पुनर्वि. (-)1,10.83	91.27	73.87	(-)17.40
₹ 1,10.83 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(26) 2210-01-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1353—चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय—	16,65.10	11,90.64	(-)4,74.46
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2210-01-796-196-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1473—जिला चिकित्सालय—			
मूल 29,95.20 पुनर्वि. (-)2,48.50	27,46.70	18,46.53	(-)9,00.17
₹ 2,48.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 33.70 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,82.20 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि नई भर्ती के कारण एवं कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2210-03-796-104-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9360—चलित जीवन ज्योति औषधालयों की स्थापना	1,91.50	59.06	(-)1,32.44
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(29) 2210-03-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)—			
मूल 44,10.20 पुनर्वि. (-)1,40.70	42,69.50	38,08.98	(-)4,60.52
₹ 1,40.70 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 173.20 लाख की कमी एवं ₹ 32.50 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वृद्धि नये पदों की भर्ती किये जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(30) 2210-04-796-101-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	1,60.00	22.60	(-)1,37.40
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			
(31) 2210-04-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	13,44.10	10,59.03	(-)2,85.07
(32) 2210-04-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	2,84.80	99.62	(-)1,85.18

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(33) 2210—05—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5689—चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की स्थापना	17,20.00	9,16.43	(—)8,03.56
उपरोक्त क्रम संख्या (31) से (33) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रमसंख्या (32) एवं 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (33) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 2210—06—796—003—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 4,16.70 पुनर्वि. (—)15.00	4,01.70	2,18.38	(—)1,83.32
₹ 15.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(35) 2210—06—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4244—शीत ज्वर— मूल 22,66.80 पुनर्वि. 2.40	22,69.20	20,04.40	(—)2,64.80
₹ 2.40 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नये पदों पर भर्ती किए जाने के सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2210—06—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5688—मुख्यमंत्री दवा पेटी	3,20.00	..	(—)3,20.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(37) 2210—80—796—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	7,69.00	4,80.00	(—)2,89.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(38) 2211—796—001—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 1508—जिला स्तरीय अमला— मूल 2,25.50 पुनर्वि. (—)74.80	1,50.70	1,11.16	(—)39.54
₹ 74.80 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(39) 2211—796—101—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 44,69.80 पूरक 6,50.00 पुनर्वि. 1,73.90	52,93.70	39,43.17	(—)13,50.53

अनुदान संख्या 41—जारी

₹ 1,73.90 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,79.10 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,05.20 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि नई भर्ती एवं कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	

(40) 2215—01—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7353—राष्ट्रीय ग्रामीण

पेयजल कार्यक्रम—

मूल	46,00.00		
पुनर्वि.	(−)4,78.66	41,21.34	41,53.25

+31.91

₹ 4,78.66 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यक निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(41) 2215—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4378—समस्याग्रस्त ग्रामों में

पेय जल प्रदाय—

मूल	12,40.00		
पुनर्वि.	(−)2,79.62	9,60.38	9,63.21

+2.83

₹ 2,79.62 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है (₹ 79.62 लाख)। शेष ₹ 2,00.00 की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(42) 2215—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6998—ग्रामीण क्षेत्रों में स्पॉट सोर्स

द्वारा जल प्रदाय—

मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	(−)1,55.03	2,44.97	2,66.79

+21.82

₹ 1,55.03 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(43) 2215—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

9937—पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना—

मूल	7,00.00		
पुनर्वि.	(−)2,21.14	4,78.86	4,71.86

(−)7.00

₹ 2,21.14 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(44) 2215—01—796—191—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6780—अम्बिकापुर (बाह्य) जल प्रदाय योजना—

मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	(−)2,00.00

₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(45) 2215—01—796—193—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8620—नईलेदरी नल जल प्रदाय योजना—	मूल 1,00.00 पुनर्वि. (—)1,00.00
₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(46) 2215—01—796—193—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8621—खोंगापानी नल जल प्रदाय योजना—	मूल 1,00.00 पुनर्वि. (—)1,00.00
₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(47) 2216—03—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6549—इंदिरा आवास योजना—	मूल 18,26.34 पूरक 15.58.13 पुनर्वि. (—)11,01.58	22,82.89 22,79.85	(—)3.04
₹ 11,01.58 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(48) 2225—02—796—102—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5024—आदिवासी विशेष पिछड़े समूह—	मूल 28,36.00 पुनर्वि. (—)8,36.00	20,00.00 20,00.00	..
₹ 8,36.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(49) 2225—02—796—102—0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित— 5211—एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम—	मूल 87,74.30 पूरक 33,73.00 पुनर्वि. (—)35,77.72	85,69.59 90,20.34	+4,50.76
₹ 35,77.72 लाख की प्रत्याशित बचत क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(50) 2225—02—796—102—0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित— 5212—माडा क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम—	मूल 8,04.70 पूरक 1,72.30 पुनर्वि. (—)3,00.00	6,77.00	6,76.78	(—)0.22
₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(51) 2225—02—796—800—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास—	मूल 3,31.20 पूरक 50.00 पुनर्वि. (—)2,24.71	1,56.49	2,94.82	+1,38.33
₹ 2,24.71 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 21.25 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 2,03.46 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।				
(52) 2225—02—796—800—0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित— 9819—विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण—	मूल 7,77.40 पुनर्वि. (—)1,27.40	6,50.00	6,50.00	..
₹ 1,27.40 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(53) 2225—02—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7320—राज्य आदिवासी अनुसंधान संस्थान—	मूल 85.00 पुनर्वि. (—)85.00
₹ 85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण सूचित की गई है। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।				
(54) 2230—03—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5176—मिनी आई.टी.आई. की स्थापना—	मूल 2,12.50 पुनर्वि. (—)1,71.50	41.00	42.70	+1.70
₹ 1,71.50 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(55) 2230-03-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7438—स्टेट स्कील डेवलपमेंट मिशन—	पूरक 1,00.00 पुनर्वि. (-)86.18	13.82	10.77 (-)3.05
	₹ 86.18 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।		
(56) 2230-03-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5176—मिनी आई.टी.आई.की स्थापना—	मूल 15,72.00 पूरक 2,57.50 पुनर्वि. (-)9,14.32	9,15.18	9,21.72 +6.54
	₹ 9,14.32 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		
(57) 2235-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय—	मूल 16,26.00 पुनर्वि. (-)2,04.45	14,21.55	14,33.09 +11.54
	₹ 2,04.45 लाख की प्रत्याशित बचत नये आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		
(58) 2235-02-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7365—अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम—	मूल 1,25.00 पुनर्वि. (-)1,25.00
	₹ 1,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।		
(59) 2235-60-794-800-6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना—	पूरक 8,36.00	8,36.00	.. (-)8,36.00
	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।		
(60) 2235-60-796-200-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5136—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	51.90	..	(-)71.90
	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।		

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(61) 2236—02—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 414—आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना—	मूल 1,36,80.00 पुनर्वि. (-)17,92.09	1,18,87.91	1,17,84.46 (-)1,03.45

(62) 2236—02—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7361—सबला योजना—	मूल 15,20.00 पुनर्वि. (-)2,09.36	13,10.64	12,81.54 (-) 29.10
--	-------------------------------------	----------	-----------------------

उपरोक्त क्रमसंख्या (61) एवं (62) के शीर्षान्तर्गत ₹ 17,92.09 लाख एवं ₹ 2,09.36 लाख की प्रत्याशित बचत न्यायालयीन प्रकरणों आदि के कारण नवीन औंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन न होने एवं बाल विकास योजनान्तर्गत संचालित महिला स्व. सहायता समूहों को कम भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(63) 2236—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम— विशेष पोषण आहार योजना—	मूल 10,96.00 पूरक 1,90.20 पुनर्वि. (-)2,73.49	10,12.71	11,08.07 +95.36
--	---	----------	--------------------

₹ 2,73.49 लाख की प्रत्याशित बचत नवजातन योजना के अंतर्गत पारीतोषिक हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(64) 2401—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5411—आईसोपाम विकास योजना—	मूल 9,70.00 पुनर्वि. (-)4,78.22	4,91.78	5,83.01 +91.23
---	------------------------------------	---------	-------------------

₹ 4,78.22 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(65) 2401—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6820—कृषक समग्र विकास योजना—	मूल 10,00.00 पूरक 34.00 पुनर्वि. (-)1,00.18	9,33.82	9,21.84 (-)11.98
---	---	---------	---------------------

₹ 1,00.18 लाख की प्रत्याशित बचत बीज कथ किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(66) 2401-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8808—वन ग्रामों के पट्टाधारी कृषकों को निःशुल्क प्रमाणित बीज एवं उर्वरक वितरण—	मूल 12,40.00 पुनर्वि. (-)1,72.35	10,67.65	10,63.12 (-)4.53
₹ 1,72.35 लाख की प्रत्याशित बचत पूर्व में ही लाभ प्राप्त कर चुके किसानों को लाभ नहीं दिए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(67) 2401-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8540—श्री विधि द्वारा धान की उत्पादकता वृद्धि के लिए योजना—	मूल 2,66.00 पुनर्वि. (-)1,32.92	1,33.08	1,48.44 +15.36
₹ 1,32.92 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा कम दर में प्रदर्शनी आयोजित किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(68) 2401-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8541—धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन—	मूल 7,06.80 पुनर्वि. (-)3,04.29	4,02.51	3,27.54 (-)74.97
₹ 3,04.29 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा कम दर में प्रदर्शनी आयोजित किए जाने (₹ 2,56.68 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 47.61 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(69) 2401-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8702—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना—(कारपस फण्ड)	मूल 12,54.00 पुनर्वि. (-)11,11.99	1,42.01	1,42.01 ..
₹ 11,11.99 लाख की प्रत्याशित बचत बीमा कंपनी द्वारा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने (₹ 3,34.37 लाख) एवं बीमित हितग्राहियों को भुगतान नहीं किए जाने (₹ 32.62 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 7,45.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(70) 2401-796-113-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7332—बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना—	मूल 6,80.00 पुनर्वि. (-)3,93.09	2,86.91	2,47.90 (-)39.01
₹ 3,93.09 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा कम निधि विमुक्त किए जाने (₹ 2,32.09 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,61.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(71) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6831—राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	6,50.00	5,22.68	(-)1,27.32
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(72) 2403-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय—			
मूल 3,11.16 पुनर्वि. (-)2,56.72	54.44	56.44	+2.00
₹ 2,56.72 लाख की प्रत्याशित बचत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या प्राप्त नहीं होने के कारण चार माह के वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(73) 2403-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7471—नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुकुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान—			
मूल 4,40.80 पुनर्वि. (-)3,89.95	50.85	50.81	(-)0.04
(74) 2403-796-800-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8317—बस्तर जिले में पशुधन विकास—			
मूल 2,48.67 पुनर्वि. (-)78.92	1,69.75	1,68.77	(-)0.98
उपरोक्त क्रम संख्या (73) एवं (74) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 3,89.95 लाख एवं ₹ 78.92 लाख की प्रत्याशित बचत नव नियुक्त कर्मचारियों के प्रान नम्बर प्राप्त नहीं होने के कारण चार माह के वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (73) एवं 2008-09 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (74) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(75) 2406-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6854—लाख विकास योजना—			
मूल 2,50.00 पुनर्वि. (-)2,50.00
₹ 250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(76) 2406-01-796-800-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6792—लघु वनोपज संग्राहक सामूहिक बीमा योजना—			
मूल 4,80.00 पुनर्वि. (-)4,26.00	54.00	..	(-)54.00
₹ 4,26.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(77) 2406—02—796—110—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6771—अचानकमार अमरकंटक बायोस्फेर रिजर्व का विकास	2,00.00	45.44	(—)1,54.56
(78) 2406—02—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 3730—प्रोजेक्ट टाईगर	12,25.00	8,10.26	(—)4,14.74
उपरोक्त कम संख्या (77) एवं (78) शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2010—11 एवं 2011—12 के अंतर्गत उपरोक्त कम संख्या (77) के शीर्षान्तर्गत एवं 2009—10 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (78) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(79) 2406—02—796—195—0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8545—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण—			
मूल 22,50.00 पुनर्वि. (—)90.33	21,59.67	21,59.67	..
₹ 90.33 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(80) 2415—80—796—120—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9182—इन्दिरा गांधि कृषि विश्व विद्यालय को अनुदान—			
मूल 3,50.00 पुनर्वि. (—)87.50	2,62.50	2,62.50	..
₹ 87.50 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(81) 2425—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु ब्याज अनुदान—			
मूल 45,60.00 पुनर्वि. (—)7,60.00	38,00.00	38,00.00	..
₹ 7,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(82) 2425—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8671—लघु एवं सीमान्त कृषकों के ऋण माफी योजना—			
पूरक 10,59.00 पुनर्वि. (—)1,28.91	9,30.09	9,30.09	..
₹ 1,28.91 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(83) 2501—02—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम—	मूल 14,96.25 पुनर्वि. (—)14,12.44	83.81	83.81 ..
(84) 2505—60—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6728—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—	मूल 1,14,00.00 पुनर्वि. (—)43,09.02	70,90.98	59,97.64 (—)10,93.34
(85) 2505—60—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भिशन—	मूल 19,00.00 पुनर्वि. (—)9,94.84	9,05.16	8,97.92 (—)7.24
उपरोक्त क्रम संख्या (83) से (85) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 14,12.44 लाख, ₹ 43,09.02 एवं ₹ 9,94.84 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के द्वारा जारी केन्द्रांश के सदृश राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई हैं इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (84) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(86) 2215—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5495—मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन—	मूल 12,75.90 पुनर्वि. (—)50.66	12,25.24	11,91.04 (—)34.20 ..
₹ 50.66 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(87) 2801—06—796—101—0410—उर्जा विकास निधि— 6758—कृषि पम्पों का विद्युतिकरण—	मूल 38,30.00 पुनर्वि. (—)3,61.36	34,68.64	34,68.34 ..
₹ 3,61.36 लाख की प्रत्याशित बचत पम्पों के लिए कम व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(88) 2801—06—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6501—एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान—	मूल 32,83.20 पूरक 18,42.00 पुनर्वि. (—)8,91.00	42,34.20	42,34.20 ..
₹ 8,91.00 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों द्वारा कम बिजली उपयोग किए जाने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(89) 2851—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6857—उद्योगों को ब्याज अनुदान—	मूल 12,50.00 पुनर्वि. (-)3,43.14	9,06.86	8,98.49 (-)8.37
	₹ 3,43.14 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		
(90) 2852—80—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7395—केडिट गारंटी फण्ड—	मूल 4,00.00 पुनर्वि. (-)4,00.00
	₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		
(91) 2853—02—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण—	मूल 26,20.00 पुनर्वि. (-)3,04.03	23,15.97	23,03.64 (-)12.33
	₹ 3,04.03 लाख की प्रत्याशित बचत लघु खनिज से प्राप्त राजस्व प्राप्ति का स्थानांतरण पंचायतों को नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2202—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3496—पूर्व माध्यमिक शालाएं—	मूल 1,40,17.00 पुनर्वि. (-)1,70.50	1,38,46.50	1,42,73.23 +4,26.73
	₹ 1,70.50 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 165.02 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 5.48 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।		
(2) 2202—01—796—106—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	5,37.00	6,18.00	+81.00
	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।		

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2202—02—796—109—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5216—हाई स्कूल—			
मूल	32,90.30		
पुनर्वि.	(—)45.11	32,45.19	39,78.48 +7,33.29
₹ 45.11 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(4) 2202—02—796—109—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6140—छात्रा भोजन सहाय योजना—			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	88.68	2,88.68	2,80.54 (—)8.14
₹ 88.68 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 11.32 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधियों में वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(5) 2202—02—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 672—एचिक संस्थाओं का शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान—			
मूल	20,70.90		
पूरक	1,79.38		
पुनर्वि.	1,37.27	23,87.55	23,61.82 (—)25.73
₹ 1,37.27 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,90.90 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,53.63 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधियों में वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(6) 2210—03—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल	24,22.40		
पूरक	1,00.00		
पुनर्वि.	2,67.60	27,90.00	26,38.79 (—)1,51.21
₹ 2,67.60 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नये पदों पर नियुक्ति किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(7) 2215—01—796—191—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6743—जगदलपुर जल प्रदाय योजना—			
मूल	1,75.00		
पुनर्वि.	2,00.00	3,75.00	3,75.00 ..
₹ 2,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(8) 2215—01—796—192—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6858—दीपिका जल प्रदाय योजना—			
मूल	0.10		
पुनर्वि.	1,99.90	2,00.00	2,00.00 ..
₹ 1,99.90 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.10 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि/कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(9) 2215—01—796—192—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6873—खरसिया जल प्रदाय योजना—	मूल 0.10 पुनर्वि. 99.90	1,00.00	1,00.00 ..
			₹ 99.90 लाख के पुर्णविनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.10 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि/कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।
(10) 2235—60—794—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना		2,66,00.00	2,72,82.38 +6,82.38
			आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।
(11) 2401—796—108—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 4838—मैको मैनेजमेंट वर्किंग प्लान—	मूल 5,70.00 पुनर्वि. 1,52.33	7,22.33	6,73.07 (−)49.26 ..
			₹ 1,52.33 लाख के पुर्णविनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में बचत प्रावधान में ₹ 3,34.37 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,82.04 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि भारत सरकार द्वारा अधिक कार्य योजना स्वीकृत किए जाने के कारण एवं कमी वित्त विभाग द्वारा निधि वित्तीय वर्ष के अंत में जारी किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।
(12) 2401—796—109—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 309—अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान—	मूल 40.00 पूरक 33.91 पुनर्वि. 81.52	1,55.43	1,55.43 ..
			₹ 81.52 लाख के पुर्णविनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के स्वीकृत पदों के भुगतान एवं विकास के कारण सूचित किया गया है।
(13) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2533—हरियाली प्रसार योजना—	मूल 1,00.00 पुनर्वि. 82.50	1,82.50	1,74.95 (−)7.55 ..
			₹ 82.50 लाख के पुर्णविनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वृक्षारोपण के लिए मजदूरी का भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।
(14) 2702—03—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5709—किसान समृद्धि योजना के लिए अनुदान—	मूल 5,00.00 पुनर्वि. 1,03.07	6,03.07	6,10.77 +7.70 ..
			₹ 1,03.07 लाख के पुर्णविनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 57.93 लाख की कमी एवं ₹ 1,61.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी हितग्राहियों द्वारा निधि की मँग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 41—जारी

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 59,27.31 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 14,26.22 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 73,53.53 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 7,34,34.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 6,69,28.46 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4202—01—796—202—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

1400—छात्रावास तथा आश्रम

भवन का निर्माण—

मूल 10,00.00

पुनर्वि. (—)10,00.00

₹ 10,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010—11 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202—01—796—202—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

1400—छात्रावास तथा आश्रम भवन—

मूल 10,00.00

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. (—)10,00.00

₹ 10,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश एवं स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202—01—796—202—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7367—मॉडल स्कूल योजना— 20,38.00 1,96.00 (—)18,42.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013) 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4202—02—796—103—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5176—मिनी आई.टी.आई.

की स्थापना—

मूल 7,00.00

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. (—)6,24.95

75.06

41.34 (—)33.72

₹ 6,24.95 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त संख्या में निविदायें प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(5) 4202—02—796—103—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7438—स्टेट स्किल डल्लपमेंट मिशन— पूरक 46,00.00 पुनर्वि. (-)26,02.24	19,97.76	23,34.60	+3,36.84
₹ 26,02.24 लाख के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान की प्रत्याशित बचत बजट के लिए स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(6) 4202—02—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5176—मिनी आई.टी.आई. की स्थापना— मूल 7,00.00 पुनर्वि. (-)6,99.54	0.46	34.18	+33.72
₹ 6,99.54 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त संख्या में निविदायें प्राप्त नहीं होनें एवं विभिन्न फर्मों द्वारा सामग्री प्रदाय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4202—02—796—104—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 11,00.00 पुनर्वि. (-)10,31.16	68.84	2,63.83	+1,94.99
₹ 10,31.16 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियों के प्राप्त नहीं होने (₹ 10,00.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 31.16 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4202—02—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4945—तकनीकी शिक्षा के भवन निर्माण— मूल 3,00.00 पुनर्वि. (-)1,69.57	1,30.43	1,25.43	(-)5.00
₹ 1,69.57 लाख की प्रत्याशित बचत संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होनें के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4210—01—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2502—चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय	2,00.00	..	(-)2,00.00
(10) 4210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	1,00.00	..	(-)1,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4210—01—796—196—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1473—जिला चिकित्सालय	1,10.00	..	(-)1,10.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 4210-02-796-103-1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उप योजना)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	7,24.50	4,80.00	(-)2,44.50
(13) 4210-03-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5689—चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की स्थापना	4,25.00	82.63	(-)3,42.37
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4210-04-796-112-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	1,00.00	..	(-)1,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4215-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5403—ग्रामीण पाइप जल प्रदाय योजना—			
मूल 20,00.00 पुनर्वि. (-)18,27.70	1,72.30	1,05.37	(-)66.93
₹ 18,27.70 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं की गई है (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4215-02-796-106-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5699—शालाओं की शौचालय व्यवस्था—			
मूल 1,50.00 पुनर्वि. (-)1,09.90	40.10	40.10	..
₹ 1,09.90 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(17) 4216-01-796-700-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7460—आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों को आवासीय गृह—			
मूल 5,00.00 पुनर्वि. (-)5,00.00
(18) 4225-02-796-800-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास—			
पूरक 3,00.00 पुनर्वि. (-)3,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत ₹ 5,00,00 लाख एवं ₹ 3,00,00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(19) 4225—02—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5480—आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार [अनुच्छेद 275(1)]—	मूल 80,35.00 पुरक 12,57.30 पुनर्वि. (—)8,20.72	84,71.58	84,69.55 (—)2.03
₹ 8,20.72 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियों के प्राप्त नहीं होनें के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4700—03—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5685—बांध की सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण—	मूल 1,00.00 पुनर्वि. (—)96.64	3.36	8.12 +4.76
₹ 96.64 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी गति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं की गई है (जुलाई 2013)।			
(21) 4701—08—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण—	मूल 6,35.00 पुनर्वि. (—)3,64.30	2,70.70	2,90.29 +19.59
₹ 3,64.30 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 4701—24—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य—	मूल 5,30.00 पुनर्वि. (—)32.23	4,97.77	44.54 (—)4,53.23
₹ 32.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(23) 4701—29—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य—	मूल 5,35.00 पुनर्वि. (—)2,11.36	3,23.64	4,36.14 +1,12.50
₹ 2,11.36 लाख की प्रत्याशित बचत भूमि अधिग्रहण प्रकरण प्राप्त नहीं होनें के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(24) 4702—796—800—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7405—मरम्मत / नवीनीकरण / पुनरोद्धार—	मूल 1,00,00.00 पुनर्वि. (—)72,94.07	27,05.93	16,57.96 (—)10,47.97

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(25) 4702-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3828-लघु सिंचाई योजना—			
मूल	1,75,00.00		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	(-)26,32.13	1,48,77.87	1,41,29.03
			(-)7,48.84
उपरोक्त क्रम संख्या (24) एवं (25) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 72,94.07 लाख एवं ₹ 26,32.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(26) 4702-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5059-एनीकट / स्टापडेम का निर्माण—			
मूल	1,40,00.00		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	(-)13,86.90	1,26,23.10	1,38,12.85
			+11,89.75
(27) 4702-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7422-औद्यौगिक जल आधारभूत विकास—			
मूल	70,00.00		
पूरक	साकेतिक		
पुनर्वि.	(-)45,34.51	24,65.49	24,68.74
			+3.25
उपरोक्त क्रम संख्या (26) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 13,86.90 लाख एवं ₹ 45,34.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(28) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4871-सड़क पर पुलों का निर्माण— “प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना”—			
मूल	22,00.00		
पुनर्वि.	(-)19,00.00	3,00.00	3,00.00
			..
₹ 19,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत संवेदनशील क्षेत्रों में कॉक्रीट सड़क का निर्माण नहीं किए जाने (₹ 5,00.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 14,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना—			
मूल	2,85,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,50,84.98	34,15.02	30,15.66
			(-)3,99.36
₹ 2,50,84.98 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों को पूर्ण नहीं किए जाने (₹ 1,56,18.00 लाख) एवं देयकों के कम प्राप्त होने (₹ 94,66.98 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(30) 5054—04—796—337—0312—नाबाड़ पोषित योजनायें— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना—	मूल 95,00.00 पुनर्वि. (—)70,70.78	24,29.22	10,38.37 (—)13,90.85
₹ 70,70.78 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 94,66.98 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,65,37.76 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि अधिक देयकों के प्राप्त होनें एवं कमी केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(31) 6215—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2182—नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं—	मूल 7,00.00 पुनर्वि. (—)4,32.46	2,67.54	2,67.54 ..
₹ 4,32.46 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 6408—02—796—190—0311—नाबाड़ घोषित योजनायें (सामान्य)— 8545—नाबाड़ सहायता से गोदाम निर्माण	34,20.00	16,28.00	(—)17,92.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(33) 6408—02—796—190—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6777—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को वारादाने क्य हेतु ऋण—	मूल 2,00,00.00 पूरक 43,70.00 पुनर्वि. (—)34,68.34	2,09,01.66	2,09,01.45 (—)0.21
₹ 34,68.34 लाख की प्रत्याशित बचत विपणन संघ द्वारा निधि की कम मॉग किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 6408—02—796—190—0311—नाबाड़ घोषित योजनायें (सामान्य)— 8545—नाबाड़ सहायता से गोदाम निर्माण—	मूल 22,50.00 पुनर्वि. (—)22,50.00
₹ 22,50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रावधान में गलत बजट शीर्ष होनें के कारण निधियां जारी नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—समाप्त

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 4202—01—796—202—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1400—छात्रावास तथा आश्रम भवन—			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	(—)0.72	29,99.28	31,21.39
			+1,22.11
₹ 0.72 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(2) 4215—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 693—औजार और संयंत्र—			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	(—)1.36	8.64	1,00.01
			+91.37
₹ 1.36 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(3) 4701—31—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य—			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	(—)1,18.65	31.35	3,43.38
			+3,12.03
₹ 1,18.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(4) 5054—04—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4855—प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना—			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	11,00.00	14,00.00	14,00.00
			..
₹ 11,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवधन प्रावधान में ₹ 14,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,00.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वारूप हुआ। वृद्धि निविदायें एस.ओ.आर. की दर से अधिक दर पर स्वीकृत किए जाने एवं कमी केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है।			

प्रभारित-

(x) ₹ 6.03 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 13.30 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	4,59,60,00			
पूरक	30,00	4,59,90,00	2,25,09,52	(-)2,34,80,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

प्रभारित	2,50,00	..	(-)2,50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियाँ			

पूंजीगत :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 30.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 2,34,80.48 लाख की बचत होते हुए भी अभ्यर्पण नहीं किया जाना त्रुटिपूर्ण बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	बचत(—)	
(₹ लाख में)			

(1) 5053—02—796—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4727—हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	12,50.00	4,87.65	(-)7,62.35
---	----------	---------	------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 5054—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4149—वृहद् पुलों का निर्माण—			
मूल	1,14,60.00		

पुनर्वि.	(-)1,00.00	1,13,60.00	57,79.21	(-)55,80.79
----------	------------	------------	----------	-------------

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2003—04 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 5054—03—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3710—राज्यों के राजमार्ग—			
मूल	55,00.00		

पूरक	20.00	55,20.00	19,69.38	(-)35,50.62
------	-------	----------	----------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 42—समाप्त

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(4) 5054—04—796—800—0312—नाबार्ड पोषित योजनाएँ—			
(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—			
6590—नाबार्ड ऋण सहायता के			
अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण—			
मूल 1,15,00.00			
पुनर्वि. (—)70.00	1,14,30.00	10,33.98	(—)1,03,96.02
₹ 70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(5) 5054—04—796—800—0102—अनुसूचित जाति उपयोजना—			
3539—मुख्य जिला सड़कें—			
मूल 1,32,00.00			
पूरक 10.00			
पुनर्वि. (—)40,00.00	92,10.00	69,18.20	(—)22,91.80
₹ 40,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अशंतः प्रतिसंतुलित हुईः—			
शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(1) 5054—03—796—101—0312—नाबार्ड पोषित योजनाएँ—			
(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—			
6589—नाबार्ड ऋण सहायता के			
अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण—			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 70.00	70.00	14.13	(—)55.87
₹ 70.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन देनदारियों एवं कार्यों के भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(2) 5054—04—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
2457—न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम—			
मूल 30,00.00			
पुनर्वि. 40,00.00	70,00.00	62,45.62	(—)7,54.38
₹ 40,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन सड़क निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण सूचित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(3) 5054—04—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
4416—सर्वेक्षण—			
मूल 50.00			
पुनर्वि. 1,00.00	1,50.00	61.36	(—)88.64
₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन बी.ओ.टी. कार्यों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
प्रभारित—			
(v) ₹ 2,50.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।			

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	39,65,05			
पूरक	62,25,00	1,01,90,05	68,94,19	(—)32,95,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				33,26,27
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	15	..	(—) 15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			15
(31 मार्च 2013)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2012 (₹ 24,25.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अप्र्याप्त था जबकि मार्च 20013 (₹ 38,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 62,25.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 32,95.86 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 33,26.27 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
	अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)

(1) 2204—103—2323—निर्देशन एवं प्रशासन—

मूल	5,35.05			
पुनर्वि.—	(—)2,94.83	2,40.22	2,70.19	+29.97

₹ 2,94.83 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 2,68.39 लाख), विकित्सा दावा प्रस्तुत न किये जाने (₹ 2.21 लाख), नया वेतनमान लागू न किये जाने (₹ 0.88 लाख), यात्रा देयक प्रस्तुत न किये जाने (₹ 2.18 लाख) एवं वाहनों का क्या नहीं किए जाने (₹ 7.03 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 14.14 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2204—104—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

7304—पंचायत युवा कीड़ा और खेल अभियान—

मूल	17,18.00			
पूरक	24,00.00			
पुनर्वि.	(—)26,22.67	14,95.33	14,94.48	(—)0.85

₹ 26,22.67 लाख की प्रत्याशित बचत सरकार से स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(3) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1079—खिलाड़ियों को प्रशिक्षण—			
मूल	1,40.00		
पुनर्वि.	(-)31.83	1,08.17	82.67
			(-)25.50
₹ 31.83 लाख की प्रत्याशित बचत खेल अकादमी प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं की गई है (जुलाई 2013)।			
(4) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5627—राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय किकेट स्टेडियम का निर्माण—			
पूरक	38,00.00		
पुनर्वि.	(-)84.76	37,15.24	37,15.24
₹ 84.76 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2013)।			..
(5) 2204—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7473—सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल—			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	(-)59.93	0.07	0.07
₹ 59.93 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त संख्या में निविदाएं प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			..

प्रभारित—

(v) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। वर्ष 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त था।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष —

2202—सामान्य शिक्षा

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	4,28,38,10			
पूरक	6,13,60	4,34,51,70	2,87,98,03	(-)1,46,53,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,46,84,83
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	70	..	(-)70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			70
(31 मार्च 2013)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 40.00 लाख), दिसम्बर 2012 (₹ 2,73.60 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 3,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 6,13.60 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,46,53.67 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 1,46,84.83 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(₹ लाख में)

(1) 2202—03—001—3443—महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय—

मूल	3,62.30			
पुनर्वि.	(-)1,11.53	2,50.77	2,51.02	+0.25

₹ 1,11.53 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202—03—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना समान्य—

3753—राष्ट्रीय सेवा योजना—

मूल	5,59.60			
पुनर्वि.	(-)1,74.15	3,85.45	3,85.02	(-)0.43

₹ 1,74.15 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202—03—102—5205—पंडित रविशंकर

विश्वविश्वविद्यालय, रायपुर

10,00.00	6,70.00	(-)3,30.00
----------	---------	------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5531—पंडित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना—	मूल 1,60.00 पुनर्वि. (—)1,60.00
₹ 1,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत सरकार द्वारा शेष राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(5) 2202-03-103-798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय—	मूल 2,50,80.50 पुनर्वि. (—)98,14.40	1,52,66.10	1,52,89.90 +23.80
₹ 98,14.40 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय—	मूल 83,10.50 पुनर्वि. (—)43,84.56	39,25.94	39,34.78 +8.84
₹ 43,84.56 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202-03-104-3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान—	मूल 35,00.00 पूरक (—)1,44.54	33,55.46	32,12.08 (—)1,43.38
₹ 1,44.54 लाख की प्रत्याशित बचत राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(8) 2202-03-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7364—अनुदान प्राप्त महाविद्यालय— पेंशन योजना—	मूल 4,00.00 पुनर्वि. (—)4,00.00
₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अशंतः प्रति संतुलित हुई:-	शीर्ष विश्वविद्यालय, खैरागढ़	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)
(1) 2202-03-102-7238—इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़	5,00.00	6,81.38	+1,81.38

अनुदान संख्या 44—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5205—पंडित रविशंकर विश्वविश्वविद्यालय, रायपुर	9,00.00	12,30.00	+3,30.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

(3) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7238—इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़—	मूल पूरक पुनर्वि.	6,50.00 3,00.00 2,48.38	11,98.38	10,17.00	(-)1,81.38
---	-------------------------	-------------------------------	----------	----------	------------

₹ 2,48.38 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1.62 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधियों में वृद्धि भवन निर्माण के कारण एवं कमी सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(4) 2202-03-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान—	मूल पूरक पुनर्वि.	1,30.00 98.60 3,43.00	5,71.60	7,20.17	+1,48.57
--	-------------------------	-----------------------------	---------	---------	----------

₹ 3,43.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 57.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधियों में वृद्धि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों के पेंशन एवं उपादान के भुगतान एवं कमी सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.70 लाख सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त था।

अनुदान संख्या 45—लधु सिंचाई निर्माण कार्य
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
---------------	------------------	----------------------------------

मुख्य शीर्ष—

2702—लधु सिंचाई

4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय

4702—लधु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :	45,83,45	46,55,78	+72,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)		1,50,67	

पूंजीगत:

मूल	6,02,40,00	4,99,90,58	(—)1,02,59,43
पूरक वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	10,01	6,02,50,01	1,02,22,07

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

- (i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 72,33,183 लाख के आधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।
- (ii) ₹ 72.33 लाख के आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 1,50.67 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।
- (iii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 2702—03—101—207—अन्य लधु सिंचाई—

निर्माण कार्य—

मूल	15,90.00	18,00.06	+2,45.25
पुनर्वि.	(—)35.19	15,54.81	

₹ 35.19 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2702—03—103—0101— राज्य आयोजना (सामान्य)—

5707—शाकम्बरी योजना—

मूल	16,12.00	17,48.41	+4.62
पुनर्वि.	1,31.79	17,43.79	

₹ 1,31.79 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,42.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 10.21 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि कृषकों की मांग के अनुसार राशि कम पड़ जाने के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 45—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से बचत द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुआ :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	
(1) 2702—03—102—207—अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			

मूल	79.20		
पुनर्वि.	(—)21.45	57.75	43.95

₹ 21.45 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2702—03—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5709—किसान समृद्धि योजना को अनुदान—

मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(—)2,25.09	7,74.91	7,74.76

₹ 2,25.09 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 83.09 लाख) के कारण सूचित की गई हैं। शेष ₹ 1,42.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के समान एवं समकक्ष नहीं था, ₹ 1,02,59.43 लाख के वृहद् बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 10.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 1,02,59.43 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 1,02,22.07 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	
(1) 4702—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			

7405—मरम्मत/पुनर्नवीनीकरण/पुनरोद्धार—

मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	(—)5,70.54	14,29.46	13,16.28

₹ 5,70.54 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार से नवीन योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (₹ 1,00.00 लाख) प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 4,70.54 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4702—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3803—माईनर एवं माइक्रो माईनर

सिंचाई योजना—

मूल	1,01,50.00		
पुनर्वि.	(—)22,47.02	79,02.98	91,15.23

₹ 22,47.02 लाख की प्रत्याशित बचत नवीन योजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने (₹ 10,40.00 लाख), वन भूमि मुआवजा प्रकरण (₹ 20.00 लाख) प्राप्त नहीं होने, आबंटित कार्यों की धीमी प्रगति (₹ 50.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 11,37.02 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5059—एनीकट / स्टॉपडेम का निर्माण—			
मूल	1,60,00.00		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	(-)17,21.93	1,42,88.07	1,41,13.65
			(-)1,74.42

₹ 17,21.93 लाख की प्रत्याशित बचत नवीन योजनाओं के लिए राज्य सरकार से प्रशासकीय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने (₹ 3,25.00 लाख) के कारण सूचित सूचित की गई है। शेष ₹ 13,96.93 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006-07 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7422—औद्योगिक जल संरचना निर्माण—

मूल	3,00,00.00			
पुनर्वि.	(-)52,63.51	2,47,36.49	2,37,47.02	(-)9,89.47

₹ 52,63.51 लाख की प्रत्याशित बचत आर्बिट कार्यों की धीमी प्रगति (₹ 36,90.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 15,73.51 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9284—नलकूप की स्थापना—

मूल	9,35.00			
पुनर्वि.	(-)3,62.02	5,72.98	5,51.75	(-)21.23

₹ 3,62.02 लाख की प्रत्याशित बचत कृषकों के लिए नलकूपों का खनन नहीं किए जाने (₹ 1,45.00 लाख) के कारण सूचित सूचित की गई है। शेष ₹ 2,17.02 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4416—सर्वेक्षण

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	29.11	1,29.11	1,98.18	+69.07

₹ 29.11 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन, प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 20.89 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि नवीन योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य निष्पादित किए जाने के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

अनुदान संख्या 45—समाप्त

(ix) उचंत लेन देनः—

उचंत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में दर्शाई गई है।

वर्ष 2012–13 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2012 को नामें + जमा(—)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अंतशेष 31 मार्च 2013 को नामें + जमा (—)
-------	--	------------------------	----------------------	--

(₹ लाख में)

4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—

(i) क्रय	(-)47.83	(-)47.83
(ii) भण्डार	+1,86.40	+1,86.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+59.71	..	17.47	+42.24
(iv) कार्य शाला उचन्त	+0.04	+0.04
योग	+1,98.32	..	17.47	+1,80.85

**अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—**3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान**

राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	12,59,00	8,18,62
		(—)4,40,38 4,40,38

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:**(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय
		आधिकर्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)

(1) 3425—60—200—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना—सामान्य—
5632—साइन्स सिटी की स्थापना—

मूल	2,00.00	1,78.62
पुनर्वि.	(—)21.38	
		1,78.62
		..

(2) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
5433—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
को अनुदान—

मूल	6,39.00	4,20.00
पुनर्वि.	(—)2,19.00	
		4,20.00
		..

(3) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
6736—केन्द्रीय प्रयोगशाला
की स्थापना—

मूल	2,50.00	50.00
पुनर्वि.	(—)2,00.00	
		50.00
		..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 21.38 लाख, ₹ 2,19.00 लाख एवं ₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2006—07 से 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं 2009—10 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2203—तकनीकी शिक्षा
 2230—श्रम तथा रोजगार
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
 संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,53,81,05			
पूरक	12,00,95	1,65,82,00	1,01,36,02	(-)64,45,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				64,49,97
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित	20	..	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			10
(31 मार्च 2013)			

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	23,98,00			
पूरक	1,00,00	24,98,00	3,26,02	(-)21,71,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				21,82,78
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा जुलाई 2012 (₹ 3,00.95 लाख) एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया कुल अनुपूरक प्रावधान ₹ 12,00.95 अपर्याप्त था। यह प्रचलन अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 64,45.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 64,49.97 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2203—001—1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय—

मूल	2,94.90			
पुनर्वि.	(-)1,09.07	1,85.83	1,96.72	+10.89

₹ 1,09.07 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 2203—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय—	मूल 9,00.00 पुनर्वि. (—)9,00.00
		₹ 9,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की बचत शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।	
(3) 2203—105—2668—पोलीटेक्निक संस्थाएं—	मूल 31,58.50 पुनर्वि. (—)6,54.23	25,04.27	24,61.36 (—)42.91
		₹ 6,54.23 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति (₹ 6,33.64 लाख) एवं व्यय नहीं किए जाने (₹ 20.59 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।	
(4) 2203—105—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2668—पोलीटेक्निक संस्थाएं—	मूल 4,10.60 पुनर्वि. (—)2,32.46	1,78.14	2,01.05 +22.91
		₹ 2,32.46 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति (₹ 1,93.44 लाख) एवं व्यय नहीं किए जाने (₹ 39.02 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।	
(5) 2203—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2668—पोलीटेक्निक संस्थाएं—	मूल 7,68.10 पुनर्वि. (—)5,85.02	1,83.08	1,99.45 +16.37
		₹ 5,85.02 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति (₹ 5,16.98 लाख), संस्थाओं का प्रारंभ नहीं किए जाने (₹ 54.42 लाख) एवं निधि का मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 13.62 लाख) के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।	
(6) 2203—112—502—इंजीनियरिंग महाविद्यालय—	मूल 12,60.10 पुनर्वि. (—)2,84.60	9,75.50	9,92.17 +16.67
		₹ 2,84.60 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं संस्थाओं से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।	
(7) 2203—112—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 502—इंजीनियरिंग महाविद्यालय—	मूल 5,98.90 पूरक 80.00 पुनर्वि. (—)2,00.27	4,78.63	4,68.54 (—)10.09
		₹ 2,00.27 लाख की प्रत्याशित बचत साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।	

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(8) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7341-आई.आई.टी.की स्थापना—			
मूल 1,00.00 पुनर्वि. (—)1,00.00			
₹ 1,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की बचत संस्थाओं का प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2006-07 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2230-02-001-3795-रोजगार संचालनालय—			
मूल 1,76.30 पूरक 15.00 पुनर्वि. (—)65.28	1,26.02	1,27.07	+1.05
₹ 65.28 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(10) 2230-02-101-9147-रोजगार कार्यालय—			
मूल 7,47.60 पूरक 1,00.00 पुनर्वि. (—)3,57.79	4,89.81	5,22.79	+32.98
₹ 3,57.79 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2230-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9147-रोजगार कार्यालय—			
मूल 1,60.00 पुनर्वि. (—)95.05	64.95	59.04	(—)5.91
₹ 95.05 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2230-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8272-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता—			
मूल 5,24.00 पुनर्वि. (—)58.56	4,65.44	4,66.30	+0.86
₹ 58.56 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2230-03-001-9148-प्रशिक्षण संचालनालय—			
मूल 1,62.00 पुनर्वि. (—)57.07	1,04.93	1,05.49	+0.56
₹ 57.07 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(14) 2230-03-003-717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—			
मूल	30,86.40		
पुनर्वि.	(-)8,57.52	22,28.88	22,20.57
			(-)8.31
₹ 8,57.52 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—			
मूल	6,13.50		
पुनर्वि.	(-)3,06.06	3,07.44	3,06.43
			(-)1.01
₹ 3,06.06 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006-07 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—			
मूल	8,52.00		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	(-)6,10.16	2,51.84	2,56.79
			+4.95
₹ 6,10.16 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7438—रेटेट स्किल डेवलपमेंट मिशन—			
मूल	4,07.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)2,42.27	1,64.73	1,67.72
			+2.99
₹ 2,42.27 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2230-03-101-8355—मिनी आई.टी.आई.की स्थापना—			
मूल	6,50.70		
पुनर्वि.	(-)2,37.00	4,13.70	4,01.89
			(-)11.81
₹ 2,37.00 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2230-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8355—मिनी आई.टी.आई.की स्थापना—			
मूल	5,51.50		
पुनर्वि.	(-)3,56.89	1,94.61	1,97.40
			+2.79
₹ 3,56.89 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहने के बावजूद 31 मार्च 2013 केवल ₹ 0.10 लाख का अभ्यर्पण किया गया। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 2,17.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 21,82.78 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4202–02–103–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—
717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं—

मूल	7,00.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)5,61.75	1,38.25	1,47.37	+9.12

₹ 5,61.75 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006–07 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202–02–103–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—
8355—मिनी आई.टी.आई. की स्थापना—

मूल	3,00.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)2,64.51	35.49	37.18	+1.69

₹ 2,64.51 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008–09 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202–02–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं—

मूल	3,00.00			
पूरक	1,00.00			
पुनर्वि.	(-)3,99.08	0.92	0.92	..

₹ 3,99.08 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई हैं। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4202–02–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
8355—मिनी आई.टी.आई. की स्थापना—

मूल	4,98.00			
पुनर्वि.	(-)4,98.00

₹ 4,98.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की बचत पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(5) 4202—02—104—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—
2668—पोलीटेक्निक संस्थाएं—

मूल	2,00.00
पुनर्वि.	(-)2,00.00

₹ 2,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की बचत भारत सरकार द्वारा निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4202—02—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
2668—पोलीटेक्निक संस्थाएं—

मूल	3,00.00				+0.24
पुनर्वि.	(-)2,26.91	73.09	73.33		

₹ 2,26.91 लाख की प्रत्याशित बचत बलौदा बाजार में सह शिक्षा एवं पोलीटेक्निक संस्था प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन
- 2053—जिला प्रशासन
- 2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन
- 2055—पुलिस
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
- 3054—सड़क तथा सेतु
- 3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
- 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
- 4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235—समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

मूल	4,10,90,57			
पूरक	13,95,51	4,24,86,08	2,63,53,86	(-)1,61,32,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				22,68,01
(31 मार्च 2013)				

पूंजीगत :

मूल	3,27,16,90			
पूरक	41,40,63	3,68,57,53	2,77,70,23	(-)90,87,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,06,36
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 13,95.51 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रवलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,61,32.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, केवल ₹ 22,68.01 लाख का अभ्यर्पण कमज़ोर बजट प्रबंधन तथा उपलब्ध विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2014–102–7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	5,83.20	5.00	(-)5,78.20
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(2) 2014–103–7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	10,91.20	..	(-)10,91.20
(3) 2014–105–7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,96.40	..	(-)1,96.40
(4) 2014–116–7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	5,65.80	..	(-)5,65.80
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 10,91.20 लाख, ₹ 1,96.40 लाख, तथा ₹ 5,65.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2053–800–1303—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,08.00 पुनर्वि. (-)1,08.00	
₹ 1,08.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2053–800–1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 3,42.00 पुनर्वि. (-)3,33.50 8.50		..	(-)8.50
(7) 2053–800–1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 4,50.00 पुनर्वि. (-)4,10.75 39.25		..	(-)39.25
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 3,33.50 लाख, एवं ₹ 4,10.75 लाख की प्रत्याशित बचत 30 मार्च 2013 को राज्य शासन से आवंटन प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं 2011–12 के दौरान भी कम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2054–800–7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।	1,40.00	41.32	(-)98.68

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(9) 2056–101–1303—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनूसंचित जाति उपयोजना) 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—	पूरक 79.40	79.40 ..	(—)79.40
(10) 2056–101–1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनूसंचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—	पूरक 92.11	92.11 ..	(—)92.11
(11) 2056–101–1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—	पूरक 1,71.50	1,71.50 ..	(—)1,71.50
(12) 2070–003–1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान 89.52 ..			(—)89.52
(13) 2205–103–1303—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनूसंचित जाति उपयोजना) 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान 67.60 ..			(—)67.60
(14) 2205–103–1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनूसंचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान 1,58.40 ..			(—)1,58.40
(15) 2205–103–1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान 2,29.00 ..			(—)2,29.00

उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (15) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (14) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
(16) 2406—01—101—1303—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनूसूचित जाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	10,77.36		
पूरक	1,26.29		
पुनर्वि.	(-)1,96.28	10,07.37	9,15.51
			(-)91.86
(17) 2406—01—101—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	34,11.64		
पूरक	3,99.95		
पुनर्वि.	(-)6,28.87	31,82.72	31,88.62
			+5.90
(18) 2406—01—101—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	44,89.00		
पूरक	5,26.27		
पुनर्वि.	(-)5,90.61	44,24.66	47,34.27
			+3,09.61
उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,96.28 लाख, ₹ 6,28.87 लाख एवं ₹ 5,90.61 लाख के प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा निधियों को विलम्ब से विमुक्त करने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 3054—04—105—7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	83,00.00	..	(-)83,00.00
(20) 3454—02—800—7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	6,08.05	1,03.33	(-)5,04.72
अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(21) 3454—02—800—1303—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनूसूचित जाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	2,16.40	..	(-)2,16.40

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(22) 3454-02-800-1302—वित्त आयोग की अनुशंसा (अनूसंचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	6,91.60	..	(—) 6,91.60
(23) 3454-02-800-1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	9,10.00	1.95	(—) 9,08.05

उपरोक्त क्रम संख्या (19), (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने एवं क्रम संख्या (20) तथा (23) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (19), (21) से (23) एवं 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से बचत द्वारा अंशतः प्रति—
संतुलित हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2203-800-1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
पूरक. सांकेतिक ..		34.25	+34.25

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

पूंजीगत :

(v) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 40,95.40 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 45.23 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 41,40.63 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vi) ₹ 90,87.30 लाख की उपलब्ध बचत के विस्त्र 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 6,06.36 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4059-01-051-1303—वित्त आयोग की अनुशंसा (अनूसंचित जाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल 4,50.00 पूरक 4,50.00	9,00.00	90.91	(—) 8,09.09

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4059—01—051—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा (अनूसंचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल 19,50.00 पूरक 14,25.00	33,75.00	8,18.00	(-)25,57.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4059—01—051—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल 30,10.48 पूरक 21,85.91 पुनर्वि. (-)1,64.63	50,31.76	21,14.53	(-)29,17.23
₹ 1,64.63 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4202—04—106—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनूसंचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	2,80.00	..	(-)2,80.00
(5) 4202—04—106—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	3,90.00	..	(-)3,90.00
(6) 4210—02—101—1303—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनूसंचित जाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल 1,25.46 पूरक 20.91	1,46.37	20.91	(-)1,25.46
(7) 4210—02—101—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	3,97.29	..	(-)3,97.29
(8) 4210—02—101—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	5,22.75	..	(-)5,22.75

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4210—02—103—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	90.46		
पूरक	45.23	1,35.69	45.23
			(-)90.46
उपरोक्त क्रम संख्या (4), (5), (7) तथा (8) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण एवं क्रम संख्या (6) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (4), (5), (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4235—02—102—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	14,25.00		
पुनर्वि.	(-)84.00	13,41.00	13,41.00
			..
(11) 4235—02—102—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	18,75.00		
पुनर्वि.	(-)93.00	17,82.00	17,82.00
			..
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 84.00 लाख, तथा ₹ 93.00 लाख के प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(12) 4406—01—101—1303—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	1,56.00		
पूरक	1.63		
पुनर्वि.	(-)59.12	98.51	1,19.44
			+20.93
(13) 4406—01—101—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	4,94.00		
पूरक	5.16		
पुनर्वि.	(-)54.39	4,44.77	2,67.12
			(-)1,77.65

अनुदान संख्या 48—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
(14) 4406—01—101—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—			
7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	6,50.00		
पूरक	6.79		
पुनर्वि	(-)1,51.22	5,05.57	2,82.62
			(-)2,22.95

उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (14) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 59.12 लाख, ₹ 54.39 लाख, एवं ₹ 1,51.22 लाख के प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा निधि का विलंब से मुक्त करने के कारण सूचित की गई है। अतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिकर्य+
बचत(—)**मुख्य शीर्ष—****2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण****राजस्व :**

मूल	47,03,80			
पूरक	72,00	47,75,80	45,43,86	(—)2,31,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,73,87
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 72.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रवृत्ति अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 2,31.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को किया गया ₹ 2,73.87 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2225—01—277—1396—छात्रावास—

मूल	14,13.50			
पूरक	72.00			
पुनर्वि.	(—)1,81.89	13,03.61	14,07.17	+1,03.56

₹ 1,81.89 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिकर्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2225—01—277—8050—छात्रवृत्ति 20,00.00 19,46.00 (—)54.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2225—01—277—8051—अनुसूचित जातियों का कल्याण—
आश्रम और शालाएं—

मूल	3,87.50			
पुनर्वि.	(—)88.98	2,98.52	2,95.27	(—)3.25

₹ 88.98 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिकय+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2053—जिला प्रशासन

राजस्व:

मूल	1,81,75			
पूरक	5.00	1,86,75	1,62,11	(—)24,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियां				

राजस्व:

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 5.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रवृत्ति अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाती है।

(ii) ₹ 24.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष		कुल	वास्तविक	आधिकय+
		अनुदान	व्यय	बचत(—)

2053—800—2987—बीस सूत्रीय कार्यक्रम
का क्रियान्वयन—

मूल	1,81.75			
पूरक	5.0	1,86.75	1,62.11	(—)24.64

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(सभी दत्तमत)

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिकय+
बचत(—)

कुल
अनुदान

मुख्य शीर्ष—

2075—विविध सामान्य सेवायें
2250—अन्य सामाजिक सेवायें

राजस्व	6,79,30	5,95,39	(—)83,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			58,32

टीका एवं टिप्पणियां—

राजस्व :

(i) ₹ 83.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 58.32 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर नियंत्रण नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
अनुदान	व्यय	बचत(—)	
	(₹ लाख में)		

(1) 2250—103—4388—समाधियों, मंदिरों का रख रखाव और अन्य विविध भत्ते—

मूल	22.00	19.26	9.26
पुनर्वि.	(—)2.74		(—)10.00

₹ 2.74 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2250—800—3379—मंदिर आदि को परिपोषण अनुदान—

मूल	35.00	22.59	22.59
पुनर्वि.	(—)12.41		..

₹ 12.41 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2250—800—6292—शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार—

मूल	50.00
पुनर्वि.	(—)50.00		..

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत विनियोग में निधियों के समावेश की आवश्यकता की बिना जांच किए जाने के कारण परिलक्षित हुई। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी निधियों की आवश्यकता का यही प्रचलन था।

अनुदान संख्या 51—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

2250—800—259—अन्य संस्थाओं को अनुदान—

मूल	50.00		
पुनर्वि.	25.00	75.00	60.00

₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 25.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि जिलों से मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता**

(सभी दत्तमत)	वास्तविक	आधिक्य+
कुल	व्यय	बचत(—)
अनुदान	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

6217—शहरी विकास के लिए कर्ज

राजस्व	60,77,79	59,05,00	(—)1,72,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			2,00,00

पूँजीगत:	35,00,00	30,00,00	(—)5,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			5,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 1,72.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 2,00.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2217—05—789—192—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—
7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—

मूल	60.00
पुनर्वि.	(—)60.00		

(2) 2217—05—789—193—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—
7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—

मूल	1,40.00
पुनर्वि.	(—)1,40.00		

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 60.00 लाख एवं ₹ 1,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 2235-60-789-192-1003—अतिरिक्त केन्द्र सहायता—

(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)
5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—

मूल	1,20.00		1,36.49
पुनर्वि.	10.84	1,30.84	+5.65

(2) 2235-60-789-193-1003—अतिरिक्त केन्द्र सहायता—

(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)—
5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—

मूल	1,30.00		1,48.96
पुनर्वि.	1.80	1,31.80	+17.16

उपरोक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 10.84 लाख एवं ₹ 1.80 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथी अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

पूंजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 6217-60-789-192-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—
7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—

मूल	1,50.00		..
पुनर्वि.	(-)1,50.00

(2) 6217-60-789-193-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—
7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—

मूल	3,50.00		..
पुनर्वि.	(-)3,50.00

उपरोक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 1,50.00 लाख एवं ₹ 3,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2012)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

राजस्व:

मूल	58,50,00			
पूरक	23,00,00	81,50,00	71,00,00	(—)10,50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,50,00
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 71,00,00 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2012 को प्राप्त किया गया ₹ 23,00,00 लाख अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

2415—01—120—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9182—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
को अनुदान—

मूल	21,00,00			
पुनर्वि.	(—)10,50,00	10,50,00	10,50,00	..

₹ 10,50,00 लाख की प्रत्याशित बचत शासन द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।
2005—06 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236—पोषण

4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	7,09,66,57			
पूरक	29,63,05	7,39,29,62	5,82,85,25	(-)1,56,44,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,81,26,32
(31 मार्च 2013)				..

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

10 7.79 +7.69

..

पूंजीगत:

दत्तमत	5,99,00	5,85,31	(-)13,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			58,50
(31 मार्च 2013)			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (₹ 5,81.09 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 23,81.96 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 29,63.05 लाख अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,56,44.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित की गई ₹ 1,81,26.32 लाख की राशि अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण थी। यह प्रवृत्ति बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नान्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2235—02—001—9041—महिला एवं बाल कल्याण

संचालनालय—

मूल	3,53.20		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)91.60	2,61.60	2,52.74

₹ 91.60 लाख की प्रत्याशित बचत साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2235—02—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5354—एकीकृत सेवा योजना— (विदेशी सहायता योजनान्तर्गत)— मूल 32,55.56 पुनर्वि. (—)32,55.56
₹ 32,55.56 लाख के संपूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2235—02—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7361—सबला योजना— मूल 2,20.66 पूरक 1,51.74 पुनर्वि. (—)66.12	3,06.28	1,53.71	(—)1,52.57
₹ 66.12 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,48.12 लाख की कमी एवं ₹ 82.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी वित्त विभाग की सहमति वर्ष के अंत में प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2013)। 2010—11 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2235—02—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7423—इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना— मूल 20,00.00 पुनर्वि. (—)14,42.24	5,57.76	5,57.76	..
₹ 14,42.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(5) 2235—02—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7543—संचार रणनीति— मूल 6,40.00 पुनर्वि. (—)6,40.00
₹ 6,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक परियोजना की स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 3,75,37.54 पूरक 21,77.01 पुनर्वि. (—)92,99.70	3,04,14.85	3,30,10.05	+25,95.20
₹ 92,99.70 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का परिवीक्षण— मूल 5,83.75 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)2,04.70	3,79.05	3,79.77	+0.72

अनुदान संख्या 55—जारी

₹ 2,04.70 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2003–04 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(8) 2235–02–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9131—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण—	मूल 7,17.30 पुनर्वि. (–)3,58.66	3,58.64	3,71.98 +13.34
₹ 3,58.66 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2008–09 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2235–02–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना—	मूल 10,00.00 पुनर्वि. (–)2,98.57	7,01.43	7,01.43 ..
₹ 2,98.57 लाख की प्रत्याशित बचत परियोजना के अंतर्गत निधि की स्वीकृत सीमा के अंदर आहरण सूचित किया गया है। 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2235–02–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय—	मूल 21,50.00 पुनर्वि. (–)2,33.63	19,16.37	19,06.59 (–)9.78
₹ 2,33.63 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008–09 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2235–02–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8809—घरेलू हिंस से महिलाओं का संरक्षण—	मूल 1,50.00 पुनर्वि. (–)1,50.00
₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से नवीन योजना की स्वीकृती प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(12) 2236–02–101–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7361—सबला योजना—	मूल 20,00.00 पुनर्वि. (–)2,38.70	17,61.30	19,74.78 +2,13.48
₹ 2,38.70 लाख की प्रत्याशित बचत नए आंगनबाड़ीयों का संचालन नहीं किये जाने के कारण एवं हितग्राहियों के लिए कम व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007–08 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(13) 2236-02-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना—			
मूल 1,80,00.00 पुनर्वि. (-)12,95.82	1,67,04.18	1,63,98.34	(-)3,05.84

₹ 12,95.82 लाख की प्रत्याशित बचत नए अंगनबाड़ियों का संचालन नहीं किये जाने के कारण एवं हितग्राहियों के लिए कम व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6904—न्यूट्रिशन सर्विलेंस योजना—

मूल 50.00 पूरक 36.11 पुनर्वि. (-)86.10	0.01	..	(-)0.01
--	------	----	---------

₹ 86.10 लाख की प्रत्याशित बचत सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए चिप्स एवं एन.आई.सी. से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना—
--

मूल 7,92.00 पूरक 3,80.00 पुनर्वि. (-)2,95.19	8,76.81	10,69.51	+1,92.70
--	---------	----------	----------

₹ 2,95.19 लाख की प्रत्याशित बचत दरों में कमी, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वित्त विभाग से नव जतन अवार्ड योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

2235-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5645—निर्धन युवक युवतियों के विवाह—

मूल 3,50.00 पूरक 1,25.00 पुनर्वि. 1,37.94	6,12.94	6,10.30	(-)2.64
---	---------	---------	---------

₹ 1,37.94 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवधन प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 12.06 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि कन्याओं के विवाह हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

प्रभारित—

(v) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 7,68,671 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) विनियोग में आधिक्य निम्न के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
2235—02—001—9041—महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय—	0.10	7.79	+7.69

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 13.69 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 58.50 लाख का अभियर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था एवं बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
4235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5664—ग्रामीण क्षेत्र (सामान्य) के अंतर्गत आगनबाड़ी भवन निर्माण—			
मूल 4,50.00 पुनर्वि. (−)58.50	3,91.50	4,22.81	+31.31

₹ 58.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
4235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5564—परियोजना कार्यालय सह संसाधन केन्द्र हेतु भवन निर्माण	40.00	53.50	+13.50

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों
पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	60,88,63			
पूरक	2,19,77	63,08,40	57,03,33	(—)6,05,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				5,97,50

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	10	..	(—)10
			10

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	1,25,00			
पूरक	98,39	2,23,39	2,13,27	(—)10,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				4,47

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व:

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (₹ 1,79.87 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 39.90 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,19.77 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 6,05.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 5,97.50 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
			(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)

(1) 2851—103—931—केन्द्रीय कार्यालय—

मूल	2,71.30			
पूरक	5.40			
पुनर्वि.	(—)50.40	2,26.30	2,27.51	+1.21

₹ 50.40 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2851-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6934—एकीकृत हथकरघा विकास योजना—			
मूल	2,78.65		
पूरक	51.00		
पुनर्वि.	(-)1,15.66	2,13.99	2,13.99
₹ 1,15.65 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2851-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7399—जांजगीर चाम्पा में सुविधा केन्द्र की स्थापना—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,00.00
(4) 2851-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7400—छुईखदान में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,00.00
उपरोक्त कम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत प्रत्येक ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(5) 2851-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8810—समग्र हथकरघा विकास योजना—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)36.72	13.28	(-)13.28
₹ 36.72 लाख की प्रत्याशित बचत विचाराधीन नवीन योजनाओं के लिए नियम एवं दिशा निर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(6) 2851-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1068—खादी बोर्ड के स्थापना व्यय हेतु अनुदान—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पूज्य महात्मा गांधी स्मृति भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार से प्रशासिनक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(7) 2851-107-3778—रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन—			
मूल	24,85.30		
पुनर्वि.	(-)58.22	24,27.08	24,18.76
₹ 58.22 लाख की प्रत्याशित के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)8.32

अनुदान संख्या 56—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगतः

दत्तमत—

(v) ₹ 10.12 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 4.47 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4851—109—0101—राज्य आयोजना सामान्य—

5580—रिवाल्विंग फण्ड—

मूल	15.00		
पुनर्वि.	(—)3.00	12.00	8.62

₹ 3.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	32,17,00			
पूरक	सांकेतिक			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		32,17,00	17,59,20	(—)14,57,80
(31 मार्च 2013)				15,45,10

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 14,57.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 15,45.10 लाख का किया गया अन्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4701—80—002—1201—विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7443—राष्ट्रीय हाईड्रोलॉजी परियोजना—फेस-II

मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	(—)1,18.15	81.85	81.63	(—)0.22

₹ 1,18.15 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय हाईड्रोलॉजी परियोजना के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया में बिलम्ब के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4701—80—800—1201—विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

5678—छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना—

मूल	16,07.00			
पुनर्वि.	(—)5,95.37	10,11.63	10,62.62	+50.99

₹ 5,95.37 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अंतर्गत योजनाओं का स्वीकृत नहीं किया जाना एवं निविदा कार्यों की धीमी गति (₹ 2,98.00 लाख) कारण सूचित किया गया है। शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4702—101—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं—

(अनुसूचित जनजाति उप योजना)—

5678—छत्तीसगढ़ सिंचाई

विकास परियोजना—

मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	(—)80.74	1,19.26	23.80	(—)95.46

अनुदान संख्या 57—समाप्त

₹ 80.74 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अंतर्गत योजनाओं का स्वीकृत नहीं किया जाना एवं निविदा कार्यों की धीमी गति (₹ 60.00 लाख) कारण सूचित की गई है। शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009–10 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			
(4) 4702–101–1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 5678—छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना—			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	(–)8,16.10	3,83.90	5,21.52
			+1,37.62

₹ 8,16.10 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अंतर्गत योजनाओं का स्वीकृत नहीं किया जाना एवं निविदा कार्यों की धीमी गति (₹ 6,20.00 लाख) कारण सूचित किया गया है। शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

4701–80–800–1201—विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 5678—छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना—

पुरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	75.26	75.26	69.62	(–)5.64

₹ 75.26 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 24.74 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि वृहद परियोजना के जल उपभोक्ता संस्था को दिए गए अनुदान के कारण सूचित किए गए हैं। कमी के कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(iv) उचंत लेन देन —

वर्ष के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किया गया है। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखों की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) के नीचे की गई है।

2012–13 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2012 को नामे+ जमा(–)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2013 को नामे+ जमा(–)
(₹ लाख में)				

4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—

(1) क्रय	(–)70.71	(–)70.71
(2) भण्डार	+4,26.46	+4,26.46
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+2,90.99	+2,90.99
(4) कार्य शाला उचंत	+18.02	+18.02
योग	+6,64.76	+6,64.76

**अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—**2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत****6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज****राजस्व:**

मूल	3,97,23,52			
पूरक	सांकेतिक			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	3,97,23,52			
(31 मार्च 2013)			2,59,62,22	(—)1,37,61,29

पूँजीगत:

दत्तमत	20.00			(—)20.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				20.00
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व:**

(i) ₹ 1,37,61.30 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 ₹ 1,47,54.18 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2245—01—101—96—अग्नि पीड़ितों को राहत—

मूल	7,00.00		
पुनर्वि.	(—)3,35.48	3,64.52	4,63.31

₹ 3,35.48 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आर्बंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2245—01—102—2661—पेय जल प्रदाय—

मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(—)10,00.00

(3) 2245—01—103—7345—पोषण आहार—

मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	(—)2,00.00

(4) 2245—01—104—7346—चारा आपूर्ति—

मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(—)1,00.00

(5) 2245—01—105—5492—पशु धन का टीकाकरण

टीकाद्रव्य उपलब्ध कराने हेतु—			
मूल	1,00.00		

पुनर्वि.	(—)1,00.00
----------	------------	----	----

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2245-01-282-7347—लोक स्वास्थ्य—				
मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	(-)2,00.00			
(7) 2245-01-800-1467—जिला एवं अन्य सङ्कें—				
मूल	14,00.00			
पुनर्वि.	(-)14,00.00			
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 10,00.00 लाख, ₹ 2,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 2,00.00 लाख तथा ₹ 14,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के लिए जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(8) 2245-01-800-2389—निर्माण कार्य—				
मूल	8,00.00			
पुनर्वि.	(-)8,00.00			
₹ 8,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 3,20.65 लाख) तथा शेष जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है (₹ 4,79.35 लाख)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(9) 2245-01-800-3819—लघु सिंचाई (कृषि)—				
मूल	15,00.00			
पुनर्वि.	(-)15,00.00			
₹ 15,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।	1,67.23	+1,67.23		
(10) 2245-02-101-747—ओला पीड़ितों को सहायता—				
मूल	5,00.00			
पुनर्वि.	(-)4,10.94			
	89.06	86.60		(-)2.46
₹ 4,10.94 लाख की प्रत्याशित बचत के प्रर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(11) 2245-02-102-2661—पेयजल प्रदाय —				
मूल	7,00.00			
पुनर्वि.	(-)7,00.00			
(12) 2245-02-104-7346—चारा आपूर्ति—				
मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	(-)1,00.00			
(13) 2245-02-105-5492—पशुधन का टीकाकरण / टीकाद्रव्य उपलब्ध कराने हेतु—				
मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	(-)2,00.00			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(14) 2245-02-107-7349—मरम्मत—

मूल	3,00.00
पुनर्वि.	(-)3,00.00

(15) 2245-02-108-7349—मरम्मत—

मूल	1,00.00
पुनर्वि.	(-)1,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (15) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 7,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 2,00.00 लाख, ₹ 3,00.00 लाख तथा ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई हैं। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2245-02-109-7349—मरम्मत—

मूल	1,00.00
पुनर्वि.	(-)1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(17) 2245-02-110-2018—नगद दान—

मूल	8,00.00				
पुनर्वि.	(-)7,48.39	51.61	57.84		+6.23

₹ 7,48.39 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2245-02-112-5607—बाढ़ नियंत्रण—

मूल	20,00.00				
पूरक	सांकेतिक				
पुनर्वि.	(-)18,42.31	1,57.69	1,57.68		(-)0.01

₹ 18,42.31 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(19) 2245-02-112-7357—बाढ़ आदि में सहायता—

मूल	8,78.00				
पुनर्वि.	(-)7,82.52	95.48	87.13		(-)8.35

₹ 7,82.52 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 7,77.67 लाख) तथा जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 4.85 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2245-02-117-7357—बाढ़ आदि में सहायता—

मूल	2,00.00				
पुनर्वि.	(-)1,53.75	46.25	1,06.04		+59.79

₹ 1,53.75 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(21) 2245-02-122-989—क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना—			
मूल	26,00.00		
पुनर्वि.	(-)7,77.60	18,22.40	10,85.14
			(-)7,37.26
₹ 7,77.60 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2245-05-101-4849—राष्ट्रीय आपदा आक्रिमकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण—			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	(-)30,00.00
₹ 30,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(23) 2245-05-101-7427—राज्य आपदा मोर्चन निधि—			
मूल	1,66,83.00		
पुनर्वि.	(-)3,97.00	1,62,86.00	1,62,96.00
			+10.00
₹ 3,97.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2245-80-800-7408—राज्य आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत दक्षता निर्माण—			
मूल	4,00.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)25.65	3,74.35	1,57.36
			(-)2,16.99
₹ 25.65 लाख की प्रत्याशित बचत कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिकय द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2245-01-101-2018—नगद दान	4,00.00	4,98.17	+98.17
(2) 2245-02-101-2018—नगद दान—	10,00.00	14,20.38	+4,20.38

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त सरल क्रमांक (2) के शीर्षान्तर्गत आधिकय हुआ था।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(3) 2245—02—106—1467—जिला एवं अन्य सङ्केत—			
मूल	22,00.00		
पुनर्वि.	8,83.45	30,83.45	37,00.08
			+6,16.63

₹ 8,83.45 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 35,79.35 लाख की वृद्धि एवं ₹ 26,95.90 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि सङ्केतों की मरम्मत के लिए जिलाधीशों से निधि के लिए मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(4) 2245—02—111—7352—शोकार्त परिवारों को सहायक अनुदान—

मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	(-)2,51.64	7,48.36	12,07.03	+4,58.67

₹ 2,51.64 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(iv) आकाल राहत निधि—

यह निधि बाढ़ अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2012 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 1,58,73,824 जमा था। वर्ष के दौरान अकाल राहत निधि शीर्ष को नामे ₹ 1,48,68,650 (ब्याज ₹ 21,30,383.00 तथा निवेश की वापिसी कर ₹ 1,27,38,267) जमा की गई। भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किए गए। निधि लेखा के जमा शेष एवं 31 मार्च 2013 को निवेश निम्नानुसार है :—

विवरण	01 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2013 को अंतशेष
	₹	₹	₹	₹
1. निधि लेखा	2,76,40,537.03 (जमा)	..	21,30,383.00	2,97,70,920.03 (जमा)
2. निवेश लेखा	1,17,66,713.03 (नामे)	..	1,27,38,267.00	9,71,553.97 (जमा)
योग	1,58,73,824.00 (जमा)	..	1,48,68,650.00	3,07,42,474.00 (जमा)

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे 2012—13 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रमांक—18 में सम्मिलित किया गया है।

(v) राज्य आपदा मोर्चन निधि :—

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोर्चन निधि का गठन करने की स्वीकृति देती है। तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी प्रतिवेदन के अध्याय 11 में आपदा प्रबंधन मोर्चन, निधि की स्थापना की अनुशंसा की है, एवं उसक अंतर्गत होने वाले अंशदान एवं भुगतान के तरीके का निर्धारण किया है। यह अनुशंसा भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है। 'आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 के खण्ड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 32—3/2010—एन.डी.एम—1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 में मंत्रालय ने राज्य आपदा मोर्चन निधि की स्थापना एवं संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू—स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोर्चन निधि का गठन किया गया, प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसा के आधार पर योजना की राशि का 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेतर अनुदान के रूप में दिया जाता है। शेष 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

अनुदान संख्या 58—समाप्त

केन्द्र एवं राज्य के निधियों के प्रवाह की वर्षवार तालिका निम्नानुसार हैः—

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
केन्द्राश	1,13.49	1,19.17	1,25.12	1,31.38	1,37.95	6,27.11
राज्यांश	37.83	39.72	41.71	43.79	45.98	2,09.03
कुल	1,51.32	1,58.89	1,66.83	1,75.17	1,83.93	8,36.14

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष “1601—भारत सरकार से सहायक अनुदान—01आयोजनेत्तर अनुदान—109—राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान” के अंतर्गत जमा होता था। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष “8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि” में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष “2245—दैवी विपत्तियों के संबंधमें राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि—101—आरक्षित निधि में अंतरण” में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्ष के लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि अंतरित कर “2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत 05—राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुर्णप्राप्तियां में समायोजित किया जाता है।

राज्य सरकार को आवश्यक है कि वह निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूति अथवा नीलामी पर खजाना देयक ब्याज मुक्त जमा एवं अनुसूचित बैंकों में जमा प्रमाण पत्रों आदि के अंतर्गत करें। अन्यथा राज्य सरकार को राज्य आपदा मोचन निधि को अद्व वार्षिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के ओह्हर ड्राफ्ट नियामक निर्देशावली द्वारा लागू की गई ब्याज दर को मुख्य शीर्ष 2049—ब्याज—105—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि पर ब्याज में जमा करना होगा।

वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 1,72,74.00 लाख की राशि मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 112—राज्य आपदा मोचन निधि में जमा की गई एवं दैवी विपत्तियों के कारण इस वर्ष ₹ 71,39.25 लाख का व्यय नामें किया गया।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2012–13 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण कमांक—18 में दर्शाया गया है।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान अभ्यर्पित किया गया। 2011–12 के दौरान भी ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 59—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ लाख में)
---------------	------------------	---------------------------------

मुख्य शीर्ष—

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

राजस्व:

पूरक वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	2,75,23	2,75,23	1,19,88	(—)1,55,35 1,55,35
---	---------	---------	---------	-----------------------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	---------------------------------

2515—101—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी

कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान—

मूल	2,75.23		
पुनर्वि.	(—)1,55.35	1,19.88	1,19.88 ..

₹ 1,55.35 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों
पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	76.00	25.76	(—)50.24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूंजीगत:	52,00,00	51,94,66	(—)5,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वर्ष के दौरान ₹ 50.24 लाख का अभ्यर्पण नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन एवं विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं किया जाना दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
3451—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7282—जिला योजना का सुदृढ़ीकरण	76.00	25.76	(—)50.24

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(iii) ₹ 5.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन
- 2055—पुलिस
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2215—जल पूर्ति और सफाई
- 2216—आवास
- 2217—शहरी विकास
- 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230—श्रम और रोजगार
- 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
- 2236—पोषण
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
- 2403—पशु—पालन
- 2405—मछली—पालन
- 2406—वानिकी और वन्य प्राणी
- 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार
- 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा
- 2425—सहकारिता
- 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- 2505—ग्रामीण रोजगार
- 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 2702—लघु सिंचाई
- 2801—बिजली
- 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2852—उद्योग
- 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
- 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
- 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
- 6215—जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
- 6408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज
- 6425—सहकारिता के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 64—जारी

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
	(₹ हजार में)	

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	10,84,43,41			
पूरक	1,26,63,42	12,11,06,83	9,26,63,47	(-)2,84,43,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				98,02,07
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2013)

10

..

(-)10
10**पूँजीगत :**

दत्तमत—

मूल	10,53,79,01			
पूरक	30,67,21	10,84,46,22	7,69,70,41	(-)3,14,75,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,93,96,61
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 12,96.62 लाख), दिसम्बर 2012 (₹ 99,46.80 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 14,20.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,26,63.42 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह त्रूटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) ₹ 2,84,43.36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 98,02.07 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन के साथ ही व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक
	अनुदान	व्यय
		(₹ लाख में)

(1) 2014—789—103—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5171—विशेष न्यायालयों की स्थापना	2,57.70	1,42.55	(-)1,15.15
(2) 2202—01—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5634—कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए कार्यक्रम	3,40.00	1,78.94	(-)1,61.06
(3) 2202—01—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3493—माध्यमिक विद्यालय	3,70.20	2,62.46	(-)1,07.74

कम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी उपरोक्त कम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 495—आश्रम और शालाएं—			
मूल	5,42.70		
पूरक	25.00		
पुनर्वि.	(-)63.28	5,04.42	4,71.91
			(-)32.51
₹ 63.28 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 75.28 लाख की कमी एवं ₹ 12.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-01-789-111-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5396—सर्व शिक्षा अभियान	2,20,00.00	1,37,89.29	(-)82,10.71
(6) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—			
मूल	27,20.00		
पूरक	21,85.00	49,05.00	38,42.74
			(-)10,62.26
(7) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—			
मूल	12,32.00		
पूरक	9,85.00	22,17.00	18,16.99
			(-)4,00.01
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2202-02-789-109-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2676—पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ—			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,45.11	8,54.89	8,54.89
₹ 1,45.11 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			..
(9) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6794—सूचना एवं संचार तकनीकी	7,67.50	57.69	(-)7,09.81

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(10) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	45,00.00	7,20.39	(-)37,79.61
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत एवं 2009-10 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4717—अनुसूचित जाति छात्रावास— मूल 19,06.00 पुनर्वि. (-)1,85.33	17,20.67	15,60.42	(-)1,60.25
₹ 1,85.33 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,96.33 लाख की कमी एवं ₹ 11.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5551—उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण— मूल 10,06.60 पूरक (-)31.70	10,38.30	8,85.33	(-)1,52.97
(13) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1,95.00	1,23.32	(-)71.68
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(14) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6755—कम्पयूटर शिक्षा योजना— मूल 80.00 पुनर्वि. (-)30.00	50.00	..	(-)50.00
₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2202-03-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 798—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 16,50.80 पुनर्वि. (-)2,35.91	14,14.89	14,06.50	(-)8.39
₹ 2,35.91 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(16) 2202—80—789—800—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	5,76.00	2,47.68	(-)3,28.32
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2203—789—001—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय— पूरक 5,00.00 पुनर्वि. (-)5,00.00			
₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(18) 2210—03—789—103—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1228—ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय	4,19.90	2,89.43	(-)1,30.47
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2210—03—789—197—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 7,14.80 पुनर्वि. (-)57.50	6,57.30	4,09.65	(-)2,47.65
₹ 57.50 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2210—03—789—198—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)— मूल 22,53.50 पुनर्वि. 5.20	22,58.70	14,39.85	(-)8,18.85
₹ 5.20 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नये पदों पर भर्ती किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2210—06—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5688—मुख्यमंत्री दवा पेटी	90.00	30.66	(-)59.34
(22) 2210—80—789—800—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	3,49.50	2,70.00	(-)79.50

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(23) 2211-789-001-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 1508—जिला स्तरीय अमला	1,00.30	30.39	(—)69.91
(24) 2211-789-101-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र	14,11.80	5,23.52	(—)8,88.28
उपरोक्त क्रम संख्या (21) से (24) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(25) 2215-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम—			
मूल 16,00.00 पुनर्वि. (—)1,60.96	14,39.04	14,15.64	(—)23.40
₹ 1,60.96 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(26) 2215-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4379—समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना—			
मूल 5,00.00 पुनर्वि. (—)60.03	4,39.97	3,76.60	(—)63.37
₹ 60.03 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(27) 2215-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6998—ग्रामीण क्षेत्रों में स्पॉट सोर्स द्वारा जल प्रदाय—			
मूल 2,00.00 पुनर्वि. (—)93.70	1,06.30	1,11.95	+5.65
₹ 93.70 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2215-01-789-193-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7316—गिरोदपुरी धाम जल प्रदाय योजना—			
मूल 1,00.00 पुनर्वि. (—)1,00.00			
₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(29) 2216—03—789—196—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6549—इंदिरा आवास योजना—			
मूल	5,76.74		
पूरक	4,92.00		
पुनर्वि.	(-)3,52.25	7,16.49	7,15.53
			(-)0.96
₹ 3,52.25 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(30) 2225—01—789—800—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5191—अनुसूचित जाति / जन जाति अत्याचार निवारण आधिनियम के अंतर्गत सहायता / पुनर्वास एवं सहायता—			
मूल	1,60.00		
पूरक	1,74.40		
पुनर्वि.	(-)1,43.91	1,90.49	2,27.91
			+37.42
₹ 1,43.91 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(31) 2225—01—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण—			
मूल	30,00.00		
पूरक	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)5.00	34,95.00	34,22.94
			(-)72.06
₹ 5.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 2230—03—789—003—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 717—औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाएं—			
मूल	2,22.00		
पुनर्वि.	(-)1,52.50	69.50	67.15
			(-)2.35
₹ 1,52.50 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 2235—02—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय—			
मूल	5,24.00		
पुनर्वि.	(-)1,08.13	4,15.87	4,15.67
			(-)0.20
₹ 1,08.13 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ नवीन औंगनवाड़ी केन्द्रों में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(34) 2236—02—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2179—अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम— मूल 43,64.00 पुनर्वि. (—)10,68.15 32,95.85 32,26.81 (—)69.04			

(35) 2236—02—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7361—सबला योजना— मूल 4,80.00 पुनर्वि. (—)1,53.64 3,26.36 3,26.36 ..

उपरोक्त क्रम संख्या (34) एवं (35) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 10,68.15 लाख एवं ₹ 1,53.64 लाख की प्रत्याशित बचत न्यायिक प्रकरण के कारण नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र प्रारम्भ न होने के कारण, हितग्राहियों के लिए मापदण्डों के अनुसार व्यय किए जाने, तथा महिला सेवा सहायता समूहों को आंशिक भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(36) 2236—02—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम— विशेष पोषण आहार योजना— मूल 1,61.60 पूरक 89.80 पुनर्वि. (—)85.16 1,66.24 1,72.93 +6.69
--

₹ 85.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(37) 2401—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5411—आइसोपाम विकास योजना— मूल 3,05.00 पुनर्वि. (—)1,32.00 1,73.00 1,64.75 (—)8.25
--

₹ 1,32.00 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यक्रम के अनुसार निधि प्राप्त नहीं होनें के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(38) 2401—789—108—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 43,20.00 पुनर्वि. (—)2,20.77 40,99.23 41,32.73 +33.50

₹ 2,20.77 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 6,40.77 लाख की कमी एवं ₹ 4,20.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी अधोसंरचना कार्य के लिए निधि वित्तीय वर्ष के अंत में जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता दिए जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(39) 2401—789—109—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8541—धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन—	मूल 2,23.20 पुनर्वि. (-)98.75	1,24.45	1,38.10 +13.65
₹ 98.75 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(40) 2401—789—110—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8702—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना— (कार्पस फण्ड)—	मूल 4,56.00 पुनर्वि. (-)4,52.98	3.02	3.02 ..
₹ 4,52.98 लाख की प्रत्याशित बचत बीमा कम्पनी द्वारा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने (₹ 52.98 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 4,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(41) 2401—789—119—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2794—स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान—	मूल 3,83.76 पुनर्वि. (-)1,64.96	2,18.80	2,57.80 +39.00
₹ 1,64.96 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(42) 2403—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5620—पशु रोग नियंत्रण— पूरक 1,60.00 पुनर्वि. (-)57.01		1,02.99	61.26 (-)41.73
₹ 57.01 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(43) 2403—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7471—नाबार्ड योजनानांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान—	मूल 1,39.20 पुनर्वि. (-)64.97	74.23	74.23 ..
₹ 64.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(44) 2415—80—789—120—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9182—इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान—	मूल 2,50.00 पुनर्वि. (-)1,87.50	62.50	62.50 ..
₹ 1,87.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(45) 2425—789—107—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 14,40.00 पुनर्वि. (—)2,40.00 12,00.00 12,00.00 ..			
		₹ 2,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।	
(46) 2501—02—789—196—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना— 7350—एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 4,72.51 पुनर्वि. (—)4,43.74 28.77 28.77 ..			
		₹ 4,43.74 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।	
(47) 2501—04—789—101—0410—उर्जा विकास निधि— 3220—छत्तीसगढ़ अक्षय उर्जा विकास निधि को सहायता अनुदान 2,20.00 .. (—)2,20.00			
		सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।	
(48) 2505—60—789—196—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6728—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 36,00.00 पुनर्वि. (—)12,42.27 23,57.73 21,90.62 (—)1,67.11			
		₹ 12,42.27 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।	
(49) 2505—60—789—196—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन— मूल 6,00.00 पुनर्वि. (—)3,14.16 2,85.84 2,83.55 (—)2.29			
		₹ 3,14.16 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।	
(50) 2702—03—789—103—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5709—किसान समृद्धि योजना के लिए अनुदान— मूल 7,20.00 पुनर्वि. (—)4,93.74 2,26.26 2,07.72 (—)18.54			
		₹ 4,93.74 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के अनुरूप अधिक प्रावधान जनसंख्या के अनुपात में किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।	

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(51) 2801—06—789—101—0410—उर्जा विकास निधि— 6758—कृषि पम्पों का विद्युतीकरण—			
मूल	19,20.00		
पुनर्वि.	(-)1,88.00	17,32.00	17,32.00
₹ 1,88.00 लाख की प्रत्याशित बचत पम्पों के विद्युतीकरण पर कम व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(52) 2801—06—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6501—एकल बत्ती कनेक्शन के लिए अनुदान—			
मूल	10,36.80		
पूरक	8,74.00		
पुनर्वि.	(-)3,43.00	15,67.80	15,67.80
₹ 3,43.00 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों द्वारा बिजली का कम उपयोग किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(53) 2851—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6857—उद्योगों को व्याज अनुदान—			
मूल	3,60.00		
पुनर्वि.	(-)1,25.08	2,34.92	2,34.27
₹ 1,25.08 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)0.65
(54) 2852—80—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5451—अंशपूर्जी सहायता योजना—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)95.60	4.40	4.40
₹ 95.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(55) 2852—80—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7395—क्रेडिट गारंटी फण्ड—			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,00.00
₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 64—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2401—789—119—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)—			
7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल 13,00.00			
पुनर्वि. 78.20	13,78.20	14,07.84	+29.64

₹ 78.20 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,94.68 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,16.48 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि लम्बित भुगतानों के जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के समान एवं समकक्ष नहीं था, जुलाई 2012 (₹ 29,91.21 लाख), दिसम्बर 2012 (₹ 26.00 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 30,67.21 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 3,14,75.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 1,93,96.61 लाख का अभ्यपर्ण कमजोर बजट प्रबंधन के साथ ही व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)

(1) 4202—01—789—202—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

1400—आश्रम एवं छात्रावास

भवन का निर्माण—

मूल	5,00.00
पूरक	सांकेतिक
पुनर्वि.	(-)5,00.00

₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202—01—789—203—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5086—महाविद्यालयीन

भवनों का निर्माण—

मूल	2,45.00		
पुनर्वि.	(-)55.00	1,90.00	1,56.35

(-)33.65

₹ 55.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
(3) 4202—02—789—103—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 717—औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाएं—			
मूल 2,20.00 पुनर्वि. (—)2,20.00			
₹ 2,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पर्याप्त संख्या में निविदायें प्राप्त नहीं होने के कारण एवं स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4210—02—789—101—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण—			
पूरक 8,52.80 पुनर्वि. (—)2,45.27	6,07.53	1,82.48	(—)4,25.05
₹ 2,45.27 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4210—02—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	5,51.00	2,10.12	(—)3,40.88
(6) 4210—02—103—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—	1,68.00	1,00.00	(—)68.00
(7) 4210—02—789—103—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण—			
मूल 4,17.00 पूरक 20.00	4,37.00	1,32.06	(—)3,04.94
(8) 4210—02—104—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	1,41.00	10.00	(—)1,31.00
(9) 4210—03—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय	51.00	4.50	(—)46.50

उपरोक्त कम संख्या (5) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त कम संख्या (5), 2007—08 से 2011—12 के दौरान कम संख्या (7) एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(10) 4215—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 5,20.00 पुनर्वि. (—)5,20.00			
₹ 5,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(11) 4225—01—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5616—गिरदुरपुरी एवं भण्डारपुरी का सकीकृत विकास— मूल 2,50.00 पुनर्वि. (—)99.00 1,51.00 1,51.00			
₹ 99.00 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(12) 4700—01—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 20,00.00 पुनर्वि. (—)17,07.28 2,92.72 2,92.72			
₹ 17,07.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(13) 4700—02—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 20,10.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)18,85.00 1,25.00 1,37.74 +12.74			
₹ 18,85.00 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं एजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(14) 4700—08—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य— मूल 10,00.00 पुनर्वि. (—)6,90.66 3,09.34 3,09.36 +0.02			
₹ 6,90.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4700—10—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य— मूल 7,00.00 पुनर्वि. (—)1,14.00 5,86.00 5,85.99 (—)0.01			
₹ 1,14.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(16) 4702—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5059—एनिकट/स्टॉपडेम का निर्माण—	मूल 69,00.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)20,25.56	48,74.44	48,74.58 +0.14
₹ 20,25.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4702—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7422—औद्योगिक जल संरचना निर्माण—	मूल 2,80,00.00 पुनर्वि. (—)2,92.47	2,77,07.53	2,77,07.53 ..
₹ 2,92.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4702—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3828—लघु सिंचाई योजना—	मूल 24,01.00 पुनर्वि. (—)10,39.34	13,61.66	13,61.64 (—)0.02
₹ 10,39.34 लाख की प्रत्याशित बचत साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 5054—03—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4149—वृहद पुलों का निर्माण	36,00.00	20,47.72	(—)15,52.28
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 5054—04—789—337—0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क एवं विकास योजना—	मूल 90,00.00 पुनर्वि. (—)75,48.06	14,51.94	13,32.97 (—)1,18.97
₹ 75,48.06 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने (₹ 45,48.07 लाख) एवं देयकों के कम प्राप्त होने (₹ 12,00.00 लाख) के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 17,99.99 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(21) 5054—04—789—337—0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना—	मूल 30,00.00 पुनर्वि. (—)26,14.70	3,85.30	2,43.62 (—)1,41.68
₹ 26,14.70 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 56,14.69 लाख की कमी एवं ₹ 29,99.99 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई। वृद्धि अधिक राशि के देयकों (₹ 12,00.00 लाख) के भुगतान के कारण सूचित की गई। शेष वृद्धि ₹ 17,99.99 लाख के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(22) 5054—04—789—800—0313— नाबार्ड पोषित योजनाये— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	35,00.00	2,49.28	(—)32,50.72

(23) 5054—04—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9002—अनुसूचित जातिबाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण— मूल 1,00,00.00 पूरक 10.00	1,00,10.00	58,76.82	(—)41,33.18
--	------------	----------	-------------

उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 6215—01—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2182—नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं— मूल 2,00.00 पुनर्वि. (—)1,00.00	1,00.00	1,00.00	..
--	---------	---------	----

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(25) 6408—02—789—190—0311—नाबार्ड घोषित योजनाये (सामान्य)— 8545—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण— मूल 22,05.00 पुनर्वि. (—)5.70	21,99.30	16,33.40	(—)5,65.90
---	----------	----------	------------

₹ 5.70 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(26) 6408—02—789—190—0103— अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6777—छत्तीसगढ़ सहकारी विषेषण संघ को बारदाना कर्य हेतु ऋण— मूल 1,50,00.00 पूरक 13,80.00	1,63,80.00	1,52,84.55	(—)10,95.45
--	------------	------------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4210—02—789—103—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण— पूरक 3,00.00 पुनर्वि. 2,45.27	5,45.27	5,45.27	..

₹ 2,45.27 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अधिक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 64—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(2) 4225—01—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5507—ग्राम गिदौरपुरी में जैत खंभ का निर्माण—			
मूल	1,00.00		
पूरक	4,38.40		
पुनर्वि.	99.00	6,37.40	7,09.24
			+71.84

₹ 99.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	14,82,74			
पूरक	40,00,00	54,82,74	51,60,13	(—)3,22,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,19,43
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	10	..	(—)10 10
---	----	----	-------------

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 3,22.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 3,19.43 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

2052—091—4043—विमानन संचालनालय—

मूल	14,82.74			
पूरक	40,00.00			
पुनर्वि.	(—)3,19.43	51,63.31	51,60.13	(—)3.18

₹ 3,19.43 लाख की प्रत्याशित बचत किराये के हेलीकाप्टर एवं हवाई जहाज का कम उपयोग किए जाने (₹ 1,26.16 लाख), अतिरिक्त बाऊजर कय नहीं किए जाने (₹ 55.43 लाख) एवं मितव्यपी उपायों के अपनाने (₹ 72.88 लाख) के कारण सूचित की गई हैं। शेष ₹ 64.96 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2004—05 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण

(सभी दत्तमत)

कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
पिछड़े वर्गों का कल्याण

4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य
पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

मूल	86,83,10			
पूरक	24,56,30	1,11,39,40	92,00,90	(—)19,38,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				15,15,02
(31 मार्च 2013)				
पूँजीगत		1,37,50	1,22,80	(—)14.70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				14,38
(31 मार्च 2013)				
टीका एवं टिप्पणियां				

राजस्व :

(i) ₹ 92,00.90 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 (₹ 38.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अप्र्याप्त था, जबकि दिसम्बर 2012 (₹ 24,18.20 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अत्यधिकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अप्र्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 19,38.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 15,15.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2202—02—107—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—

7286—अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति—

मूल	2,70.00			
पूरक	1,07.20			
पुनर्वि.	(—)2,29.97	1,47.23	1,47.18	(—)0.05

₹ 2,29.97 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202—02—107—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

6938—अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति—

मूल	6,00.00			
पूरक	11,16.10			
पुनर्वि.	(—)11,38.61	5,77.49	5,61.60	(—)15.89

₹ 11,38.61 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2202—02—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5551—हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय—	मूल 4,00.00 पूरक. 1,15.00	5,15.00	2,33.94 (—)2,81.06
			बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।
(4) 2225—03—277—3673—राज्य छात्रवृत्तियां—	10,00.00	9,31.40	(—)68.60
			बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2225—03—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5488—छत्तीसगढ़ राज्य में उर्दू अकादमी की स्थापना—	मूल 40.00 पुनर्वि. 20.00	60.00	60.00 ..
			₹ 20.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।
पूंजीगतः			
दत्तमत—			
(v) ₹ 14,70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 14.38 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
4225—03—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1395—छात्रावास—	मूल 25.00 पुनर्वि. (—)13.88	11.12	10.80 (—)0.32
			₹ 13.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2059—लोक निर्माण कार्य
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2211—परिवार कल्याण
- 2216—आवास
- 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230—श्रम तथा रोजगार
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2403—पशुपालन
- 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
- 4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
- 4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	3,21,85,05				
पूरक	91,28	3,22,76,33	2,96,85,01	(—)25,91,32	11,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					
(31 मार्च 2013)					

प्रभारित		40,00	13,11	(—)26,89	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	3,07,76,10				
पूरक	40,02,01	3,47,78,11	1,98,64,17	(—)1,49,13,94	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान रहा, जुलाई 2012 (₹ 8.85 लाख) एवं दिसम्बर 2012 (₹ 82.43 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 91.28 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 67—जारी

(ii) ₹ 25,91.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 11.81 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2059—01—051—2449—न्याय प्रशासन— (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	70.00	9.17	(—)60.83
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(2) 2059—01—053—3692—राज्य विधान मंडल	60.00	..	(—)60.00
सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2059—60—053—7425—नवीन अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का रख रखाव	2,20.00	1,41.09	(—)78.91
(4) 2059—80—001—3300—मण्डल स्थापना	8,55.48	5,99.51	(—)2,55.97
(5) 2059—80—001—3566—मुख्यालय स्थापना	12,17.95	9,11.55	(—)3,06.40
(6) 2059—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2418—निष्पादन	49,36.80	48,28.32	(—)1,08.48
(7) 2059—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3300—मण्डल स्थापना	3,02.10	2,23.53	(—)78.57
(8) 2059—80—799—1051—भण्डारण	1,65.00	73.10	(—)91.90
(9) 2210—05—105—4220—शिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 1,00.00 पूरक 82.43 1,82.43 1,15.69 (—)66.74			
(10) 2216—05—053—1482—जिला प्रशासन	60.00	1.70	(—)58.30
(11) 2216—80—001—2300—निर्देशन और प्रशासन— (मांग संख्या 67—2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना प्रभारों का समानुपातिक भाग)	23,67.70	5,19.23	(—)18,48.47
(12) 2216—80—052—692—औजार एवं संयंत्र प्रभार— (मांग संख्या 67—2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग)	3,00.57	35.82	(—)2,64.75
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3), (4) एवं (11), 2007—08 से 2011—12 क्रम संख्या (5) एवं (12) 2008—09 से 2011—12, क्रम संख्या (6) एवं 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2059—80—001—0101—2418—निष्पादन—			
मूल	1,05,90.35		
पूरक	8.85	1,05,99.20	1,12,77.46
			+6,78.26
(2) 2059—80—799—4056—विविध लोक निर्माण			
पेशागियां		88.00	4,24.06
			+3,36.06
(3) 2216—80—800—4489—सामान्य मरम्मतें—	16,00.00		16,86.86
			+86.86

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2009—10 से 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(v) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में ₹ 4,97.16 लाख “2059—लोक निर्माण कार्य उचंत” शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए हैं। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (v) में दी गई है।

वर्ष 2012—13 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष
1 अप्रैल 2012 को नामे + जमा (—)				31 मार्च 2013 को नामे+ जमा(—)
(₹ लाख में)				
2059—लोक निर्माण कार्य—				

(i) क्रय	(—) 22,82.95	(—) 22,82.95
(ii) भण्डार	+14,22.10	73.10	8.88	+14,86.32
(iii) विविध लोक निर्माण				
कार्य अग्रिम	+ 73,74.39	4,24.06	2,52.18	+ 75,46.27
योग	+ 65,13.54	4,97.16	2,61.06	+ 67,49.64

प्रभारित—

(vi) ₹ 26.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
2059—80—800—1835—डिकी धन का भुगतान	30.00	5.98	(—)24.02

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (v) में दी गई है।

अनुदान संख्या 67—जारी

पूँजीगत :

दत्तमत—

(viii) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 (₹ 39,92.01 लाख) तथा दिसम्बर 2012 (₹ 10.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 40,02.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) ₹ 1,49,13.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4059—01—051—1001—अंतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—
6333—भू—राजस्व कार्यालय भवन—

पूरक	14,40.00	14,40.00	..	(—)14,40.00
------	----------	----------	----	-------------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2013)।

(2) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
2450—न्याय प्रशासन—

मूल	4,50.00			
पुनर्वि.	(—)1,00.00	3,50.00	1,08.38	(—)2,41.62

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
2629—पुलिस—

मूल	15,00.00			
पुनर्वि.	(—)60.00	14,40.00	7,57.91	(—)6,82.09

₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
3342—छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली

1,05.00	..	(—)1,05.00
---------	----	------------

(5) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)
4606—मुद्रांक एवं पंजीयन

2,12.60	..	(—)2,12.60
---------	----	------------

उपरोक्त क्रम संख्या (4) तथा (5) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

(6) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
5049—राज्य विधान मण्डल

2,25.00	83.17	(—)1,41.83
---------	-------	------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
5600—परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण—

मूल	6,00.00			
पूरक.	50.00	6,50.00	2,84.27	(—)3,65.73

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(8) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5652—मुद्रणालय भवन का निर्माण	1,00.00	..	(—)1,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7402—खनिज प्रशासन	1,10.00	11.62	(—)98,.38
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(10) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7466—प्रशिक्षण केन्द्र	1,00.00	..	(—)1,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान अप्रयुक्त रहा था।			
(11) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8040—जेल भवनों का निर्माण—			
मूल	6,40.00		
पूरक.	1,67.41	8,07.41	5,41.87
			(—)2,65.54
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण—			
मूल	57,80.00		
पुनर्वि.	(—)9,00.00	48,80.00	15,54.11
			(—)33,25.89
₹ 9,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5086—महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण	7,60.00	6,30.58	(—)1,29.42
(14) 4202—02—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8071—पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण	13,70.00	6,31.94	(—)7,38.06
(15) 4202—02—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 515—इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान भवनों का निर्माण	5,00.00	54.84	(—)4,45.16
(16) 4202—03—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5226—मूलभूत सुविधाओं के लिए स्टेडियम का विकास—			
मूल	10,76.50		
पूरक	10.00	10,86.50	8,80.97
			(—)2,05.53
(17) 4210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण (मूलभूत सेवाओं के लिए)	14,00.00	4,59.65	(—)9,40.35

अनुदान संख्या 67—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (17) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत तथा 2005–06 से 2011–12 के दौरान भी क्रम संख्या (16) तथा (17) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(–)
(18) 4210–02–101–1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण—			
पूरक	18,84.60		
पुनर्वि.	(–)4,78.13	14,06.47	8,21.16
			(–)5,85.31
₹ 4,78.13 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति के विरुद्ध अधिक प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(19) 4210–02–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य) 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	16,00.00	3,83.59	(–)12,16.41
(20) 4210–02–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य) 4143—मूलभूत सेवाओं के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	15,00.00	10,74.49	(–)4,25.51
(21) 4210–02–104–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	4,00.00	31.27	(–)3,68.73
(22) 4210–03–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4136—आयुर्वेद भवन का निर्माण—			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	(–)70.00	2,30.00	32.86
			(–)1,97.14
(23) 4216–01–106–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6222—न्याय प्रशासन—(स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण)	2,50.00	17.68	(–)2,32.32
(24) 4216–01–106–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2631—पुलिस प्रशासन—			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि.	(–)4,00.00	4,00.00	9.93
			(–)3,90.07
(25) 4216–01–800–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5918—सामान्य प्रशासन विभाग	6,40.00	86.63	(–)5,53.37
उपरोक्त क्रम संख्या (19) से (25) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009–10 से 2011–12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (19), 2008–09 से 2011–12 के दौरान (20) (21) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत तथा 2007–08 से 2011–12 के दौरान क्रम संख्या (22) तथा (23) एवं 2011–12 के दौरान भी क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 4235–02–106–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7446—समाज कल्याण संस्थाओं का एकीकृत परिसर (माना केम्प)	1,65.00	..	(–)1,65.00

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(27) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9147-रोजगार कार्यालय	1,90.00	..	(-)1,90.00
उपरोक्त क्रम संख्या (26) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 976-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यालय भवनों का निर्माण— मूल 19,20.00 पूरक 50.00	19,70.00	6,00.10	(-)13,69.90
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 4403-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5620-पशुरोग नियंत्रण— बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।	4,40.00	62.29	(-)3,77.71
(xi) उपरोक्त टिप्पणी (x) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3855-लोक निर्माण कार्य भवन— मूल 6,00.00 पुनर्वि. 7,00.00	13,00.00	9,17.19	(-)3,82.81
₹ 7,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति एवं दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन— मूल 12,00.00 पुनर्वि. 2,00.00	14,00.00	17,49.24	+3,49.24
₹ 2,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति एवं दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(3) 4202-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5906-खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण 5,00.00		15,34.63	+10,34.63
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(4) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 4143-मूल भूत सेवाओं के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण— पूरक 2,00.00 पुनर्वि. 4,78.13	6,78.13	4,46.13	(-)2,32.00
₹ 4,78.13 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

अनुदान संख्या 67—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4210—02—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण—			
पूरक	2,00.00	2,00.00	4,32.00
			+2,32.00
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(6) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5640—उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण—			
पूरक	2,50.00		
पुनर्वि.	4,00.00	6,50.00	7,40.12
			+90.12

₹ 4,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ हजार में)
---------------	------------------	----------------------------------

मुख्य शीर्ष—

- 4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत :

मूल	1,32,43,00			
पूरक	49,94,60	1,82,37,60	1,08,13,85	(-)74,23,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

- (i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 49,94.60 लाख के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (ii) ₹ 74,23.75 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित न किया जाना बजट पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	---------------------------------

(1) 4059—01—796—051—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)			
6333—भ—राजस्व कार्यालय भवन	18,00.00	..	(-)18,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(2) 4059—01—796—051—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना

सामान्य—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
7307—विशेष अधोसंरचना विकास योजना	5,50.00	2,17.74	(-)3,32.26

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4059—01—796—051—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3855—लोक निर्माण—भवन	3,00.00	57.95	(-)2,42.05
----------------------	---------	-------	------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4059—01—796—051—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7402—खनिज प्रशासन	1,40.00	..	(-)1,40.00
-------------------	---------	----	------------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(5) 4202—01—796—202—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	1,35.00	16.20	(—)1,18.80
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4202—01—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5086—कॉलेज भवन का निर्माण—	8,35.00 पूरक 50.00	8,85.00	6,97.26 (—)1,87.74
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4202—02—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8071—पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण—	12.00.00 पुनर्वि. (—)2,50.00	9,50.00	.. (—)9,50.00
₹ 2,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(8) 4210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 395—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन का निर्माण—	5,31.00 पुनर्वि. (—)4,00.00	1,31.00	2.66 (—)1,28.34
₹ 4,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4210—02—796—101—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण—	23,44.60 पूरक (—)8,39.40	15,05.20	9,80.83 (—)5,24.37
₹ 8,39.40 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4210—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण—	10,00.00 पुनर्वि. (—)1,00.00	9,00.00	3,62.51 (—)5,37.49
₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(11) 4210—02—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण—			
मूल 11,00.00			
पुनर्वि (-)1,00.00	10,00.00	6,93.98	(-)3,06.02
₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4210—02—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए			
भवन निर्माण 6,00.00		2,24.59	(-)3,75.41
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4210—02—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5057—चिकित्सालयों में शाययाओं की वृद्धि 1,50.00		66.27	(-)83.73
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(14) 4210—03—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ का एकीकरण—			
मूल 3,60.00			
पुनर्वि (-)1,50.00	2,10.00	2.25	(-)2,07.75
₹ 1,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(15) 4216—01—796—106—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2631—पुलिस प्रशासन—			
मूल 2,00.00			
पुनर्वि (-)1,00.00	1,00.00	..	(-)1,00.00
₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4225—02—796—277—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9840—शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण 11,00.00		8,85.67	(-)2,14.33
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(17) 4250—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9147—रोजगार कार्यालय 1,80.00		..	(-)1,80.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(18) 4250—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 976—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था			
कार्यालय भवनों का निर्माण 20,00.00		16,07.64	(-)3,92.36
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 68—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत सुच्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 4210—02—796—103—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 4143—प्राथमिक स्वारक्ष्य केन्द्रों का निर्माण— मूल 80.00 पूरक 4,00.00 पुनर्वि. 5,91.40	10,71.40	9,91.40	(—)80.00
₹ 5,91.40 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन आधिक्य प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(2) 4210—02—796—104—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5056—सामुदायिक स्वारक्ष्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण— पूरक 4,00.00 पुनर्वि. 2,48.00	6,48.00	6,48.00	..
₹ 2,48.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन आधिक्य प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है।			
(3) 4210—03—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4220—शिक्षा विकित्सा महाविद्यालय— मूल 20,90.00 पुनर्वि. 3,00.00	23,90.00	23,87.71	(—)2.29
₹ 3,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन लम्बित दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(4) 4216—01—796—106—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7307—विशेष अधोसंरचना विकास योजना— मूल 1,45.00 पुनर्वि. 1,00.00	2,45.00	2,11.32	(—)33.68
₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन लम्बित दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(5) 4216—01—796—106—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3070—भाड़ा गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत आवास गृहों का निर्माण— मूल 2,10.00 पुनर्वि. 7,00.00	9,10.00	4,30.70	(—)4,79.30
₹ 7,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन लम्बित दायित्वों का भुगतान एवं कार्यों की प्रगति के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण

(सभी दत्तमत)

वास्तविक

आधिकय+

कुल
अनुदान

व्यय

बचत(—)

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

राजस्व:

मूल	3,11,12,67			
पूरक	5,93,00	3,17,05,67	88,13,01	(-)2,28,92,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				2,28,92,66
टीका एवं टिप्पणियां				

राजस्व :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 5,93.00 लाख अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2217—05—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

7486—एकीकृत अल्प लागत योजना स्वच्छाता—

मूल	21,75.92
पुनर्वि.	(-)21,75.92

₹ 21,75.92 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(2) 2217—80—191—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सहायता)—

6741—नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन—

मूल	1,17,50.73		
पुनर्वि.	(-)67,14.30	50,36.43	50,36.43

₹ 67,14.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2217—80—191—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

6807—एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती

विकास योजना—

मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	(-)31,01.05	18,98.95	18,98.95

₹ 31,01.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

7404—आपदा प्रबंधन कार्यक्रम—

मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,49.00	51.00	51.00

₹ 1,49.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 69—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(5) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8630—राजीव आवास योजना—			
मूल	1,00,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,00,00.00		
₹ 1,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(6) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9106—स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना—			
मूल	6,60.00		
पुनर्वि.	(-)2,86.94	3,73.06	3,73.06
₹ 2,86.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(7) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7404—आपदा प्रबंधन कार्यक्रम—			
मूल	1,50.00		
पूरक	3,75.00		
पुनर्वि.	(-)75.00	4,50.00	4,50.00
₹ 75.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9106—स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना—			
मूल	6,60.00		
पुनर्वि.	(-)2,86.94	3,73.06	3,73.06
₹ 2,86.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(9) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9106—स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना—			
मूल	2,24.40		
पुनर्वि.	(-)76.51	1,47.89	1,47.89
₹ 76.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

**अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—) (₹ हजार में)
---------------	------------------	------------------------------------

मुख्य शीर्ष—

3275—अन्य दूरसंचार सेवाये—

राजस्व:

मूल	34,40,92			
पूरक	32,12,00	66,52,92	47,08,00	(—)19,44,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (19 एवं 30 मार्च 2013)				19,44,92

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 47,08,00 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2012 (₹ 9,62.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2013 में (₹ 1,52.59 लाख) प्राप्त किया गया ₹ 32,12.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिकर्यपूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	-----------------------------------

(1) 3275—800—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

6818—स्वान परियोजना—

मूल	11,86.00		
पूरक	9,62.00		
पुनर्वि.	(—)3,96.00	17,52.00	17,52.00

₹ 3,96.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 7,36.00 लाख की कमी एवं ₹ 3,40.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्र सहायता राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7276—डिजीटल शासन की स्थापना—

मूल	6,86.00		
पुनर्वि.	(—)6,86.00		

₹ 6,86.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्र सहायता राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(3) 3275—800—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

7278—राज्य में केपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम—

मूल	1,82.30		
पुनर्वि.	(—)1,82.30		

₹ 1,82.30 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्र सहायता राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 71—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	--------------------

(4) 3275—800—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

7482—सूचना प्रौद्योगिकी एवं
ई—गवर्नेंस प्रशिक्षण संस्थान—

मूल	1,30.60
पुनर्वि.	(-)1,30.60

₹ 1,30.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के साथ ही राज्य वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(5) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6819—चॉइस परियोजना—

मूल	5,00.00
पुनर्वि.	(-)5,00.00

₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7481—जैव प्रौद्योगिकी हेतु प्रशिक्षण एवं
मानव संसाधन विकास की परियोजना—

मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

कुल	वास्तविक
अनुदान	व्यय
	(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

- 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत:

मूल	1,45,20,00			
पूरक	सांकेतिक	1,45,20,00	1,06,08,86	(—)39,11,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				42,74,14
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 39,11.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 42,74.14 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष		कुल	वास्तविक	आधिक्य+
		अनुदान	व्यय	बचत(—)
			(₹ लाख में)	

- (1) 4700—05—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—
 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)

मूल	30,00.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(—)20,48.62	9,51.38	9,53.12	+1.74

₹ 20,48.62 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति (₹ 15,70.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 4,78.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (2) 4701—05—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—
 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)

पूरक	10,00.00			
पुनर्वि.	(—)2,90.00	7,10.00	6,24.05	(—)85.95

₹ 2,90.00 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (3) 4702—101—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—
 9469—नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत—

मूल	41,00.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(—)12,70.42	28,29.58	32,43.78	+4,14.20

₹ 12,70.42 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति (₹ 8,90.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 3,80.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ₹ 4,14.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 75—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 4702—800—0312—नाबाड़ पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5189—लघु सिंचाई योजना— निर्माण कार्य (नाबाड़)—			
मूल	64,10.00		
पुनर्वि.	(-)7,54.19	56,55.81	56,88.82
			+33.01

₹ 7,54.19 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति (₹ 5,15.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 2,39.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
4702—05—800—0313—नाबाड़ पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)—			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	89.09	99.09	99.09
			..

₹ 89.09 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 90.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.91 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान के कारण सूचित की गई है। कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)	वास्तविक	आधिक्य+
कुल	व्यय	बचत(—)
अनुदान		
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

5054—सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत:

मूल	2,00,00,00			
पूरक	2	2,00,00,02	14,30,33	(-)1,85,69,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियां				

पूंजीगत :

(i) ₹ 1,85,69,69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 5054—03—337—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (एस.सी.एस.पी.)—
7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड
डेवलपमेन्ट सेक्टर
प्रोजेक्ट—फेज-II

मूल	24,00.00			
पूरक	सांकेतिक	24,00.00	7,69.40	(-)16,30.60

(2) 5054—03—337—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (टी.ए.एस.पी.)—
7433—छत्तीसगढ़ स्टेट
रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर
प्रोजेक्ट— फेज— II—

मूल	76,00.0			
पूरक	सांकेतिक	76,00.00	2,57.77	(-)73,42.23

(3) 5054—03—337—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं सामान्य—
7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड
डेवलपमेन्ट सेक्टर
प्रोजेक्ट—फेज—II—

मूल	1,00.00			
पूरक	सांकेतिक	1,00,00.00	4,03.15	(-)95,96.86

उपरोक्त कम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2071—पेंशन और सेवा निवृति लाभ

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	2,58,30,00			
पूरक	43,76	2,58,73,76	2,02,62,73	(—)56,11,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

प्रभारित	4,20	..	(—)4,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूंजीगत:

दत्तमत	33,25,00	11,33,64	(—)21,91,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 43.76 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 56,11.03 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए बचत का अभ्यर्पित नहीं किया जाना बजट पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2071—01—800—5499—सेवा निवृत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा—

मूल	2,30.00		
पूरक	20.00	2,50.00	..

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्र्युक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2210—01—110—1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय 35,35.20 29,73.68 (—)5,61.52

(3) 2210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6967—चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर, अस्पताल	18,24.00	14,56.60	(—)3,67.40
---	----------	----------	------------

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2006—07 से 2011—12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6997—चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ से सम्बद्ध चिकित्सालय— मूल 1,82.70 पूरक सांकेतिक 1,82.70 .. -1,82.70			
सम्पूर्ण प्रावधान के बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2210-02-101-4194—शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एण्ड डिपो	3,43.90	2,45.44	(-)98.46
(6) 2210-02-101-460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	6,97.30	4,96.38	(-)2,00.92
(7) 2210-02-101-461—आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढ़ीकरण	4,52.30	2,95.36	(-)1,56.94
(8) 2210-02-101-7511—आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाविद्यालय— मूल 3,36.30 पूरक सांकेतिक 3,36.30 2,29.15 .. (-)1,07.15			
(9) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	2,24.00	1,03.74	(-)1,20.26
(10) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	3,08.50	2,06.46	(-)1,02.04
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6), 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (8) एवं (9) तथा 2007-08 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2210-04-101-460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	44,55.30	40,33.10	(-)4,22.20
(12) 2210-05-101-469—आयुर्वेदिक महाविद्यालय— मूल 11,11.00 पूरक सांकेतिक 11,11.00 7,65.72 .. (-)3,45.28			
(13) 2210-05-105-1352—चिकित्सा महाविद्यालय	29,55.60	26,80.08	-2,75.52
(14) 2210-05-105-1355—चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	2,47.60	75.08	(-)1,72.52
(15) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1352—चिकित्सा महाविद्यालय	9,86.00	5,36.26	(-)4,49.74

उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (15) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007-08 से 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (11), (12), (13) एवं (15) तथा 2009-10 से 2011-12 के दौरान क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(16) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1355—चिकित्सा महाविद्यालय	2,00.00	..	(—)2,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1915—दंत महाविद्यालय	13,90.10	11,11.01	(—)2,79.09
(18) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6968—चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर			
	17,82.00	15,81.39	(—)2,00.61
(19) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6996—चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़	2,34.00	1,40.00	(—)94.00
(20) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7328—फिजियो थेरेपी महाविद्यालय	1,67.90	72.50	—95.40
(21) 2210—06—003—2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	3,24.80	1,90.03	(—)1,34.77
(22) 2210—06—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	6,75.10	2,86.54	(—)3,88.56

उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (22) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2007—08 से 2011—12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (20) तथा 2009—10 से 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (18), (19), (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 4.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अर्घ्यप्रित नहीं की गई। 2011—12 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 21,91.36 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए बचत का अर्घ्यप्रित नहीं की जाना बजट पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	10,00.00	2,33.09	(—)7,66.91
(2) 4210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6967—चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर अस्पताल	1,00.00	12.64	(—)87.36
(3) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1352—चिकित्सा महाविद्यालय	10,00.00	4,49.49	(—)5,50.51

अनुदान संख्या 79—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1915—दंत महाविद्यालय	1,00.00	5.72	(—)94.28
(5) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6968—चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर	9,25.00	3,82.70	(—)5,42.30

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3), तथा 2008—09 से 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (4) तथा 2009—10 से 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4210—04—112—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	1,50.00	..	(—)1,50.00
--	---------	----	------------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010—11 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 80—त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ हजार में)
---------------	------------------	-----------------------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2236—पोषण
- 2403—पशु—पालन
- 2405—मछली पालन
- 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2853—अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग
- 3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन
- 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
- 6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

राजस्व:

मूल	22,36,28,52			
पूरक	4,60,27,74	26,96,56,26	23,58,82,60	(-)3,37,73,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,22,97,10
(30 एवं 31 मार्च 2013)				

पूंजीगत:

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	27,00	15,82	(-)11,18
(30 एवं 31 मार्च 2013)			10,66

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 3,37,73.66 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 (₹ 1,39,50.00 लाख) आधिक्यपूर्ण था, जबकि दिसम्बर 2012 (₹ 2,62,77.74 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 58,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,60,27.74 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 3,37,73.66 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 1,22,97.10 लाख का अभ्यर्पण त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन के साथ ही व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 2202—01—112—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—

मूल 40,10.00

पूरक 28,77.00

68,87.00

43,06.82

(-)25,80.18

(2) 2202—01—112—0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

6933—माध्यमिक विद्यालयों में

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—

मूल 21,06.00

पूरक 16,44.00

37,50.00

23,71.40

(-)13,78.60

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2202—01—197—8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	2,37,50.00		
पूरक	80,00.00	3,17,50.00	2,71,64.59
			(—)45,85.41
(4) 2202—01—197—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओंके लिए—			
मूल	2,37,50.00		
पूरक	38,50.00	2,76,00.00	2,41,50.04
			(—)34,49.96
(5) 2202—02—196—8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	1,02,50.00		
पूरक	12,00.00	1,14,50.00	93,19.66
			(—)21,30.34
(6) 2202—02—196—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	1,66,50.00		
पूरक	75.00	1,67,25.00	94,75.54
			(—)72,49.46
(7) 2210—04—101—460—आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	10,64.50	4,13.36	(—)6,51.14
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2013)। 2005—06 से 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत, 2007—08 से 2011—12 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2515—01—198—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 2219—नलकूपों का रख रखाव—			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(—)42.54	4,57.46	4,47.03
			(—)10.43
₹ 42.54 लाख की प्रत्याशित बचत, निधियों की मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। इस शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।			
(9) 2235—60—198—4858—इंदिरा सहारा योजना	45,00.00	41,12.58	(—)3,87.42
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(10) 2235—60—198—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—			
मूल	5,60.00		
पुनर्वि.	(—)1,19.70	4,40.30	4,64.60
			+24.30

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(11) 2235—60—198—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—	मूल 94,52.00 पुनर्वि. (—)9,29.38	85,22.62	86,31.26 +1,08.64

(12) 2235—60—198—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन—	मूल 13,70.00 पुनर्वि. (—)66.95	13,03.05	12,83.70 (—)19.35
--	-----------------------------------	----------	-------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (12) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,19.70 लाख, ₹ 9,29.38 लाख एवं ₹ 66.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत/आधिक्य के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2013)।

(13) 2405—101—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—	मूल 3,75.00 पूरक 1,00.00 पुनर्वि. (—)3.13	4,71.87	1,80.03 (—)2,91.84
---	---	---------	--------------------

₹ 3.13 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2515—196—7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—	मूल 38,92.40 पूरक 5,72.22 पुनर्वि. (—)6,01.55	38,63.07	38,63.07 ..
---	---	----------	-------------

₹ 6,01.55 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2515—196—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7019—पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि—	मूल 1,90,00.00 पूरक 37,95.00 पुनर्वि. (—)34,45.00	1,93,50.00	1,93,60.97 +10.97
---	---	------------	-------------------

₹ 34,45.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2515—196—0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8668—राजीव गांधी पंचायत सशक्ति करण अभियान—	पूरक 4,50.42 पुनर्वि. (—)4,50.42
--	-------------------------------------	----	-------

₹ 4,50.42 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भरत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
(17) 2515—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6859—ग्राम विकास योजना—			
मूल	12,50.00		
पुनर्वि.	(—)1.20	12,48.80	11,98.80
			(—)50.00
(18) 2515—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7243—छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना—			
मूल	12,50.00		
पुनर्वि.	(—)4,99.15	7,50.85	7,58.05
			+7.20
उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1.20 लाख एवं ₹ 4,99.15 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति के अनुसार व्यय होने के कारण सूचित की गई है। 2011—12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2515—197—7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	77,84.80		
पूरक	11,44.45		
पुनर्वि.	(—)12,03.09	77,26.16	77,26.16
₹ 12,03.09 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है।			..
(20) 2515—198—5848—ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान—			
मूल	1,80,00.00		
पूरक	53,00.00	2,33,00.00	2,30,04.80
पुनर्वि.	(—)2,95.20		
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(21) 2515—198—7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	2,72,46.80		
पूरक	40,05.55		
पुनर्वि.	(—)42,14.75	2,70,37.60	2,70,37.60
₹ 42,14.75 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है।			..
(22) 2515—198—8214—सचिवीय व्यवस्था—			
मूल	57,25.00		
पूरक	10,50.00		
पुनर्वि.	(—)2,40.33	65,34.67	65,31.37
₹ 2,40.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(—)3.30
(23) 2853—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण—			
मूल	83,80.00		
पुनर्वि.	(—)2,38.75	81,41.25	81,41.25
			..

अनुदान संख्या 80—समाप्त

₹ 2,38.75 लाख की प्रत्याशित बचत 2011–12 से गौण खनिज से प्राप्त राजस्व पंचायतों को स्थानान्तरित किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2007–08 से 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2215–01–198–2219—नलकूपों का रख रखाव	10,00.00	10,35.87	+35.87
(2) 2235–60–198–9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—			
मूल	1,15,00.00		
पूरक	5,00.00	1,20,00.00	1,31,16.97 +11,16.97
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(3) 2235–60–198–1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—			
7340—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेशन—			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	1,16.34	4,16.34	3,93.99 (—)22.35
₹ 1,16.34 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(4) 2515–196–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6746—मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना—			
मूल	52,50.00		
पुनर्वि.	(—)28.82	52,21.18	52,71.18 +50.00
(5) 2515–198–8209—पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण—			
मूल	11,68.08		
पूरक	25,00.00		
पुनर्वि.	(—)39.41	36,28.67	39,27.42 +2,98.75
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 28.82 लाख एवं ₹ 39.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			

पूंजीगत :

(v) ₹ 11.18 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में वर्ष के दौरान केवल ₹ 10.66 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
6851–109–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5825—प्रोजेक्ट पैकेज हरस्थकरघा योजनान्तर्गत उन्नत उपकरण / अंशपूजी / सामान्य सुविधा केन्द्र कार्यालय सह गोदाम हेतु ऋण—			
मूल	25.00		
पुनर्वि.	(—)9.19	15.81	15.81 ..
₹ 9.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामाज्य शिक्षा
 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
 2217—शहरी विकास
 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
 को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
 6217—शहरी विकास के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	11,77,99,33			
पूरक	2,48,64,41	14,26,63,74	13,19,75,68	(−)1,06,88,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				77,20,49
(31 मार्च 2013)				

प्रभारित—

मूल	36,16,00			
पूरक	11,84,00	48,00,00	48,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूंजीगत :

दत्तमत	2,01,00,00	1,74,16,60	(−)26,83,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			26,83,40

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,06,88.06 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 (₹ 20,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त, दिसम्बर 2012 (₹ 2,26,31.22 लाख) आधिक्यपूर्ण जबकि मार्च 2013 (₹ 2,33.19 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,48,64.41 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,06,88.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 77,20.49 लाख का अभ्यर्पण किया गया था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	

(1) 2202—01—191—8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—

मूल	5,00.00		
पूरक	10,00.00	15,00.00	9,62.26
			(−)5,37.74

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 2202-01-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान— मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—	मूल 5,00.00 पूरक 7,00.00	12,00.00	9,30.32 (—)2,69.68
(3) 2202-01-192-8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—	मूल 5,40.00 पूरक 10,00.00	15,40.00	6,72.10 (—)8,67.90
(4) 2202-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान— मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—	मूल 6,00.00 पूरक 6,00.00	12,00.00	6,20.92 (—)5,79.08
(5) 2202-02-191-8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—	मूल 5,00.00 पूरक 3,00.00	8,00.00	5,81.41 (—)2,18.59
(6) 2202-02-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान— मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—	मूल 3,00.00 पूरक 2,00.00	5,00.00	1,80.47 (—)3,19.53
(7) 2202-02-192-8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान— मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—	मूल 6,00.00 पूरक 4,00.00	10,00.00	6,36.14 (—)3,63.86
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3), (4) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत एवं 2009-10 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(8) 2217-05-191-7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—	मूल 57,16.00 पूरक 17,06.04 पुनर्वि. (—)35,72.06	38,49.98	38,49.98 ..
(9) 2217-05-191-7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—	मूल 26,00.00 पुनर्वि. (—)7,67.00	18,33.00	18,33.00 ..

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(10) 2217-05-192-7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	22,62.00		
पूरक	3,64.93		
पुनर्वि.	(-)12,65.12	13,61.81	13,61.81
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 35,72.06 लाख, ₹ 7,67.00 लाख एवं ₹ 12,65.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2217-05-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	(-)3,00.00	"	"
₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2217-05-193-7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	17,43.00		
पूरक	11,79.71		
पुनर्वि.	(-)14,06.13	15,16.58	15,16.58
₹ 14,06.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2217-05-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)73.60	26.40	26.40
₹ 73.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2217-80-191-7418—शहरी स्वच्छता कार्यक्रम—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,00.00	"	"
₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2235-60-192-9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—			
मूल	9,50.00		
पुनर्वि.	(-)1,97.22	7,52.78	7,83.05
₹ 1,97.22 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+30.27
(16) 2235-60-193-4858—इंदिरा सहारा योजना—			
मूल	4,60.00		
पुनर्वि.	(-)70.75	3,89.25	3,14.20
			(-)75.05

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(17) 2235-60-193-9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—			
मूल 13,00.00 पुनर्वि. (-)1,65.37	11,34.63	10,01.33	(-)1,33.30

उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 70.75 लाख एवं ₹ 1,65.37 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान इन शीर्षान्तर्गतों में बचत हुई थीं।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2235-60-191-4858—इंदिरा सहारा योजना—			
मूल 5,00.00 पुनर्वि. 1,01.79	6,01.79	7,42.53	+1,40.74
(2) 2235-60-191-9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—			
मूल 12,50.00 पुनर्वि. 1,12.66	13,62.66	16,77.98	+3,15.32
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,01.79 लाख एवं ₹ 1,12.66 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवधन के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गतों में आधिक्य हुआ था।			
(3) 2235-60-191-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—			
5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—			
मूल 1,40.00 पूरक 60.00 पुनर्वि. 43.60	2,43.60	2,75.00	+31.40
₹ 43.60 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवधन प्रावधान में ₹ 1.40 लाख की कमी एवं ₹ 45.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी, हितग्राहियों की संख्या में कमी हाने के कारण हुई। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।			
(4) 2235-60-191-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—			
5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन—			
मूल 8,55.00 पूरक 1,45.00 पुनर्वि. 1.50	10,01.50	10,58.83	+57.33
(5) 2235-60-192-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—			
5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन—			
मूल 4,26.00 पुनर्वि. 35.71	4,61.71	4,82.09	+20.38
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1.50 लाख एवं ₹ 35.71 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवधन के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011-12 के दौरान क्रमांक (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			

अनुदान संख्या 81—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(6) 2235—60—193—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन—			
मूल 5,84.00 पुनर्वि. 60.44	6,44.44	6,52.86	+8.42

₹ 60.44 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 6217—60—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—

मूल 60,00.00 पुनर्वि. (-)17,23.00	42,77.00	42,77.00	..
--------------------------------------	----------	----------	----

₹ 17,23.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं कि गए हैं (जुलाई 2013)।

(2) 6217—60—192—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—

मूल 9,00.00 पुनर्वि. (-)9,00.00
------------------------------------	----	----	----

₹ 9,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 6217—60—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—

मूल 1,00.00 पुनर्वि. (-)60.40	39.60	39.60	..
----------------------------------	-------	-------	----

₹ 60.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं कए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय
सहायता
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ हजार में)
---------------	------------------	-----------------------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा**
- 2215—जल पूर्ति तथा सफाई**
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण**
- 2403—पशु—पालन**
- 2405—मछली—पालन**
- 2515—अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ**

राजस्व :

मूल	12,09,88,00			
पूरक	1,36,77,32	13,46,65,32	11,95,33,11	(—)1,51,32,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,13,20,57
(31 मार्च 2013)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 1,51,32.21 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 (₹ 1,04,50.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था जबकि दिसम्बर 2012 (₹ 32,27.32 लाख) में प्राप्त किया गया का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,51,32.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 1,13,20.57 लाख का अभ्यर्पण कमज़ोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	--	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 2202—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

1398—छात्रावास—

मूल	15,00.00			
पुनर्वि.	(—)11.76	14,88.24	14,44.99	(—)43.25

₹ 11.76 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(2) 2202—01—796—112—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5169—विद्यालयों में मध्याह्न

भोजन कार्यक्रम—

मूल	1,32,00.00			
पुनर्वि.	(—)10,63.65	1,21,36.35	99,43.22	(—)21,93.13

₹ 10,63.65 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2008—09 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2202—01—796—112—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—	मूल 60,00.00 पुनर्वि. (-)1,00.38	58,99.62	55,71.91 (-)3,27.71
₹ 1,00.38 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2009—10 से 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202—01—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान— मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—	मूल 3,20,00.00 पूरक 33,00.00 पुनर्वि. (-)29,76.27	3,23,23.73	3,13,69.08 (-)9,34.65
₹ 29,76.27 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 28,76.27 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202—02—796—196—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान— मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—	मूल 1,60,00.00 पूरक 16,50.00 पुनर्वि. (-)11,26.92	1,65,23.08	1,57,96.96 (-)7,26.12
₹ 11,26.92 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2235—60—796—198—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—	पूरक 3,40.00 पुनर्वि. (-)1,14.80	2,25.20	2,37.70 +12.50
(7) 2235—60—796—198—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन—	पूरक 10,00.00 पुनर्वि. (-)2,12.97	7,87.03	8,46.10 +59.07

उपरोक्त कम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत कमशः ₹ 1,14.80 लाख एवं ₹ 2,12.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(8) 2515—796—196—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—
7019—पिछङ्गा क्षेत्र अनुदान निधि—

मूल	3,40,00.00		
पूरक	28,85.00		
पुनर्वि.	(-)49,79.00	3,19,06.00	3,19,06.00

₹ 49,79.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2515—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—
8668—राजीव गांधी पंचायत
सशक्ति करण अभियान—

पूरक	3,42.32		
पुनर्वि.	(-)3,42.32		

₹ 3,42.32 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2013)।

(10) 2515—796—198—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7243—छत्तीसगढ़ गौरव एवं
हमारा छत्तीसगढ़—

मूल	9,50.00		
पुनर्वि.	(-)1,56.92	7,93.08	7,93.08

₹ 1,56.92 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2202—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

581—उच्च माध्यमिक विद्यालय—

मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	89.18	4,89.18	4,67.36

(-)21.82

₹ 89.18 लाख के पुनर्विनियोजन के द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 10.82 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

(2) 2235—60—796—198—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—

मूल	46,38.00		
पुनर्वि.	(-)2,62.43	43,75.57	48,18.72

+4,43.15

₹ 2,62.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)।

अनुदान संख्या 82—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	
(3) 2235—60—796—198—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7340—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन—			
मूल	1,40.00		
पुनर्वि.	24.51	1,64.51	1,97.23
			+32.72

₹ 24.51 लाख के पुनर्विनियोजन के द्वारा निधियों के आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011–12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

**अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
---------------	------------------	----------------------------------

मुख्य शीर्ष—**2217—शहरी विकास****2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण**

राजस्व: वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	1,64,33,45	1,62,83,68	(—)1,49,77 1,71,92
पूँजीगत टीका एवं टिप्पणियां	95,00.00	95,00.00	..

राजस्व :

(i) ₹ 1,49.77 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2013 को किया ₹ 1,71.92 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 2235—60—796—191—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता—

(अनुसूचित जन जाति उपयोजना)—

7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

विधवा पेंशन—

पूरक	65.00			
पुनर्वि.	(—)53.45	11.55	13.28	+1.73

₹ 53.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2235—60—796—192—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता—

(अनुसूचित जन जाति उपयोजना)—

5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—

मूल	1,30.00			
पुनर्वि.	(—)25.59	1,04.41	1,05.14	+0.73

₹ 25.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2235—60—796—192—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता—

(अनुसूचित जन जाति उपयोजना)—

7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन—

मूल	50.00			
पुनर्वि.	(—)19.08	30.92	23.95	(—)6.97

₹ 19.08 लाख की प्रत्याशित बचत कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 83—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(4) 2235—60—796—193—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—
(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—
7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
विधवा पेंशन—

मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(—)58.82	41.18	48.40

₹ 58.82 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2235—60—796—193—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—
अनुसूचित जनजाति उपयोजना—
5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—

मूल	1,60.00		
पुनर्वि.	13.14	1,73.14	1,81.73

₹ 13.14 लाख के पुनर्विनियोजन के द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2013)। 2011—12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट – I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 13 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदान वार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/ कमी(-)
(₹ हजार में)			
10. वन—			
राजस्व—			
दत्तमत	20,00,00	18,74,69	(-)1,25,31
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय—			
राजस्व—			
दत्तमत	1,23,81,65	18,05,00	(-)1,05,76,65
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी—			
राजस्व—			
दत्तमत	15,00,00	14,19,86	(-)80,14
23. जल संसाधन विभाग—			
राजस्व—			
दत्तमत	1,24,54,90	50,39	(-)1,24,04,51
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,00	7,04	+5,04
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—			
पूंजीगत—			
दत्तमत	82,00,00	..	(-)82,00,00
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—			
राजस्व—			
दत्तमत	52,10,30	10,75,00	(-)41,35,30
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
पूंजीगत—			
दत्तमत	1,60,00	17,47	(-)1,42,53
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय—			
राजस्व—			
दत्तमत	1,96,83,00	71,39,24	(-)1,25,43,76
पूंजीगत—			
दत्तमत	20,00	..	(-)20,00
64. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—			
राजस्व—			
दत्तमत	22,66,20	1,75,00	(-)21,91,20

परिशिष्ट—I समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+) / कमी(-)
(₹ हजार में)			
67. लोक निर्माण कार्य—भवन—			
राजस्व—			
दत्तमत	1,14,30,00	1,40,46,96	+26,16,96
पूंजीगत—			
दत्तमत	57,58,90	..	(-)57,58,90
80. त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता—			
राजस्व—			
दत्तमत	45,00,00	60,00,00	+15,00,00
योग—			
राजस्व—			
दत्तमत	7,15,26,05	3,35,86,14	(-)3,79,39,91
पूंजीगत—			
दत्तमत	1,41,40,90	24,51	(-)1,41,16,39
महायोग—			
राजस्व	7,15,26,05	3,35,86,14	(-)3,79,39,91
पूंजीगत	1,41,40,90	24,51	(-)1,41,16,39

परिशिष्ट-II

मुख्य शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में अंतरण की गई राशियों का अनुदान वार एवं योजना वार विवरण :—

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखा शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल+अनुपूरक	किया गया व्यय	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा में अन्तरित ^{राशि}
(₹ हजार में)				

वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में कोई भी राशि अंतरित नहीं की गई है ।

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक

2013

www.cag.in

agChattisgarh@cag.gov.in